रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 250] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 5, 2000/वैशाख 15, 1922

No. 250] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 5, 2000/VAISAKHA 15, 1922

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

अधिसूचना

मुम्बई, 3 मई, 2000

सं. फेमा/1/2000-आरबी

सा.का.नि. 384(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (2), धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक केन्द्र सरकार के परामर्श से पूंजी खाता लेनदेन के संदर्भ में निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

i) इन विनियमों को "विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमेय पूंजी खाता लेनदेन) विनियमावली, 2000" कहा जाएगा।

ii) ये पहली जून, 2000 से लागू होंगे।

2. परिभाषा

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42);

ख) 'आहरण' से अभिप्रेत है किसी प्राधिकृत व्यक्ति से विदेशी मुद्रा का आहरण और इसमें साख पत्र खोलना अथवा अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड अथवा अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड अथवा एटीम कार्ड अथवा किसी भी लिखत, चाहे जिस नाम से जाने जाते हो, का उपयोग करना है जो विदेशी मुद्रा दायित्व सृजित करता हो;

ग) 'अनुसूची' से तात्पर्य इन विनियमों की अनुसूची से है;

घ) अंतरणीय विकास अधिकार' से तात्पर्य ऐसे प्रमाणपत्रों से है जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भू-स्वामी द्वारा मौद्रिक क्षतिपूर्ति के बिना भूमि अभ्यर्पण के प्रतिफल के स्वरूप अधिगृहीत की गयी भूमि की श्रेणी के संबंध में जारी किये गये प्रमाणपत्रों से है और जो आंशिक या पूर्ण रूप से अंतरणीय है ;

ङ) इन विनियमों में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ वही होगा जो उक्त अधिनियम में दिये गये हैं।

3. अनुमेय पूंजी खाता लेनदेन

(1) किसी भी व्यक्ति के पूंजी खाता लेनदेनों को निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जायेगा, जैसे -

क) भारत में निवास करनेवाले व्यक्ति के लेनदेन जो अनुसूची I में निर्दिष्ट किये गये हैं ;

ख) भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति के लेनदेन जो अनुसूची II में निर्दिष्ट किये गये हैं।

(2) अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों अथवा जारी किये गये निदेशों अथवा आदेशों के अधीन कोई भी व्यक्ति किसी भी प्राधिकृत व्यक्ति से अथवा प्राधिकृत व्यक्ति को अनुसूचियों में निर्दिष्ट पूंजी खाता लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा बेच सकता है अथवा आहरित कर सकता है ;

बशर्ते ऐसा लेनदेन, संबंधित विनियमों में निर्दिष्ट सीमा यदि कोई हो, के भीतर हो।

4. प्रतिबंध

अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों में अन्यथा प्रावधानित उपबंधों को छोड़कर,

क) कोई भी व्यक्ति किसी भी प्राधिकृत व्यक्ति से अथवा प्राधिकृत व्यक्ति को किसी पूंजी खाता लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा ग्रहण नहीं करेगा अथवा उसे नहीं बेचेगा अथवा आहरित नहीं करेगा।

ख) भारत के बाहर निवास करनेवाला कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी रूप में किसी भी कंपनी अथवा साझेदारी फर्म अथवा स्वामित्व प्रतिष्ठान अथवा किसी अन्य

संस्था में निवेश नहीं कर सकता है जो निगमित हो या न हो और जो निम्नलिखित व्यवसाय में लगी हो या जिसका ऐसा व्यवसाय करने का प्रस्ताव हो -

i) चिटफंड का व्यवसाय, अथवा
ii) निधि कंपनी के रूप में, अथवा
iii) कृषि अथवा प्लांटेशन संबंधी कार्यकलापों में, अथवा
iv) भूमि-भवन व्यवसाय में, अथवा फार्म हाउस के निर्माण में, अथवा
v) अंतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) में व्यापार

स्पष्टीकरण

इस विनियम के प्रयोजन के लिए भूमि-भवन व्यवसाय' में नगर विकास, आवासीय/ वाणिज्य परिसर का निर्माण, मार्ग अथवा पुल शामिल नहीं होंगे।

5. निवेश के लिए अदायगी का स्वरूप

निवेश के लिए अदायगी विदेश से प्रेषण द्वारा सामान्य बैंकिंग माध्यम से अथवा प्राधिकृत व्यापारी के पास रखे गये निवेशक के खाते को नामे डालकर अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार की जायेगी।

6. प्रस्तुत किया जानेवाला घोषणा पत्र

जो व्यक्ति पूंजीगत खाते के लेनदेन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को विदेशी मुद्रा बेचेगा अथवा उससे विदेशी मुद्रा आहरित करेगा वह लेनदेन से संबंधित विनियमों में निर्दिष्ट फार्म और निर्धारित समय के भीतर रिज़र्व बैंक को एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा।

(जगदीश कपूर)
उप गवर्नर

अनुसूची I

(विनियम 3(1) (क) देखें)

भारत में निवास करनेवाले व्यक्तियों के पूंजी खाता लेनदेन के वर्ग

क) भारत में निवास करनेवाले व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश

ख) भारत में निवासकरने वाले व्यक्ति द्वारा भारत में और विदेश में विदेशी मुद्रा ऋण जुटाना

ग) भारत में निवास करनेवाले व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर अचल संपत्ति का अंतरण करना

घ) भारत में निवास करनेवाले व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति के पक्ष में गारंटियाँ जारी करना

ङ) करेंसी/करेंसी नोटों का निर्यात, आयात और अधिधारण

च) भारत में निवास करनेवाले व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति से ऋण और ओवरड्राफ्ट (उधार लेना)

छ) भारत में निवास करनेवाले व्यक्ति द्वारा भारत में और भारत से बाहर विदेशी करेंसी खाते रखना

ज) भारत में निवास करनेवाले व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर स्थित बीमा कंपनी से बीमा पालिसी लेना

झ) भारत में निवास करनेवाले व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति को ऋण और ओवरड्राफ्ट प्रदान करना

ञ) भारत में निवास करनेवाले व्यक्ति की पूंजी परिसम्पत्तियों का भारत से बाहर प्रेषण

ट) भारत में निवास करनेवाले व्यक्ति द्वारा भारत में और विदेश में विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न लिखतों का और विदेश में पण्य-व्युत्पन्नों का क्रय-विक्रय।

अनुसूची II

(विनियम 3(1)(ख) देखें)

भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों के पूंजी खाता लेनदेन के वर्ग

क) भारत के बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा भारत में निवेश करना, अर्थात,

i) भारत में निगमित निकाय अथवा संस्था द्वारा प्रतिभूतियों को जारी करना और उसमें भारत के बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा निवेश करना, और

ii) भारत के बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा अंशदान के रूप में भारत में किसी फर्म या स्वत्वधारी संस्थान अथवा संस्था की पूंजी में निवेश करना।

ख) भारत के बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा भारत में अचल संपत्ति का अधिग्रहण तथा अंतरण करना।

ग) भारत के बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा भारत में निवास करनेवाले किसी व्यक्ति के नाम अथवा उसकी ओर से गारंटी देना।

घ) भारत के बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा भारत में/से करेंसी/करेंसी नोटों का आयात और निर्यात।

ङ) भारत में निवास करनेवाले किसी व्यक्ति और भारत के बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति का एक-दूसरे के पास जमाराशियां रखना।

च) भारत के बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति का भारत में विदेशी करेंसी खाते होना।

छ) भारत के बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति का भारत में पूंजीगत परिसम्पत्ति का भारत से बाहर विप्रेषण।

[फा. सं. 1/9/ई सी/97]

जगदीश कपूर, डिप्टी गवर्नर

RESERVE BANK OF INDIA

(Exchange Control Department)

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd May, 2000

No. FEMA 1/2000-RB

G.S.R. 384(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 6, sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes, in consultation with the Central Government, following regulations relating to capital account transactions, namely :

1. Short title and commencement :-

(i) These Regulations may be called the "Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) Regulations, 2000".

(ii) They shall come into force on the 1st day of June, 2000.

2. Definitions :-

In these Regulations, unless the context requires otherwise, -

(a) 'Act' means, the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);

(b) "Drawal " means drawal of foreign exchange from an authorised person and includes opening of Letter of Credit or use of International Credit Card or International Debit Card or ATM card or any other thing by whatever name called which has the effect of creating foreign exchange liability.

(c) 'Schedule' means a schedule to these Regulations;

(d) 'Transferable Development Rights' means certificates issued in respect of category of land acquired for public purpose either by Central or State Government in consideration of surrender of land by the owner without monetary compensation, which are transferable in part or whole;

(e) The words and expressions used but not defined in these Regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Permissible Capital Account Transactions :-

(1) Capital account transactions of a person may be classified under the following heads, namely :-

(A) transactions, specified in Schedule I, of a person resident In India;

(B) transactions, specified in Schedule II, of a person resident outside India.

(2) Subject to the provisions of the Act or the rules or regulations or direction or orders made or issued thereunder, any person may sell or draw foreign exchange to or from an authorised person for a capital account transaction specified in the Schedules;

Provided that the transaction is within the limit , if any, specified in the regulations relevant to the transaction.

4. Prohibition :-

Save as otherwise provided in the Act, rules or regulations made thereunder,

a) no person shall undertake or sell or draw foreign exchange to or from an authorised person for any capital account transaction,

b) no person resident outside India shall make investment in India , in any form, in any company or partnership firm or proprietary concern or any entity, whether incorporated or not, which is engaged or proposes to engage -

(i) in the business of chit fund, or

(ii) as Nidhi Company , or

(iii) in agricultural or plantation activities or

(iv) in real estate business, or construction of farm houses or

(v) in trading in Transferable Development Rights (TDRs).

Explanation:

For the purpose of this regulation, "real estate business" shall not include development of townships, construction of residential/commercial premises, roads or bridges.

5. Method of payment for investment :-

The payment for investment shall be made by remittance from abroad through normal banking channels or by debit to an account of the investor maintained with an authorised person in India in accordance with the regulations made by the Reserve Bank under the Act.

6. Declaration to be furnished :-

Every person selling or drawing foreign exchange to or from an authorised person for a capital account transaction shall furnish to the Reserve Bank , a declaration in the form and within the time specified in the regulations relevant to the transaction.

Schedule I

[See Regulation 3 (1) (A)]

Classes of capital account transactions of Persons resident in India

a) Investment by a person resident in India in foreign securities

b) Foreign currency loans raised in India and abroad by a person resident in India

c) Transfer of immovable property outside India by a person resident in India

d) Guarantees issued by a person resident in India in favour of a person resident outside India

e) Export, import and holding of currency/currency notes

f) Loans and overdrafts (borrowings) by a person resident in India from a person resident outside India

g) Maintenance of foreign currency accounts in India and outside India by a person resident in India

h) Taking out of insurance policy by a person resident in India from an insurance company outside India

i) Loans and overdrafts by a person resident in India to a person resident outside India

j) Remittance outside India of capital assets of a person resident in India

k) Sale and purchase of foreign exchange derivatives in India and abroad and commodity derivatives abroad by a person resident in India.

Schedule II

[See Regulation 3 (1) (B)]

Classes of capital account transactions of persons resident outside India

a) Investment in India by a person resident outside India, that is to say,

   i) issue of security by a body corporate or an entity in India and investment therein by a person resident outside India; and

   ii) investment by way of contribution by a person resident outside India to the capital of a firm or a proprietorship concern or an association of persons in India.

b) Acquisition and transfer of immovable property in India by a person resident outside India.

c) Guarantee by a person resident outside India in favour of, or on behalf of, a person resident in India.

d) Import and export of currency/currency notes into/from India by a person resident outside India.

e) Deposits between a person resident in India and a person resident outside India.

f) Foreign currency accounts in India of a person resident outside India.

g) Remittance outside India of capital assets in India of a person resident outside India.

[F. No. 1/9/EC/97]

JAGDISH CAPOOR, Dy. Governor

अधिसूचना

मुम्बई, 3 मई, 2000

सं. फेमा 2/2000-आरबी

सा.का.नि. 385(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3), के खंड (ग), धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी शाखा, कार्यालय द्वारा अथवा भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति की एजेंसी द्वारा भारत में प्रतिभूति का निर्गम किया जाना) विनियमावली, 2000 कहा जाएगा ।

ii) ये पहली जून, 2000 से लागू होंगे ।

2. परिभाषा

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

i) 'अधिनियम' से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है;

ii) इन विनियमों में ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां जिनका प्रयोग तो किया गया है परंतु जो परिभाषित नहीं हैं, से क्रमशः वही अर्थ अभिप्रेत होगा जो उन्हें अधिनियम में प्रदान किया गया हो ।

3. प्रतिभूति के अंतरण अथवा निर्गम पर प्रतिबंध

जब तक अधिनियम में अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए अथवा जारी नियमों अथवा विनियमों में अन्यथा उपबंध न किया जाए, भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति की भारत में कोई शाखा, उसका कोई कार्यालय अथवा उसकी कोई एजेंसी रिजर्व बैंक की सामान्य अथवा विशिष्ट अनुमति से भारत में किसी प्रतिभूति अथवा विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम नहीं कर सकती ।

4. रिज़र्व बैंक की अनुमति से प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम

रिज़र्व बैंक भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति के भारत में किसी शाखा, कार्यालय अथवा किसी एजेंसी को भारत में किसी प्रतिभूति अथवा विदेशी प्रतिभूति के अंतरण अथवा निर्गम की अनुमति, ऐसी शर्तों के अधीन जो आवश्यक समझी गई, आवेदन किए जाने पर और इस बात से संतुष्ट [illegible] ऐसा करना आवश्यक है, [illegible] है।

[फा. सं. 1/9/ई सी/97]

पी. आर. गोपाल राव, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd May 2000

No. FEMA 2/2000-RB

G.S.R. 385(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank makes the following regulations, namely :

1. Short title and commencement :-

i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Issue of Security in India by a branch, office or agency of a person resident outside India) Regulations, 2000.

ii) They shall come into force on 1st day of June 2000

2. Definitions :-

In these Regulations, unless the context requires otherwise, -

i) 'Act' means the Foreign Exchange Management Act,1999 (42 of 1999);

ii) The words and expressions used but not defined in these Regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Prohibition on transfer or issue of security :-

Save as otherwise provided in the Act or rules or regulations made or issued thereunder, or with the general or special permission of the Reserve Bank, no branch, office or agency in India of a person resident outside India shall transfer or issue any security or foreign security in India.

4. Transfer or Issue of Security with the permission of Reserve Bank :-

The Reserve Bank, on application made to it and being satisfied that it is necessary to do so, may, subject to such terms and conditions as are considered necessary, permit a branch, office or agency in India of a person resident outside India to transfer or issue any security or foreign security in India.

[F. No. 1/9/EC/97]

P. R. GOPALA RAO, Executive Director

अधिसूचना

मुम्बई, 3 मई, 2000

सं. फेमा 3/2000-आरबी

सा.का.नि. 386(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (घ) और धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार देने अथवा उधार लेने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है ;

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) विनियमावली, 2000 कहा जाएगा ।

ii) ये पहली जून, 2000 से लागू होंगे ।

2. परिभाषा

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42);

ख) 'प्राधिकृत व्यापारी' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी के रूप में प्राधिकृत किया गया व्यक्ति;

(ग) 'विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी करेंसी खाता', 'निवासी विदेशी करेंसी खाता' से अभिप्रेत है विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) नियमावली, 2000

घ) 'विदेशी करेंसी अनिवासी (बैंक) खाता', 'अनिवासी बाह्य खाता' से अभिप्रेत है विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 में निर्दिष्ट खाते;

ङ) 'भारतीय संस्था' से अभिप्रेत है भारत में निगमित कंपनी अथवा निकाय या फर्म;

च) 'विदेश में संयुक्त उद्यम' से अभिप्रेत है भारत से बाहर किसी देश में, उस देश के कानून और विनियमों के अनुसार गठित, पंजीकृत अथवा निगमित कंपनी जिसमें किसी भारतीय कंपनी द्वारा निवेश किया गया हो;

छ) 'अनुसूची' से अभिप्रेत है इस विनियमावली की अनुसूची;

ज) 'विदेश में पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी' से अभिप्रेत है भारत से बाहर किसी देश में उस देश के कानून और विनियमों के अनुसार गठित, पंजीकृत अथवा निगमित विदेशी कंपनी जिसकी संपूर्ण पूंजी किसी भारतीय कंपनी की है ;

झ) इस विनियमावली में प्रयुक्त जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों की इस विनियमावली में परिभाषा नहीं दी गयी है उनका वही अर्थ होगा जो उनके लिए अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है ।

3. विदेशी मुद्रा उधार लेने अथवा उधार देने पर प्रतिबंध

अधिनियम में और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों में जो कुछ कहा गया है उसको छोड़कर भारत में निवास करनेवाला कोई भी व्यक्ति भारत में अथवा भारत से बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा में उधार नहीं देगा या उससे उधार नहीं लेगा :

परंतु यदि पर्याप्त कारण हो तो रिजर्व बैंक भारत से बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा में उधार देने अथवा उससे उधार लेने की अनुमति दे सकता है ।

4. प्राधिकृत व्यापारी द्वारा विदेशी मुद्रा उधार लेना या उधार देना

1) भारत में स्थित प्राधिकृत व्यापारी अथवा भारत से बाहर स्थित उसकी कोई शाखा नीचे निर्दिष्ट परिस्थितियों और शर्तों पर विदेशी करेंसी में ऋण दे सकता है, अर्थात्:

i) जो प्राधिकृत व्यापारी भारत में निगमित या गठित बैंक है उसकी भारत से बाहर स्थित शाखा भारत से बाहर किये जानेवाले अपने सामान्य बैंकिंग कारोबार के दौरान विदेशी करेंसी ऋण दे सकती है ;

ii) प्राधिकृत व्यापारी भारत में अपने ग्राहकों को विदेशी मुद्रा की जरूरतों को पूरा करने अथवा उनकी रुपया कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने अथवा उनके पूंजीगत व्यय के लिए ऋण दे सकता है बशर्ते इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये विवेकपूर्ण मानदंडों, ब्याज दर निदेश और मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन किया गया हो ;

iii) प्राधिकृत व्यापारी किसी भारतीय कंपनी की विदेश में पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम को ऋण सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है :

बशर्ते ऐसी सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम की ईक्विटी में 51 प्रतिशत से अधिक ईक्विटी भारतीय कंपनी की हो और इस संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण और निर्गम) विनियमावली, 2000 का अनुपालन किया गया हो ;

iv) कोई प्राधिकृत व्यापारी अपने वाणिज्य विवेक पर और विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन में, विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी करेंसी खाता अथवा निवासी विदेशी करेंसी खाता रखनेवाले अपने ग्राहक को ऐसे खाते में रखी गयी निधियों की जमानत पर विदेशी मुद्रा ऋण दे सकता है ;

(v) किसी प्राधिकृत व्यापारी की भारत से बाहर स्थित शाखा विदेशी मुद्रा प्रबन्ध (जमा) विनियमावली, 2000 के अनुसार रखे गये अनिवासी बाह्य/विदेशी करेंसीअनिवासी जमा खाता में रखी गयी निधियों की जमानत पर विदेशी करेंसी ऋण दे सकती है;

vi) रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों अथवा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन, भारत में स्थित कोई प्राधिकृत व्यापारी भारत में किसी दूसरे प्राधिकृत व्यापारी को विदेशी करेंसी ऋण दे सकता है ।

2) भारत स्थित कोई प्राधिकृत व्यापारी नीचे निर्दिष्ट परिस्थितियों और शर्तों के अधीन विदेशी करेंसी ऋण ले सकता है, अर्थात् :

i) कोई प्राधिकृत व्यापारी भारत से बाहर अपने प्रधान कार्यालय अथवा शाखा अथवा प्रतिनिधि बैंक से रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट शर्तों पर अपनी अक्षत टियर I पूंजी के पन्द्रह प्रतिशत अथवा 10 मिलियन अमरीकी डालर तक, जो भी अधिक हो, ऋण ले सकता है ।

स्पष्टीकरण

खंड (i) के प्रयोजन के लिए, किसी प्राधिकृत व्यापारी की भारत में स्थित सभी शाखाओं द्वारा भारत से बाहर उसके प्रधान कार्यालय, सभी शाखाओं और प्रतिनिधि बैंकों से लिये गये कुल ऋणों को गणना में लिया जायेगा ।

ii) कोई प्राधिकृत व्यापारी अपने रुपया संसाधनों को पूरा करने के लिए भारत से बाहर अपने प्रधान कार्यालय अथवा शाखा अथवा प्रतिनिधि बैंक से असीमित विदेशी करेंसी ऋण ले सकता है, बशर्ते -

क) उधार ली गयी राशि उसके अपने कार्यकलापों के लिए इस्तेमाल की जाये और यह मांग मुद्रा बाजार अथवा इसी प्रकार के अन्य बाजारों में निवेश न की जाये ;

ख) रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना किसी भी ऋण की चुकौती न की जाये । रिजर्व बैंक उसी स्थिति में ऋण चुकौती की अनुमति देगा यदि प्राधिकृत व्यापारी के पास रिजर्व बैंक का अथवा भारत में किसी अन्य बैंक अथवा वित्तीय संस्था का कोई ऋण बकाया न हो और जिस सप्ताह में ऋण की चुकौती की जानी है उससे पहले के कम-से-कम चार सप्ताह के दौरान उसकी कोई मांग मुद्रा उधारी बाकी न हो ।

iii) जो प्राधिकृत व्यापारी, भारत में निगमित या गठित बैंक है, उसकी भारत से बाहर स्थित शाखा समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों अथवा मार्गदर्शी सिद्धान्तों और जिस देश में शाखा स्थित है उस देश के विनियामक प्राधिकारी के निदेशों और मार्गदर्शी सिद्धांतों की शर्त पर भारत से बाहर अपने सामान्य बैंकिंग कारोबार के दौरान विदेशी करेंसी ऋण ले सकती है ।

iv) कोई भी प्राधिकृत व्यापारी अपने निर्यातक ग्राहक को लदानपूर्व अथवा लदानोत्तर ऋण देने के लिए भारत से बाहर स्थित बैंक अथवा वित्तीय संस्था से विदेशी करेंसी ऋण ले सकता है बशर्ते रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन किया गया हो ।

5. प्राधिकृत व्यापारी के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार लेना और उधार देना

(1) कोई भारतीय कंपनी विदेश में अपने पूर्ण स्वामित्ववाली ऐसी सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम को विदेशी मुद्रा में ऋण दे सकती है जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूतियों का अंतरण और निर्गम) विनियमावली, 2000 के अनुसार गठित किया गया हो।

2) भारत में निवास करनेवाला कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर तैयार हालत में प्रस्तुत की जानेवाली परियोजना अथवा सिविल निर्माण ठेके के निष्पादन के लिए अथवा आस्थगित भुगतान की शर्तों पर निर्यात के संबंध में भारत से बाहर स्थित बैंक से ऋण के रूप में अथवा

ओवरड्राफ्ट के रूप में अथवा किसी अन्य ऋण सुविधा के रूप में उधार ले सकता है बशर्ते परियोजना अथवा ठेके अथवा निर्यात का अनुमोदन देनेवाले प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये बनाए गये विदेशी मुद्रा प्रबंध (वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात) नियमावली, 2000 के अनुसार निर्धारित शर्तों का पूरी तरह से पालन किया गया हो ।

3) भारत में स्थित आयातक भारत में माल के आयात के लिए माल के विदेश स्थित आपूर्तिकर्ता द्वारा छः महीने तक की अवधि के लिए दी गयी विदेशी करेंसी ऋण सुविधा ले सकता है बशर्ते आयात भारत सरकार की लागू निर्यात-आयात नीति के अनुरूप किया गया हो ।

4) भारत में निवास करनेवाला कोई भी व्यक्ति अपने विदेश स्थित आयातक ग्राहक को व्यापार संबंधी प्रयोजनों के लिए, अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी करेंसी खाते में रखी निधियों से विदेशी करेंसी ऋण दे सकता है;

बशर्ते -

क) किसी एक समय पर ऐसे ऋणों की कुल बकाया राशि 3 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक न हो; और

ख) जहां ऋण की राशि 25,000 अमरीकी डालर से अधिक हो वहां विदेश स्थित खरीददार ने ऋणकर्ता के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के किसी विदेशी बैंक की गारंटी दी हो ।

5) भारतीय निर्यात आयात बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक लि. अथवा भारत स्थित कोई अन्य संस्था भारत में अपने ग्राहकों को आगे ऋण देने के प्रयोजन के लिए भारत सरकार के अनुमोदन से जुटायी गयी विदेशी करेंसी ऋण राशियों में से विदेशी करेंसी ऋण दे सकते हैं ।

6. रिजर्व बैंक अथवा भारत सरकार के पूर्वानुमोदन से विदेशी मुद्रा में अन्य उधारियां

1) भारत में निवास करनेवाला जो व्यक्ति अनुसूची में बताये गये स्वरूप के अथवा उसमें दिये गये प्रयोजनों से विदेशी करेंसी ऋण लेना चाहता हो और जो अनुसूची में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों और अन्य शर्तों को पूरा करता हो वह ऋण लेने का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक को आवेदन कर सकता है ।

2) रिजर्व बैंक ऐसी शर्तों पर अनुमोदन दे सकता है जिन्हें वह लगाना आवश्यक समझे । बशर्ते अनुमोदन देने पर विचार करते समय रिजर्व बैंक केन्द्र सरकार के साथ सलाह करके, भारत में निवास करनेवाले व्यक्तियों द्वारा ऐसे ऋण लेने के लिए निर्धारित समग्र सीमा को ध्यान में रखेगा ।

3) भारत में निवास करने वाला व्यक्ति यदि कोई ऐसा विदेशी करेंसी ऋण लेना चाहता है जो अनुसूची के दायरे से बाहर है तो उसके लिए केंद्र सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

अनुसूची

[विनियम 6 देखें]

1. भारत में निवास करनेवाला कोई भी व्यक्ति इस अनुसूची में निर्दिष्ट योजनाओं में से किसी एक योजना के तहत विदेशी मुद्रा उधार ले सकता है ।

2. किसी भी योजना के तहत उधार लेने के लिए विनियम 6 के अंतर्गत रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इस विनियमावली के साथ दिये गये फार्म ईसीबी में आवेदन प्रस्तुत किया जाये ।

3. विदेशी मुद्रा का उधार किसी भी विदेश स्थित बैंक/निर्यात ऋण एजेंसी/उपकरण के आपूर्तिकता अथवा विदेशी सहयोगी, विदेशी ईक्विटी धारक, अनिवासी भारतीय, विदेशी कंपनी निकाय, अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यताप्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा अच्छी क्रेडिट रेटिंगवाली किसी कंपनी/संस्था से अथवा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से लिया जा सकता है । यह उधार बांड, अस्थायी दरवाले वचन पत्रों या किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले अन्य ऋण लिखत जारी कर लिया जा सकता है ।

4. उधारकर्ता, इनमें से किसी भी योजना के तहत ली गयी उधार राशि का शेयर बाजार में अथवा भूमि-भवन के कारबार में निवेश नहीं करेगा ।

i) अल्पकालीन ऋण योजना

क) विदेशी करेंसी ऋण जो माल के विदेश स्थित आपूर्तिकर्ता द्वारा भारत में माल के आयात के वित्तपोषण हेतु आयातक को दिया गया है बशर्ते ऋण की अवधि छः महीने से अधिक किन्तु तीन वर्ष से कम है ।

ख) विदेशी करेंसी ऋण/क्रेडिट जो भारत से बाहर स्थित किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था द्वारा भारत में आयात के वित्तपोषण के लिए भारत स्थित आयातक को दिया गया है बशर्ते ऋण/क्रेडिट की अवधि तीन वर्ष से कम है ।

ii) पांच मिलियन अमरीकी डालर योजना के तहत उधार

किसी भारतीय कंपनी द्वारा कंपनी के सामान्य कार्यकलापों के लिए तीन वर्ष की सामान्य न्यूनतम अवधि के लिए पांच मिलियन अमरीकी डालर अथवा इसकी समतुल्य राशि तक की विदेशी मुद्रा उधार लेना ।

iii) दस मिलियन अमरीकी डालर योजना के तहत उधार

किसी भारतीय कंपनी द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए दस मिलियन अमरीकी डालर अथवा इसकी समतुल्य राशि तक की विदेशी मुद्रा उधार लेना :

क) आधारभूत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए उधार

i) आधारभूत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय कंपनी द्वारा प्रमोट की गयी सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनी में ईक्विटी निवेश के वित्तपोषण के लिए उधार लेना बशर्ते ऋण की न्यूनतम औसत अवधि तीन वर्ष हो । यदि एक ही परियोजना के लिए एक से अधिक प्रवर्तक कंपनियों द्वारा ऋण जुटाया जाना हो तो सभी प्रवर्तकों द्वारा लिये गये ऋण की कुल राशि 10 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

ii) आधारभूत परियोजना के वित्तपोषण के लिए भारतीय कंपनी द्वारा जुटाया गया विदेशी करेंसी ऋण बशर्ते ऋण की न्यूनतम औसत अवधि तीन वर्ष से कम न हो ।

ख) निर्यातक/विदेशी मुद्रा अर्जक द्वारा उधार लेना

किसी निर्यातक/विदेशी मुद्रा अर्जक द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उसकी वार्षिक विदेशी मुद्रा की औसत आमदनी के तीन गुना तक विदेशी मुद्रा ऋण लिया जा सकता है बशर्ते इसकी अधिकतम राशि दस मिलियन अमरीकी डालर अथवा इसकी समतुल्य हो और इसकी औसत न्यूनतम अवधि तीन वर्ष हो ।

ग) दीर्घकालीन उधार

कंपनी के सामान्य कार्यकलापों के लिए आठ वर्ष तक की न्यूनतम अवधि के लिए उधार लेना ।

iv) प्रत्यावर्तन के आधार पर अनिवासी भारतीयों से ऋण जुटाने की योजना

भारत में निवास करनेवाला कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर निवास करनेवाले अपने नजदीकी रिश्तेदारों से निम्नलिखित शर्तों पर 2,50,000 अमरीकी डालर तक या इसकी समतुल्य राशि तक विदेशी मुद्रा ऋण ले सकता है -

क) ऋण पर कोई ब्याज नहीं देना होगा ;

ख) ऋण की न्यूनतम अवधि सात वर्ष हो ;

ग) ऋण की राशि सामान्य बैंकिंग तंत्र के माध्यम से मुक्त विदेशी मुद्रा में किये गये आवक विप्रेषण से अथवा अनिवासी ऋणकर्ता के अनिवासी बाह्य/विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते में नामे डालकर प्राप्त की गयी हो ;

घ) ऋण उधारकर्ता के व्यक्तिगत प्रयोजनों अथवा उसके कारबार के सामान्य कार्यकलापों के लिए प्रयुक्त किया गया हो । कृषि/बागान संबंधी कार्यकलापों, चल संपत्ति खरीदने अथवा भारत में स्थित कंपनियों द्वारा जारी शेयर/डिबेंचर/बांड खरीदने के लिए अथवा आगे किसी और को ऋण देने के लिए इस ऋण का उपयोग नहीं किया जा सकता है ।

स्पष्टीकरण

'नजदीकी रिश्तेदार' से अभिप्रेत कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निर्दिष्ट रिश्तेदार है ।

फार्म ईसीबी

अल्पकालीन ऋण/क्रेडिट/5/10 मिलियन अमरीकी डालर योजना के तहत विदेशी वाणिज्यिक उधारियां लेने की अनुमति का आवेदन

अनुदेश

आवेदक पूरी तरह से भरा गया अपना आवेदन दो प्रतियों में मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, विदेशी वाणिज्यिक उधारी प्रभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई-400 001 को अपने उस प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से प्रस्तुत करेगा जिसे वह विदेशी करेंसी के उधार/ऋण लेने संबंधी मामलों पर कार्रवाई करने के लिए नामित करे ।

दस्तावेज

प्राधिकृत व्यापारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित किये गये निम्नलिखित दस्तावेज (जो भी संगत हो) आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाएं :

i) विदेश स्थित उधारदाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्ताव-पत्र की प्रतिलिपि जिसमें प्रस्तावित उधार/ऋण व्यवस्थाओं की शर्तों का पूरा ब्योरा दिया गया हो ।

ii) जहां लागू हो वहां विदेशी निवेश और संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय (एसआइए)/सीसीईए के अनुमोदनों की प्रतिलिपियां ।

iii) यदि आवेदन निर्यातकों/विदेशी मुद्रा अर्जकों की योजना के तहत प्रस्तुत किया जा रहा हो तो पिछले 3 वर्षों की निर्यात वसूलियों के संबंध में बैंक प्रमाणपत्र ।

iv) यदि आवेदक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी हो तो मान्यताप्राप्त ऋण पात्रता-मूल्यांकन एजेंसी द्वारा दिये गये ऋण पात्रता-मूल्यांकन क्रम की प्रतिलिपि और रिजर्व बैंक पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि ।

v) आयात संविदा, प्रोफार्मा/वाणिज्यिक बीजक/लदान पत्र की प्रतिलिपि ।

vi) यदि उधारदाता, समय-समय पर सरकार द्वारा विदेशी वाणिज्यिक उधारी संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार मान्यताप्राप्त वर्ग के अलावा अन्य किसी वर्ग का हो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मान्यताप्राप्त ऋण-पात्रता एजेंसी की रिपोर्ट ।

vii) यदि आयात के लिए भुगतान साख-पत्र के माध्यम से किया जाना हो तो साख-पत्र की प्रतिलिपि संशोधनों-सहित, यदि कोई हों ।

भाग-क ईसीबी आवेदन की श्रेणी

आवेदन निम्नलिखित योजना के तहत प्रस्तुत किया जा रहा है :
(कृपया सही बाक्स में (X) का चिह्न लगाएं)

1) अल्पकालीन उधार/ऋण के तहत ☐

2) 5 मिलियन अमरीकी डालर योजना के तहत ☐

3) 10 मिलियन अमरीकी डालर योजना के तहत ☐

क) निर्यातकों/विदेशी मुद्रा अर्जकों की योजना ☐
ख) दीर्घकालीन उधारकर्ता योजना ☐
ग) आधारभूत परियोजनाएं ☐
घ) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) ☐

भाग ख - उधारकर्ता के बारे में सामान्य जानकारी

1. आवेदक का नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)

पता

---

2. आवेदक फर्म/कंपनी की हैसियत — निजी क्षेत्र / सरकारी क्षेत्र / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (भा.रि.बै. की पंजीकरण संख्या लिखें)

---

3. पिछले तीन वर्ष के दौरान आवेदक द्वारा 5 मिलियन डालर योजना के तहत लिये गये विदेशी करेंसी ऋण (ईसीबी) और/अथवा इसके लिए प्राप्त अनुमोदन

भा.रि.बै./भारत सरकार की अनुमोदन संख्या और तारीख	बकाया राशि	अंतिम चुकौती की देय तारीख

5. विदेश में रखी गयी विदेशी वाणिज्यिक उधार राशियों का ब्यौरा

क्रम सं.	बैंक का नाम	अमरीकी डालर के समतुल्य राशि	विदेशों में निधियां रखने के लिए भा.रि.बैं. की अनुमति प्राप्त करने की संख्या और तारीख

भाग-ग - प्रस्तावित ऋण/उधार के संबंध में सूचना

1. ऋण/उधार का विवरण

करेंसी राशि अमरीकी डालर के समतुल्य

ऋण का प्रयोजन

_____ ईसीबी का स्वरूप [कृपया सही बाक्स में (x) का चिह्न लगायें]

i) आपूर्तिकर्ता ऋण
ii) क्रेता ऋण
iii) सिंडिकेट ऋण
iv) निर्यात ऋण
v) विदेशी सहयोगकर्ता/शेयर धारक से ऋण
vi) अस्थिर दर वाले नोट (एफआरएन)/बांड
vii) अन्य (कृपया उल्लेख करें)

ऋण की शर्तें

i) ब्याज दर
ii) अप फ्रंट शुल्क
iii) प्रबंधन शुल्क
iv) अन्य प्रभार, यदि हो (कृपया उल्लेख करें)
v) समग्र मूल्य (आल-इन-कॉस्ट)
vi) प्रतिबद्धता शुल्क
vii) दंडात्मक ब्याज दर
viii) ऋण की अवधि
ix) रियायती/अधिस्थगन अवधि
x) चुकौती की अवधि (अर्धवार्षिक/वार्षिक/बुलेट)
xi) औसत परिपक्वता

2. ऋणदाता का विवरण

ऋणदाता/आपूर्तिकर्ता का नाम और पता

---

3. दी जाने वाली प्रतिभूति का स्वरूप, यदि कोई हो ।

भाग-घ - आहरण द्वारा कमी और चुकौती के संबंध में सूचना

प्रस्तावित अनुसूची			
आहरण द्वारा कमी		चुकौती/भुगतान	
माह और वर्ष	राशि	मूलधन	ब्याज

भाग - ङ - अल्पावधि उधार/ऋण के अंतर्गत आवेदन पत्रों के लिए अपेक्षित अतिरिक्त सूचना

---

1. आयात किये जानेवाले पण्य/ पण्यों के विवरण विवरण मूल्य

2. किये गये/ किये जानेवाले आयातों के विवरण

क) i) भुगतान की शर्तें
ii) आयात बिल का देय दिनांक
iii) अपेक्षित अवधि विस्तार
iv) यदि आयात पहले ही किया जा चुका है तो, आयात-पत्र के अनुसार मूल्य (कृपया एक प्रति संलग्न करें)

ख) यदि माल प्राप्त होना है तो

i) पोत-लदान का दिनांक

ii) क्या माल को मार्ग में ही किसी अन्य पार्टी को बेच दिया गया है अथवा ऐसे किसी विक्रय की अपेक्षा की गयी है ?

3. वह अवधि जिसके लिए अतीत में वर्णित ऋणों के लिए आहरणों, उपयोग और बकाया राशि के ब्योरे भारतीय रिजर्व बैंक को दिये गये हैं ।

भाग-च - 5/10 मिलियन अमरीकी डालर योजना के अंतर्गत ईसीबी के बारे में अतिरिक्त सूचना

1. परियोजना के ब्योरे

(i)	अमरीकी डालर में कुल परियोजना लागत	
(ii)	परियोजना लागत के % रूप में कुल ईसीबी	

2. पिछले 3 वर्ष के दौरान आवेदक (अमरीकी डालर के समतुल्य) की निर्यात वसूली (निर्यातक/विदेशी मुद्रा अर्जक योजना के अंतर्गत आवेदन पत्रों के मामले में ही इसे प्रस्तुत करें ।)

भाग-छ - प्रमाणीकरण

1. आवेदक द्वारा

एतद्द्वारा हम यह प्रमाणित करते है कि -

i) हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सही और तथ्यपरक हैं ।

ii) लिये जानेवाले उधार/ऋण का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जिनके लिए यह आवेदन किया जा रहा है और उसका उपयोग शेयर बाजार और भूमि-भवन में निवेश के लिए नहीं किया जाएगा ।

_____

(आवेदक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान _____ नाम _____

दिनांक _____ पदनाम

मुहर

---

2. प्राधिकृत व्यापारी द्वारा

एतद्द्वारा हम यह प्रमाणित करते हैं कि -

i) आवेदक हमारा ग्राहक है ।

ii) हमने आवेदन पत्र की जांच की है और ऋणदाता/आपूर्तिकर्ता से प्रस्ताव के मूल पत्र और आयात/प्रस्तावित आयात, प्रस्तावित उधार/वित्तीय व्यवस्था से संबंधित कागजात को सही पाया है ।

_____

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान _____ नाम _____

दिनांक _____ बैंक/शाखा का नाम : _____

मुहर

ए.डी.कूट सं._____

[फा. सं. 1/9/ई सी/97]

पी. आर. गोपाल राव, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd May, 2000

No. FEMA 3/2000-RB

G.S.R. 386(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (3) of Section 6, sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank makes the following regulations for borrowing or lending in foreign exchange by a person resident in India; namely :

1. Short Title and Commencement:-

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000.

(ii) They shall come into force on 1st day of June, 2000.

2. Definitions:-

In these regulations, unless the context otherwise requires -

a) Act' means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);

b) 'authorised dealer' means a person authorised as an authorised dealer under sub-section (1) of section 10 of the Act;

c) 'EEFC account', 'RFC account' mean the accounts referred to in the Foreign Exchange Management (Foreign currency accounts by a person resident in India) Regulations, 2000;

d) 'FCNR (B) account', 'NRE account' mean the accounts referred to in the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000;

e) 'Indian entity' means a company or a body corporate or a firm in India;

f) 'Joint Venture abroad' means a foreign concern formed, registered or incorporated in a foreign country in accordance with the laws and regulations of that country and in which investment has been made by an Indian entity;

g) 'Schedule' means the Schedule to these Regulations;

h) 'Wholly owned subsidiary abroad' means a foreign concern formed, registered or incorporated in a foreign country in accordance with the laws and regulations of that country and whose entire capital is owned by an Indian entity;

i) the words and expressions used but not defined in these Regulations shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Prohibition to Borrow or Lend in Foreign Exchange:-

Save as otherwise provided in the Act, Rules or Regulations made thereunder, no person resident in India shall borrow or lend in foreign exchange from or to a person resident in or outside India:

Provided that the Reserve Bank may, for sufficient reasons, permit a person to borrow or lend in foreign exchange from or to a person resident outside India.

4. Borrowing and Lending in Foreign Exchange by an Authorised dealer:-

(1) An authorised dealer in India or his branch outside India may lend in foreign currency in the circumstances and subject to the conditions mentioned below, namely:

i) A branch outside India of an authorised dealer being a bank incorporated or constituted in India, may extend foreign currency loans in the normal course of its banking business outside India;

ii) An authorised dealer may grant loans to his constituents in India for meeting their foreign exchange requirements or for their rupee working capital requirements or capital expenditure subject to compliance with prudential norms, interest rate directives and guidelines, if any, issued by Reserve Bank in this regard;

iii) An authorised dealer may extend credit facilities to a wholly owned subsidiary abroad or a joint venture abroad of an Indian entity;

Provided that not less than 51 per cent of equity in such subsidiary or joint venture is held by the Indian entity subject to compliance with the Foreign Exchange Management (Transfer and Issue of Foreign Security) Regulations, 2000;

iv) An authorised dealer may, in his commercial judgment and in compliance with the prudential norms, grant loans in foreign exchange to his constituent maintaining EEFC Account or RFC Account, against the security of funds held in such account.

v) A branch outside India of an authorised dealer may extend foreign currency loans against the security of funds held in NRE/FCNR deposit accounts maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000.

vi) Subject to the directions or guidelines issued by the Reserve Bank from time to time, an authorised dealer in India may extend foreign currency loans to another authorised dealer in India.

2) An authorised dealer in India may borrow in foreign currency in the circumstances and subject to the conditions mentioned below, namely:

i) An authorised dealer may borrow from his Head Office or branch or correspondent outside India upto fifteen per cent of his unimpaired Tier I capital or US$ 10 million, whichever is more, subject to such conditions as the Reserve Bank may direct.

Explanation:

For the purpose of clause (i), the aggregate loans availed of by all branches in India of the authorised dealer from his Head Office, all branches and correspondents outside India, shall be reckoned.

ii) An authorised dealer may borrow in foreign currency without limit from his head Office or branch or correspondent outside India for the purpose of replenishing his rupee resources, provided that -

a) the funds borrowed are utilised for his own business operations and are not invested in call money or similar other markets;

b) no repayment of the loan is made without the prior approval of Reserve Bank, which may be granted only if the authorised dealer has no borrowings outstanding either from Reserve Bank or other bank or financial institution in India and is clear of all money market borrowings for a period of at least four weeks prior to the week in which the repayment is made.

iii) A branch outside India of an authorised dealer being a bank incorporated or constituted in India, may borrow in foreign currency in the normal course of its banking business outside India, subject to the directions or guidelines issued by the Reserve Bank from time to time, and the Regulatory Authority of the country where the branch is located.

iv) An authorised dealer may borrow in foreign currency from a bank or a financial institution outside India, for the purpose of granting pre-shipment or post-shipment credit in foreign currency to his exporter constituent, subject to compliance with the guidelines issued by the Reserve Bank in this regard.

5. Borrowing and Lending in Foreign Exchange by persons other than authorised dealer:-

(1) An Indian entity may lend in foreign exchange to its wholly owned subsidiary or joint venture abroad constituted in accordance with the provisions of Foreign Exchange Management (Transfer or issue of foreign security) Regulations, 2000.

(2) A person resident in India may borrow, whether by way of loan or overdraft or any other credit facility, from a bank situated outside India, for execution outside India of a turnkey project or civil construction contract or in connection with exports on deferred payment terms, provided the terms and conditions stipulated by the authority which has granted the approval to the project or contract or export in accordance with the Foreign Exchange Management (Export of goods and services) Regulations, 2000.

(3) An importer in India may, for import of goods into India, avail of foreign currency credit for a period not exceeding six months extended by the overseas supplier of goods, provided the import is in compliance with the Export Import Policy of the Government of India in force.

(4) A person resident in India may lend in foreign currency out of funds held in his EEFC account, for trade related purposes to his overseas importer customer:

Provided that,-

a) the aggregate amount of such loans outstanding at any point of time does not exceed US$ 3 million; and

b) where the amount of loan exceeds US$ 25,000, a guarantee of a bank of international repute situated outside India is provided by the overseas borrower in favour of the lender.

(5) Foreign currency loans may be extended by Export Import Bank of India, Industrial Development Bank of India, Industrial Finance Corporation of India, Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited, Small Industries Development Bank of India Limited. or any other institution in India to their constituents in India out of foreign currency borrowings raised by them with the approval of the Central Government for the purpose of onward lending.

6. Other borrowings in foreign exchange with prior approval of Reserve Bank or Government of India:-

(1) A person resident in India who desires to raise foreign currency loans of the nature or for the purposes specified in the Schedule and who satisfies the eligibility and other conditions specified in that Schedule, may apply to the Reserve Bank for approval to raise such loans.

(2) The Reserve Bank may grant its approval subject to such terms and conditions as it may consider necessary;

Provided that while considering the grant of approval, the Reserve Bank shall take into account the overall limit stipulated by it, in consultation with the Central Government, for availment of such loans by the persons resident in India.

(3) Any other foreign currency loan proposed to be raised by a person resident in India, which falls outside the scope of the Schedule, shall require the prior approval of the Central Government.

SCHEDULE

[See Regulation 6]

1. The borrowing in foreign exchange by a person resident in India may be under any of the Schemes set out in this Schedule.

2. The application for the approval of the Reserve Bank under Regulation 6 for borrowing under any of the Schemes shall be made in Form ECB annexed to these Regulations.

3. The borrowing in foreign exchange may be from an overseas bank/export credit agency/supplier of equipment or foreign collaborator, foreign equity holder, NRI, OCB, corporate/institution with a good credit rating from internationally recognised credit rating agency, or from international capital market by way of issue of bonds, floating rate notes or any other debt instrument by whatever name called.

4 The borrower shall not utilise the funds borrowed under any of these Schemes for investment in stock market or in real estate business.

(i) Short term loan scheme

a) Foreign currency credit extended by the overseas supplier of goods to an importer of goods for financing import of goods into India, provided the period of maturity of credit is more than six months but less than three years.

b) Foreign currency loan/credit extended to an importer in India for financing imports into India, by any bank or financial institution outside India, provided the period of maturity of loan/credit is less than three years.

(ii) Borrowing under US dollar Five Million Scheme

Borrowing in foreign exchange upto US$ Five Million or its equivalent by an Indian entity for general corporate purposes at a simple minimum maturity of three years.

(iii) Borrowing under US dollar Ten Million Scheme

Borrowing in foreign exchange not exceeding US$ Ten Million or its equivalent by an Indian entity for the following purposes :

a) Borrowing for Financing of Infrastructure Projects

(i) Borrowing in order to finance equity investment in a subsidiary/joint venture company promoted by the Indian entity for implementing infrastructure projects, provided that the minimum average maturity of loan is three years. In case the loan is to be raised by more than one promoter

entity for a single project, the aggregate of loan by all promoters should not exceed US$ 10 million.

(ii) Foreign currency loan raised by an Indian entity for financing infrastructure project, provided that the minimum average maturity of loan is not less than three years.

b) Borrowings by Exporter/Foreign Exchange Earner

Borrowing in foreign exchange by an exporter/foreign exchange earner upto three times of the average amount of his annual foreign exchange earnings during the previous three years subject to a maximum of US$ Ten million or its equivalent, with a minimum average maturity of three years.

c) Long term Borrowings

Borrowing for general corporate purposes at the minimum average maturity of eight years

(iv) Scheme for raising loans from NRIs on repatriation basis

Borrowings not exceeding US$ 2,50,000 or its equivalent in foreign exchange by an individual resident in India from his close relatives resident outside India, subject to the conditions that –

a) the loan is free of interest;

b) the minimum maturity period of the loan is seven years;

c) The amount of loan is received by inward remittance in free foreign exchange through normal banking channels or by debit to the NRE/FCNR account of the non-resident lender;

d) The loan is utilised for the borrower's personal purposes or for carrying on his normal business activity but not for carrying on agricultural/plantation activities, purchase of immovable property or shares/debentures/bonds issued by companies in India or for re-lending.

Explanation:

"Close relative" means relatives as defined in Section 6 of the Companies Act, 1956.

FORM ECB

Application for permission to raise External Commercial Borrowings under Short Term Loan/Credit/USD 5/10 million Scheme

Instructions:

The application complete in all respects should be submitted in duplicate by the applicant through the authorised dealer designated by him to handle the matters relating to the foreign currency borrowings/credit to the Chief General Manager, Exchange Control Department, Central Office, ECB Division, Reserve Bank of India, Mumbai 400 001. In respect of short term loan/credit for imports, it should be submitted through the authorised dealer through whom the import documents have been received/will be received.

Documentation:

Following documents, (as relevant) duly certified by authorised dealer, should be forwarded with the application·

(i) A copy of offer letter from the overseas lender/supplier furnishing complete details of the terms and conditions of proposed loan/credit arrangement.

(ii) Copies of FIPB/SIA/CCEA approvals wherever applicable.

(iii) In case the application is being made under Exporters'/Foreign Exchange Earners' Scheme, bank certificates in respect of export realisation for past 3 years.

(iv) If the applicant is NBFC, a copy of credit rating awarded by a recognised credit rating agency and copy of RBI registration certificate.

(v) A copy of the import contract, proforma/commercial invoice/Bill of Lading.

(vi) A report from an international credit rating agency of repute, if the lender is other than the recognised category as per ECB Guidelines issued by the Government, from time to time.

(vii) In case the payment for import is through Letter of Credit, a copy of L/C with amendments, if any.

PART- A- CATEGORY OF ECB APPLICATION

The application is being submitted under following scheme :

(Please put (X) in the correct box)

(1) Under short term credit/loan ☐

(2) Under USD 5 million Scheme ☐

(3) Under USD 10 million Scheme ☐

(a) Exporters' /Foreign Exchange Earners' Scheme ☐
(b) Long Term Borrowers' Scheme ☐
(c) Infrastructure Projects ☐
(e) Other (Please specify) ☐

PART-B- GENERAL INFORMATION ABOUT THE BORROWER

1. Name of the applicant
(BLOCK LETTERS)

Address

2.	Status of the applicant firm/ company	Private Sector	Public Sector	NBFC (Indicate RBI Registration Number)

3. Details of foreign Currency Loans (ECB) availed of and/or approval obtained by the applicant during past 3 years under US$ 5 Million Scheme

RBI/GOI approval No. & date	Amount outstanding	Due date of final repayment

4. Details of ECB parked abroad

Sr. No.	Name of the bank	Amount in USD equivalent	No. & date of RBI permission obtained for parking funds abroad and validity period thereof

PART-C-INFORMATION ABOUT THE PROPOSED LOAN/CREDIT

1. Details of the loan/credit

Currency	Amount	US$ equivalent

Purpose of the loan

Nature of ECB [Please put (x) in the appropriate box]

(i) Suppliers' Credit ☐
(ii) Buyers'Credit ☐
(iii) Syndicated Loan ☐
(iv) Export Credit ☐
(v) Loan from foreign Collaborator/ equity holder ☐
(vi) FRN/ Bonds ☐
(vii) Others (please specify) ☐

Terms and conditions of the loan

(i) Rate of interest
(ii) Up front fee
(iii) Management fee
(iv) Other charges, if any (Please specify)
(v) All-in -cost
(vi) Commitment fee
(vii) Rate of Penal interest
(viii) Period of loan
(ix) Grace/ moratorium period
(x) Repayment terms (half yearly/ annually/bullet)
(xi) Average maturity

2. Details of the lender

Name and address of the lender/supplier

3. Nature of security to be provided, if any.

PART D – INFORMATION ABOUT DRAW DOWN AND REPAYMENTS

Proposed schedule			
Dawn down		**Repayment/payment**	
Month And Year	**Amount**	**Principal**	**Interest**

Part –E-Additional Information required for applications under Short Term Credit/Loan

1. Particulars of commodity (ies) to be imported **Description** **Value**

2. Details of imports made/to be made

(A) (i) Payment Terms
(ii) Due date of the import bill
(iii) Extension sought upto
(iv) If import has already been made
Value assessed as per Bill of Entry
(Please enclose a copy)

(B) If goods are yet to be received
(i) Date of shipment
(ii) Whether goods have been sold on high Seas or any such sale is contemplated?

3. Period upto which statement giving details of drawals, utilisation & outstanding has been submitted to RBI for loans raised in the past.

PART F – ADDITIONAL INFORMATION IN RESPECT OF ECB UNDER USD 5./10 MILLION SCHEME

1. **Details of the project**

(i)	Total project cost in USD	
(ii)	Total ECB as a % of project cost	

2. **Export realisation** (USD equivalent) of the applicant during the last 3 years
[To be furnished only in case of applications under Exporters'/Foreign Exchange Earners' Scheme]

PART G – CERTIFICATIONS

1 By the applicant

We hereby certify that -

(i) the particulars given above are true and correct to the best of our knowleldge and belief.

(ii) the credit/loan to be raised will be utilised for the purpose for which it is being applied for vide this application and shall not be utilised for investment in stock market and real estate.

(Signature of Authorised Official of the applicant)

Place_____

Name:_____

Date_____ STAMP Designation_____

2. By the authorised dealer –

We hereby certify that –

(i) the applicant is our customer.

(ii) we have scrutinised the application and the original letter of offer from the lender/supplier and also all the documents relating to the import/proposed import, proposed borrowing /financing arrangement and have found the same to be in order.

(Signature of Authorised Official)

Place _____

Name _____

Date_____ STAMP Name of the Bank/branch_____

A.D.Code_____

[F. No. 1/9/EC/97]

P. R. GOPALA RAO, Executive Director

अधिसूचना

मुम्बई, 3 मई, 2000

सं. फेमा 4/2000-आरबी

सा.का.नि. 387(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (ङ), धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति और भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति के बीच रुपयों में उधार लेने और देने से संबंधित विनियमावली निम्नानुसार बनाता है, अर्थात् :

संस्था या किसी भी संस्था में न ही करेगा, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या पुन: उधार देने के लिये नहीं करेगा,

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपयो में उधार लेना और देना) विनियमावली, 2000 कही जाए ।

(2) ये जून, 2000 के प्रथम दिन को लागू होंगे ।

2. परिभाषा

इस विनियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

क) 'अधिनियम' से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है;

ख) 'प्राधिकृत व्यापारी', 'प्राधिकृत बैंक', 'अनिवासी भारतीय (एनआरआई)', 'भारतीय मूल का व्यक्ति', 'विदेश स्थित कंपनी निकाय (ओसीबी)', 'एनआरई खाता', 'एनआरओ खाता', 'एनआरएनआर खाता' का अर्थ वही होगा जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) के खण्ड (च) के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 में क्रमश: उन्हें दिया गया है;

ग) 'आवास वित्त संस्था' और 'राष्ट्रीय आवास बैंक' का अर्थ वही होगा जो राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) में दिया गया है;

घ) 'अंतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर)' से विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खाता लेनदेन) विनियमावली, 2000 अभिप्रेत है ।

ङ) जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों की परिभाषा इस विनियमावली में नहीं दी गई है, परंतु उक्त अधिनियम में दी गई है उनका अर्थ वही होगा जो क्रमशः उन्हें उक्त अधिनियम में दिया गया है ।

3. रुपयों में उधार लेने और देने पर निषेध

उक्त अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों में अन्यथा प्रावधानित उपबंधों को छोड़कर भारत में निवास करनेवाला कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर निवास करनेवाले किसी भी व्यक्ति से रुपयों में उधार नहीं लेगा, अथवा उसको रुपयों में उधार नहीं देगा।

बशर्ते, रिजर्व बैंक पर्याप्त कारण होने पर भारत में निवास करनेवाले किसी व्यक्ति को भारत के बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति से रुपयों में उधार लेने अथवा उसको रुपयों में उधार देने के लिए अनुमति दे सकता है ।

स्पष्टीकरण

संदेह के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत से बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा भारत में क्रेडिट कार्ड के उपयोग को रुपयों में उधार लेना या उधार देना नहीं समझा जाएगा ।

4. भारत में कंपनियों को छोड़कर व्यक्तियों द्वारा रुपयों में उधार लेना

भारत में निवास करनेवाला कोई व्यक्ति, भारत में नियमित कंपनी न होने पर किसी अनिवासी भारतीय या भारत से बाहर निवास करनेवाले किसी भारतीय मूल के व्यक्ति से अप्रत्यावर्तन के आधार पर रुपयों में उधार निम्नलिखित शर्तों के अधीन ले सकता है :

(i) ऋण की राशि भारत के बाहर से आवक प्रेषण के रूप में अथवा भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी या प्राधिकृत बैंक के पास रखे गये उधारदाता के अनिवासी बाह्य (एनआरई)/ अनिवासी साधारण (एनआरओ)/विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर)/अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय (एनआरएनआर)/ अनिवासी विशेष रुपया (एनआरएसआर) खाते में से प्राप्त की जाएगी;

(ii) ऋण की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी;

(iii) ऋण पर ब्याज की दर ऋण प्राप्त करने की तारीख को प्रचलित बैंक दर से दो प्रतिशत अंक से अधिक नहीं होगी;

(iv) जहां ऋण, उधारदाता के अनिवासी विशेष रुपया (एनआरएसआर) खाते में रखी गई निधियों में से लिया गया हो, वहां ब्याज की अदायगी और ऋण की चुकौती उस खाते में जमा करके की जाएगी, तथा अन्य मामलों में ब्याज की अदायगी और ऋण की चुकौती उधारदाता की इच्छा के अनुसार उधारदाता के अनिवासी साधारण (एनआरओ) या अनिवासी विशेष रुपये (एनआरएसआर) खाते में जमा करके की जाएगी; तथा

(v) उधार ली गई राशि को भारत के बाहर प्रत्यावर्तित करने की अनुमति नहीं होगी ।

5. भारतीय कंपनियों द्वारा रुपयों में उधार लेना

(1) उप-विनियम (2) और (3) के उपबंधों के अधीन, भारत में निगमित कोई कंपनी किसी अनिवासी भारतीय अथवा भारत के बाहर निवास करनेवाले भारतीय मूल के किसी व्यक्ति अथवा विदेश स्थित किसी कंपनी निकाय (ओसीबी) से प्रत्यावर्तन या अप्रत्यावर्तन के आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) में निवेश के रूप में रुपयों में उधार निम्नलिखित शर्तों के अधीन ले सकती है :

i) अपरिवर्तनीय डिबेंचरों का निर्गम सार्वजनिक प्रस्ताव द्वारा किया जाता है;

ii) ऐसे अपरिवर्तनीय डिबेंचरों पर ब्याज की दर उधार लेनेवाली कंपनी की आम सभा में उक्त निर्गम का अनुमोदन करते हुए संकल्प को पारित करने की तारीख को विद्यमान भारतीय स्टेट बैंक की मूल उधार दर (प्राइम लेंडिंग रेट) और (प्लस) 300 आधार अंकों से अधिक न हो;

iii) ऐसे अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) के प्रतिदान की अवधि तीन साल से कम नहीं है;

iv) उधार लेनेवाली कंपनी अंतरणीय विकास अधिकारों (टीडीआर) में कृषि/बागान/भूमि भवन व्यवसाय/व्यापार नहीं करती और नहीं करेगी अथवा निधि या चिट फंड कंपनी के रूप में कार्य नहीं करती या नहीं करेगी;

v) उधार लेनेवाली कंपनी रिजर्व बैंक के निकटतम कार्यालय के पास निम्नलिखित तारीख से अधिक से अधिक 30 दिन के अंदर निम्नांकित विवरण दायर करेगी -

क) अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) में निवेश के लिए प्रेषण की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के अंदर, प्राप्त प्रेषणों के पूरे विवरण, अर्थात् (क) उन अनिवासी भारतीयों (एनआरआई)/ विदेश स्थित कंपनी निकायों (ओसीबी) के नामों और पतों से युक्त सूची जिन्होंने प्रत्यावर्तन और/या अप्रत्यावर्तन के आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) में निवेश के लिए निधियां प्रेषित की है, (ख) प्रेषण की राशि और प्राप्ति की तारीख तथा उसकी रुपये में समतुल्य राशि; और (ग) उन प्राधिकृत व्यापारियों के नाम और पते जिनके माध्यम से प्रेषित राशि प्राप्त की गयी है;

ख) अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) के निर्गम की तारीख से 30 दिन के अंदर, निवेश के पूरे विवरण, अर्थात् - (क) अनिवासी भारतीयों (एनआरआई)/विदेश स्थित कंपनी निकायों (ओसीबी) के नामों और पतों तथा प्रत्यावर्तन और/या अप्रत्यावर्तन के आधार पर उनमें से प्रत्येक को जारी किये गये अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) की संख्या से युक्त सूची तथा (ख) उधार लेनेवाली कंपनी के कंपनी सचिव से इस आशय का प्रमाणपत्र कि अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) के निर्गम के संबंध में अधिनियम, नियमों और विनियमों के सभी उपबंधों का पूर्णतः पालन किया गया है ।

(2) प्रत्यावर्तन के आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के निर्गम द्वारा उधार निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगा, अर्थात् :

क) जारी किये गये अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) की प्रत्येक श्रृंखला के कुल प्रदत्त मूल्य में से अनिवासी भारतीयों (एनआरआई)/विदेश स्थित कंपनी निकायो (ओसीबी) को जारी किये गये अपरिवर्तनीय डिबेंचरो (एनसीडी) का प्रतिशत, संबंधित विनियमों के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट रूप में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए ईक्विटी शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों के निर्गम हेतु निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक नहीं होगा, तथा

ख) निवेश की राशि भारत के बाहर से सामान्य बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से प्रेषण द्वारा अथवा भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी या किसी प्राधिकृत बैंक के पास रखे गये निवेशक के अनिवासी बाह्य (एनआरई)/विदेशी

मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) खाते में धारित निधियों के अंतरण द्वारा प्राप्त की जाती है;

(3) अप्रत्यावर्तन के आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) के निर्गम द्वारा उधार निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगा, अर्थात् :

क) निवेश की राशि या तो सामान्य बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से भारत के बाहर से प्रेषण द्वारा या भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी अथवा प्राधिकृत बैंक के पास रखे गये निवेशक के अनिवासी बाह्य (एनआरडी)/अनिवासी साधारण (एनआरओ)/विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर)/ अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय (एनआरएनआर)/ अनिवासी विशेष रुपया (एनआरएसआर) खाते में धारित निधियों के अंतरण द्वारा प्राप्त की जाती है,

ख) जहां निवेश, अनिवासी विशेष रुपया (एनआरएसआर) खाते में धारित निधियों में से किया जाता है, वहां ऐसे अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) पर ब्याज भी भारत से बाहर प्रत्यावर्तनीय नहीं होगा; और ऐसे डिबेंचरों की परिपक्वता प्राप्ति और उन पर ब्याज केवल निवेशक के अनिवासी विशेष रुपया (एनआरएसआर) खाते में ही जमा किया जाता है ।

6. उधार ली गई निधियों के उपयोग पर प्रतिबंध

भारत में निवास करनेवाला कोई भी व्यक्ति जिसने भारत के बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति से रुपयों में उधार लिया हो, -

(1) इस प्रकार उधार ली गई निधियों का उपयोग निम्नलिखित को छोड़कर अपने स्वयं के व्यवसाय के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा -

i) चिट फंड का कारोबार या
ii) निधि कंपनी के रूप में, या
iii) कृषि या बागान के कार्यकलाप या भूमि-भवन का कारोबार; अथवा फार्म हाउसों का निर्माण अथवा
iv) अंतरणीय विकास अधिकारों (टीडीआर) में व्यापार ।

(2) ऐसी उधार ली गई निधियों का उपयोग किसी भी निवेश के लिए, चाहे पूंजी के रूप में या अन्य प्रकार से, किसी भी कंपनी या साझेदारी फर्म या स्वामित्ववाली संस्था या किसी भी संस्था में नहीं करेगा, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या पुन: उधार देने के लिए नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण

खंड (1) के उप-खंड (iii) के प्रयोजन के लिए भूमि और भवन (रियल एस्टेट) के कारोबार में उपनगरों का विकास, आवासीय/वाणिज्यिक परिसरों, सडकों या पुलों का निर्माण शामिल नहीं होगा ।

7. भारत में शेयरों या अचल संपत्ति की जमानत पर अनिवासियों को रुपया ऋण

इस संबंध में समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निदेशों के अधीन, भारत में कोई भी प्राधिकृत व्यापारी किसी अनिवासी भारतीय को ऋण निम्नलिखित आधार पर प्रदान कर सकता है :

क) उधारकर्ता के नाम धारित शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर, अथवा

ख) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अधिग्रहण और अंतरण) विनियमावली, 2000 के अनुसार उसके द्वारा धारित अचल संपत्ति (कृषि या बागान संपत्ति या फार्म हाउस को छोड़कर अन्य) की जमानत पर :

बशर्ते

क) ऋण का उपयोग उधारकर्ता की निजी आवश्यकताओं की पूर्ति या उसके स्वयं के व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए किया जाएगा; और

ख) ऋण का उपयोग अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर निम्नलिखित ऐसे किसी भी कार्यकलाप के लिए, जिसमें भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्तियों द्वारा निवेश की मनाही है, नहीं किया जाएगा, अर्थात् :

i) चिट फंड का कारोबार या

ii) निधि कंपनी के रूप में, या

iii) कृषि या बागान के कार्यकलाप या भूमि-भवन का कारोबार; अथवा फार्म हाउसों का निर्माण अथवा

iv) अंतरणीय विकास अधिकारों (टीडीआर) में व्यापार ।

स्पष्टीकरण

परंतुक की मद सं.(iii) के प्रयोजन के लिए भूमि और भवन के कारोबार में उपनगरों का विकास, आवासीय/वाणिज्यिक परिसरों, सडकों या पुलों का निर्माण शामिल नहीं होगा ।

ग) शेयरों/प्रतिभूतियों/अचल संपत्ति की जमानत पर दिये जानेवाले अग्रिमों के संबंध में रिजर्व बैंक के निदेशों का विधिवत् पालन किया जाएगा;

घ) ऋण की राशि उधारकर्ता के अनिवासी बाह्य (एनआरई)/अनिवासी साधारण (एनआरओ)/विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर)/अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय (एनआरएनआर) खाते में जमा नहीं की जाएगी ।

ङ) ऋण की राशि भारत से बाहर नहीं भेजी जाएगी;

च) ऋण की चुकौती सामान्य बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से भारत के बाहर से होनेवाले प्रेषणों में से अथवा उधारकर्ता के अनिवासी साधारण (एनआरओ)/अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय (एनआरएनआर)/अनिवासी बाह्य (एनआरई)/विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) खाते में नामे डालकर अथवा उन शेयरों या प्रतिभूतियों या अचल संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि में से जिनकी/जिसकी जमानत पर ऐसा ऋण प्रदान किया गया हो, की जाएगी ।

४. अनिवासी को रुपयों में आवास ऋण प्रदान करना

भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित कोई भी प्राधिकृत व्यापारी या कोई आवास वित्त संस्था किसी अनिवासी भारतीय या भारत के बाहर निवास करनेवाले भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को आवासीय स्थान का अधिग्रहण करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवास ऋण प्रदान कर सकता है, अर्थात् :

क) ऋणों की मात्रा, मार्जिन राशि और चुकौती की अवधि भारत में निवास करनेवाले व्यक्ति को प्रदान किये जानेवाले आवासीय वित्त के संबंध में लागू इन शर्तों के समान ही होंगी;

ख) ऋण की राशि उधारकर्ता के अनिवासी बाह्य (एनआरई)/विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर)/अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय (एनआरएनआर) खाते में जमा नहीं की जाएगी;

ग) ऋण अधिग्रहण किये जाने हेतु प्रस्तावित संपत्ति के साम्यिक बंधक, और यदि आवश्यक हो तो उधारकर्ता की भारत में स्थित अन्य आस्तियों पर ग्रहणाधिकार द्वारा भी, पूर्णतः सुरक्षित रखा जाएगा;

घ) ऋण की किस्त, ब्याज और अन्य प्रकार, यदि कोई हो, की अदायगी उधारकर्ता द्वारा सामान्य बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से भारत के बाहर से किये गये प्रेषणों द्वारा अथवा भारत में स्थित उसके अपने अनिवासी बाह्य (एनआरई)/विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर)/अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय (एनआरएनआर)/ अनिवासी साधारण (एनआरओ)/अनिवासी विशेष रुपया (एनआरएसआर) खाते में स्थित निधियों में से की जाएगी;

ङ) ऋण पर ब्याज की दर रिजर्व बैंक द्वारा अथवा, स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी किये गये निदेशों के अनुरूप होगी ।

9. ऐसे निवासी व्यक्ति को रुपया ऋण/ओवरड्राफ्ट जारी रखना जो भारत के बाहर निवास करनेवाला व्यक्ति बन जाता है

कोई प्राधिकृत व्यापारी अथवा, स्थिति के अनुसार, कोई प्राधिकृत बैंक भारत में निवास करनेवाले ऐसे किसी व्यक्ति जो बाद में भारत के बाहर निवास करनेवाला व्यक्ति बन जाता है, को प्रदत्त ऋण/ओवरड्राफ्ट जारी रखने की अनुमति निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन दे सकता है :

क) प्राधिकृत व्यापारी या प्राधिकृत बैंक उक्त ऋण या ओवरड्राफ्ट जारी रखने के कारणों के बारे में अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार संतुष्ट है;

ख) ऋण या ओवरड्राफ्ट की अवधि उक्त ऋण या ओवरड्राफ्ट प्रदान करते समय मूल रूप से निर्धारित अवधि से अधिक नहीं होगी;

ग) जब तक उधारकर्ता भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति के रूप में रहना जारी रखता है, तब तक चुकौती सामान्य बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से भारत के बाहर से किये गये आवक प्रेषण द्वारा अथवा उधारकर्ता के अनिवासी बाह्य (एनआरई)/विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर)/ अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय (एनआरएनआर)/अनिवासी साधारण (एनआरओ)/अनिवासी विशेष रुपया (एनआरएसआर) खाते में धारित निधियों से की जाएगी ।

10. उधारदाता की आवासीय स्थिति में परिवर्तन होने पर रुपया ऋण जारी रखना

यदि भारत में निवास करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा भारत में निवास करनेवाले किसी अन्य व्यक्ति को रुपया ऋण प्रदान किया गया है तथा उधारदाता बाद में अनिवासी बन जाता है, तो निवासी उधारकर्ता द्वारा ऋण की चुकौती, उधारदाता की इच्छानुसार भारत में स्थित किसी बैंक में रखे गये उधारदाता के अनिवासी साधारण (एनआरओ) या अनिवासी विशेष रुपया (एनआरएसआर) खाते में जमा करके की जानी चाहिए ।

11. भारत मे बाहर स्थित किसी बैंक द्वारा भारत में प्राधिकृत व्यापारी के पास रखे गये रुपया खाते में ओवरड्राफ्ट

प्राधिकृत व्यापारी अपनी विदेश स्थित शाखा या भारत से बाहर स्थित संवाददाता या प्रधान कार्यालय द्वारा उसके पास रखे गये रुपया खातों में पांच सौ लाख रुपये से अनधिक मूल्य के लिए अस्थायी ओवरड्राफ्ट की अनुमति ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन दे सकता है जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निदेश दिया जाए ।

स्पष्टीकरण

इस विनियम के अंतर्गत पांच सौ लाख रुपये की उच्चतम सीमा का परिकलन करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भारत से बाहर स्थित उसकी सभी शाखाओं संवाददाताओं और प्रधान कार्यालय को अनुमत ओवरड्राफ्टों की कुल राशि जो भारत में स्थित उसकी सभी शाखाओं की बहियों में बकाया हो, को हिसाब में लिया जाएगा ।

[फा. सं. 1/9/ई सी/97]

पी. आर. गोपाल राव, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd May, 2000

No. FEMA 4/2000-RB

G.S.R. 387(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (3) of Section 6, sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the regulations relating to borrowing and lending in rupees between a person resident in India and a person resident outside India as under, namely :

1. Short title and commencement:-

(1) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Rupees) Regulations, 2000.

(2) They shall come into force on 1st day of June, 2000.

2. Definitions:-

In these Regulations, unless the context requires otherwise, -

a) 'Act' means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);

b) 'authorised dealer', 'authorised bank', 'Non-resident Indian (NRI)', 'Person of Indian origin', 'Overseas Corporate Body (OCB)', 'NRE account', 'NRO account', 'NRNR account', 'NRSR account', and 'FCNR account' shall have the same meanings as assigned to them respectively in Foreign Exchange Management (Deposits) Regulations, 2000 made by Reserve Bank under clause (f) of sub-section (3) of section 6 of the Act;

c) 'housing finance institution' and National Housing Bank' shall have the meaning assigned to them in the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987);

d) 'Transferable Development Rights (TDR)' shall have the meaning as assigned to it in the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) Regulations, 2000.

e) The words and expressions not defined in these regulations but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Prohibition on borrowing and lending in rupees:-

Save as otherwise provided in the Act, rules or regulations made thereunder, no person resident in India shall borrow in rupees from, or lend in rupees to, a person resident outside India.

Provided that the Reserve Bank may, for sufficient reasons, permit a person resident in India to borrow in rupees from, or lend in rupees to, a person resident outside India.

Explanation:

For the removal of doubt, it is clarified that use of Credit Card in India by a person resident outside India shall not be deemed as borrowing or lending in rupees.

4. Borrowing in rupees by persons other than companies in India:-

A person resident in India, not being a company incorporated in India, may borrow in rupees on non-repatriation basis from a non-resident Indian or a person of Indian origin resident outside India, subject to the following conditions:

(i) the amount of loan shall be received by way of inward remittance from outside India or out of Non-resident External (NRE)/Non-resident Ordinary (NRO)/Foreign Currency Non-resident (FCNR)/Non-resident Non-repatriable (NRNR)/Non-resident Special Rupee (NRSR) account of the lender maintained with an authorised dealer or an authorised bank in India,

(ii) the period of loan shall not exceed three years;

(iii) the rate of interest on the loan shall not exceed two percentage points over the Bank rate prevailing on the date of availment of loan;

(iv) where the loan is made out of funds held in Non-resident Special Rupee (NRSR) account of the lender, payment of interest and repayment of loan shall be made by credit to that account; and in other cases, payment of interest and repayment of loan shall be made by credit to the lender's Non-resident Ordinary (NRO) or Non-resident Special Rupee (NRSR) account as desired by the lender; and

(v) the amount borrowed shall not be allowed to be repatriated outside India.

5. Borrowing in rupees by Indian companies:-

(1) Subject to the provisions of sub-regulations (2) and (3), a company incorporated in India may borrow in rupees on repatriation or non- repatriation basis, from a non-resident Indian or a person of Indian origin resident outside India or an overseas

corporate body (OCB), by way of investment in Non-convertible Debentures (NCDs) subject to the following conditions;

i) the issue of Non-convertible Debentures (NCDs) is made by public offer;

ii) the rate of interest on such Non-convertible Debentures (NCDs) does not exceed the prime lending rate of the State Bank of India as on the date on which the resolution approving the issue is passed in the borrowing company's General Body Meeting, plus 300 basis points,

iii) the period for redemption of such Non-convertible Debentures (NCDs) is not be less than three years;

iv) the borrowing company does not and shall not carry on agricultural /plantation /real estate business/Trading in Transferable Development Rights (TDRs) or does not and shall not act as Nidhi or Chit Fund company;

v) the borrowing company files with the nearest office of the Reserve Bank, not later than 30 days from the date -

(A) of receipt of remittance for investment in Non-convertible Debentures (NCDs), full details of the remittances received, namely; (a) a list containing names and addresses of Non-resident Indians (NRIs)/Overseas Corporate Bodies (OCBs) who have remitted funds for investment in Non-convertible Debentures (NCDs) on repatriation and/or non-repatriation basis, (b) amount and date of receipt of remittance and its rupee equivalent; and (c) names and addresses of authorised dealers through whom the remittance has been received;

(B) of issue of Non-convertible Debentures (NCDs), full details of the investment, namely; (a) a list containing names and addresses of Non-resident Indians (NRIs)/Overseas Corporate Bodies (OCBs) and number of Non-convertible Debentures (NCDs) issued to each of them on repatriation and/or non-repatriation basis and (b) a certificate from the Company Secretary of the borrowing company that all provisions of the Act, rules and regulations in regard to issue of Non-convertible Debentures (NCDs) have been duly complied with.

(2) The borrowing by issue of non-convertible debentures on repatriation basis shall be subject to the following additional conditions, namely:

(a) the percentage of Non-convertible Debentures (NCDs) issued to Non-resident Indians (NRIs)/Overseas Corporate Bodies (OCBs) to the total paid-up value of each series of Non-convertible Debentures (NCDs) issued shall not exceed the ceiling prescribed for issue of equity shares/ convertible debentures for foreign direct investment in India as specified by the Reserve Bank from time to time, under the relevant regulations, and

(b) the amount of investment is received by remittance from outside India through normal banking channels or by transfer of funds held in the investor's Non-resident External (NRE)/Foreign Currency Non-resident (FCNR) account maintained with an authorised dealer or an authorised bank in India;

(3) The borrowing by issue of non-convertible debentures (NCDs) on non-repatriation basis shall be subject to the following additional conditions, namely:

a) the amount of investment is received either by remittance from outside India through normal banking channels or by transfer of funds held in the investor's Non-resident External (NRE)/Non-resident Ordinary (NRO)/Foreign Currency Non-resident (FCNR)/Non-resident Non-repatriable (NRNR)/Non-resident Special Rupee (NRSR) account maintained with an authorised dealer or an authorised bank in India ,

b) where the investment is made out of funds held in Non-resident Special Rupee (NRSR) account, the interest on such Non-convertible Debentures (NCDs) shall also not be repatriable outside India; and the maturity proceeds and interest on such debentures are credited only to the Non-resident Special Rupee (NRSR) account of the investor.

6. Restriction on use of borrowed funds:-

No person resident in India who has borrowed in rupees from a person resident outside India,-

(1) shall use such borrowed funds for any purpose except in his own business other than -

(i) the business of chit fund, or

(ii) as Nidhi Company , or

(iii) agricultural or plantation activities or real estate business; or construction of farm houses or

(iv) trading in Transferable Development Rights (TDRs).

(2) shall use such borrowed funds for any investment, whether by way of capital or otherwise, in any company or partnership firm or proprietorship concern or any entity, whether incorporated or not, or for relending.

Explanation:

For the purpose of sub-clause (iii) of clause (1), real estate business shall not include development of townships, construction of residential/ commercial premises, roads or bridges.

7. Loans in rupees to non-residents against security of shares or immovable property in India :-

Subject to the directions issued by the Reserve Bank from time to time in this regard, an authorised dealer in India may grant loan to a non-resident Indian,

A) against the security of shares or other securities held in the name of the borrower, or

B) against the security of immovable property (other than agricultural or plantation property or farm house), held by him in accordance with the Foreign Exchange Management (Acquisition and transfer of immovable property in India) Regulations, 2000:

Provided that

a) the loan shall be utilised for meeting the borrower's personal requirements or for his own business purposes; and

b) the loan shall not be utilised, either singly or in association with other person, for any of the activities in which investment by persons resident outside India is prohibited, namely;

(i) the business of chit fund, or

(ii) Nidhi Company , or

(iii) agricultural or plantation activities or in real estate business, or construction of farm houses; or

(iv) trading in Transferable Development Rights (TDRs).

Explanation

For the purpose of item (iii) of proviso, real estate business shall not include development of townships, construction of residential/ commercial premises, roads or bridges.

c) the Reserve Bank's directives on advances against shares/ securities /immovable property shall be duly complied with;

d) the loan amount shall not be credited to Non-resident External (NRE)/Non-resident Ordinary (NRO)/Foreign Currency Non-resident (FCNR)/Non-resident Non-repatriable (NRNR) account of the borrower;

e) the loan amount shall not be remitted outside India;

f) repayment of loan shall be made from out of remittances from outside India through normal banking channels or by debit to the Non-resident Ordinary (NRO)/Non-resident Special Rupee (NRSR)/Non-resident Non-repatriable (NRNR)/Non-resident External (NRE)/Foreign Currency Non-resident (FCNR) account of the borrower or out of the sale proceeds of the shares or securities or immovable property against which such loan was granted.

8. Providing housing loan in rupees to a non-resident :-

An authorised dealer or a housing finance institution in India approved by the National Housing Bank may provide housing loan to a non-resident Indian or a person of Indian origin resident outside India, for acquisition of a residential accommodation in India, subject to the following conditions, namely:

a) the quantum of loans, margin money and the period of repayment shall be at par with those applicable to housing finance provided to a person resident in India;

b) the loan amount shall not be credited to Non-resident External (NRE) / Foreign Currency Non-resident (FCNR)/Non-resident Non-repatriable (NRNR) account of the borrower;

c) the loan shall be fully secured by equitable mortgage of the property proposed to be acquired, and if necessary, also by lien on the borrower's other assets in India;

d) the instalment of loan, interest and other charges, if any, shall be paid by the borrower by remittances from outside India through normal banking channels or out of funds in his Non-resident External (NRE)/Foreign Currency Non-resident(FCNR)/Non-resident Non-repatriable (NRNR)/ Non-resident Ordinary

(NRO)/ Non-resident Special Rupee (NRSR) account in India, or out of rental income derived from renting out the property acquired by utilisation of the loan;

e) the rate of interest on the loan shall conform to the directives issued by the Reserve Bank or, as the case may be, by the National Housing Bank.

9. Continuance of rupee loan/Overdraft to resident who becomes a person resident outside India :-

An authorised dealer or, as the case may be, an authorised bank, may allow continuance of loan/overdraft granted to a person resident in India who subsequently becomes a person resident outside India, subject to following terms and conditions:

a) the authorised dealer or the authorised bank is satisfied, according to his/its commercial judgement, about the reasons to continue the loan or overdraft;

b) the period of loan or overdraft shall not exceed the period originally fixed at the time of granting the loan or overdraft;

c) so long as the borrower continues to remain a person resident outside India, the repayment shall be made either by inward remittance from outside India through normal banking channels or from the funds held in Non-resident External (NRE)/Foreign Currency Non-resident(FCNR)/Non-resident Non-repatriable (NRNR)/ Non-resident Ordinary (NRO)/ Non-resident Special Rupee (NRSR) account of the borrower.

10. Continuance of rupee loan in the event of change in the residential status of the lender :-

In case a rupee loan was granted by a person resident in India to another person resident in India and the lender subsequently becomes a non-resident, the repayment of the loan by the resident borrower should be made by credit to the Non-resident Ordinary (NRO) or Non-resident Special Rupee (NRSR) account of the lender maintained with a bank in India, at the option of the lender.

11. Overdraft in rupee account maintained with authorised dealer in India by a bank outside India :-

An authorised dealer may permit a temporary overdraft, for value not exceeding Rs five hundred lakhs, in rupee accounts maintained with him by his overseas branch or correspondent or Head Office outside India, subject to such terms and conditions as the Reserve Bank may direct from time to time.

Explanation:

For the purpose of calculating the ceiling of Rupees five hundred lakhs under this Regulation, the aggregate amount of overdrafts permitted by the authorised dealer to all his branches, correspondents and Head Office outside India outstanding in the books of all his branches in India, shall be taken into account.

[F. No. 1/9/EC/97]

P. R. GOPALA RAO, Executive Director

1291 GI/2000—4B.

अधिसूचना

मुम्बई, 3 मई, 2000

सं. फेमा 5/2000-आरबी

सा.का.नि. 388(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (च), धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (क), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में निवास कर रहे किसी व्यक्ति तथा भारत के बाहर निवास कर रहे व्यक्ति के बीच जमा राशियों के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता है :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 कहा जाएगा ।

ii) ये पहली जून, 2000 से लागू होंगे ।

2. परिभाषा

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

i) "अधिनियम" से अभिप्रेत विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) है ;

ii) "प्राधिकृत बैंक" से अभिप्रेत सहकारी बैंक-सहित ऐसे बैंक (प्राधिकृत व्यापारी को छोड़कर) जिसे भारत से बाहर निवास कर रहे किसी व्यक्ति के खाते रखने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो ;

iii) "प्राधिकृत व्यापारी" से अभिप्रेत ऐसा व्यक्ति है जिसे इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी के रूप में प्राधिकृत किया गया हो ;

iv) "जमाराशियों" में किसी बैंक, कंपनी, स्वामित्ववाली संस्था, भागीदारी फर्म, निगमित निकाय, न्यास अथवा किसी अन्य व्यक्ति के पास जमा धन शामिल होगा ;

v) "एफसीएनआर (बी) खाते" से तात्पर्य विनियम 5 के उपनियम (1) के खंड II में संदर्भित विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते से होगा ;

vi) "अनिवासी भारतीय" से अभिप्रेत भारत से बाहर रह रहे ऐसा व्यक्ति है जो भारत का नागरिक हो अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति हो ;

vii) "एनआरई खाता" से अभिप्रेत विनियम 5 के उपविनियम (1) के खंड (i) में संदर्भित अनिवासी बाह्य खाता है ;

viii) "एनआरओ खाता" से अभिप्रेत विनियम 5 के उपविनियम (1) के खंड (iii) में संदर्भित अनिवासी साधारण खाता है ;

ix) "एनआरएनआर खाता" से अभिप्रेत विनियम 5 के उपविनियम (1) के खंड (iv) में संदर्भित अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय खाता है ;

x) "एनआरएसआर खाते" से अभिप्रेत विनियम 5 के उपविनियम (1) के खंड (V) में संदर्भित अनिवासी (विशेष) रुपया खाता है ;

xi) "विदेशी निगमित निकाय" से अभिप्रेत ऐसी कंपनी, भागीदारी फर्म, समिति तथा अन्य निगमित निकाय जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनिवासी भारतीयों के कम-से-कम साठ प्रतिशत स्वामित्व में हो तथा इसमें वे विदेश स्थित न्यास भी शामिल होंगे जिनमें अनिवासी भारतीयों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कम से कम 60 प्रतिशत का लाभकारी हित निहित हो और वह अपरिवर्तनीय हो ;

xii) "भारतीय मूल के व्यक्ति" से तात्पर्य बांगला देश और पाकिस्तान को छोड़कर किसी भी अन्य देश के नागरिक से होगा, यदि -

क) वह कभी भारतीय पासपोर्ट धारक रहा हो;

अथवा

ख) वह स्वयं या उसके माता-पिता अथवा उसके नाना-नानी/दादा-दादी में से कोई भारतीय संविधान अथवा नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के कारण भारत का नागरिक रहा हो ;

अथवा

(ग) वह भारतीय नागरिक अथवा उपखंड (क) अथवा (ख) में संदर्भित व्यक्ति का पति/पत्नी हो।

xiii) "अनुसूची" से तात्पर्य इन विनियमों की अनुसूची से होगा

xiv) इन विनियमों में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में दिये गये हैं।

3. भारत में रह रहे तथा भारत से बाहर रह रहे व्यक्ति के बीच जमाराशियों पर प्रतिबंध

अधिनियम अथवा विनियमों अथवा अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये अथवा जारी किये गये नियमों, निदेशों तथा आदेशों में अन्यथा रूप से किये गये उपबंधों को छोड़कर, भारत में निवास कर रहा कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर निवास कर रहे किसी व्यक्ति से न तो कोई जमाराशि स्वीकार करेगा और न ही उसे कोई जमाराशि देगा।

लेकिन, भारतीय रिज़र्व बैंक आवेदन प्राप्त होने पर और इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, भारत में निवास कर रहे किसी व्यक्ति को भारत से बाहर रह रहे किसी व्यक्ति से जमाराशियाँ स्वीकार करने अथवा उसे जमाराशियां देने की अनुमति प्रदान कर सकता है।

4. छूट

इन विनियमों में निहित कोई भी प्रावधान निम्नलिखित जमाराशियों पर लागू नहीं होगा :

1) विदेशी राजनयिक मिशन अथवा राजनयिकों अथवा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास रुपया खातों में धारित जमाराशियाँ।

2) राजनयिक मिशनों तथा राजनयिकों द्वारा विशेष रुपया खातों अर्थात् डिप्लोमेटिक बांड स्टोर्स अकाउंट में धारित जमाराशियाँ, जो बांड में स्टोर्स के आयात के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा विशेष सुविधाओं के रूप में उन्हें इसलिए मंजूर की गई है कि वे फर्मों और कंपनियों से बांडेड स्टॉक खरीद सकें, बशर्ते :

   क) खाते में जमा सामान्य बैंकिंग माध्यमों के जरिये भारत के बाहर से प्राप्त प्रेषणों के रूप में अथवा इस विनियम के खंड 3 के अनुसार किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास खाताधारक द्वारा भारत में खोले गये विदेशी मुद्रा खाते से अंतरण के रूप में हों ;

   ख) खाता धारक को जारी किये गये प्रत्येक चेक पर "डिप्लोमेटिक बांड स्टोर्स अकाउंट नं." लिखा हो ;

   ग) खातों में नामे स्थानीय संवितरणों अथवा बांड में स्टोर्स के आयात के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा विशेष सुविधाएं प्राप्त फर्मों और कंपनियों से बांडेड स्टॉक की खरीद के लिए भुगतानों हेतु होंगे ;

घ) खाते में से भारत के बाहर निधियों का प्रत्यावर्तन रिज़र्व बैंक के बिना अनुमोदन के किया जा सकता है।

3) भारत में राजनयिक मिशनों तथा राजनयिकों द्वारा विदेशी मुद्रा में रखे गये खातों में धारित जमाराशियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :

क) खाते में जमा सामान्य बैंकिंग माध्यमों के जरिये भारत से बाहर से प्राप्त प्रेषणों के रूप में ही होगी ;

ख) ऐसे खाते में धारित निधियों को यदि रुपये में परिवर्तित किया जाता है तो उन्हें पुनः विदेशी मुद्रा में परिवर्तित नहीं किया जायेगा ;

ग) खाता चालू अथवा मीयादी जमा खाते के रूप में रखा जाये, तथा राजनयिकों के मामले में बचत खाते के रूप में भी रखा जा सकता है;

घ) बचत अथवा मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दर उस प्राधिकृत व्यापारी द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार होगी जिसके पास खाता खोला गया हो;

ङ) खाते में से निधियों का भारत से बाहर प्रत्यावर्तन रिज़र्व बैंक के बिना अनुमोदन के किया जा सकता है।

4) नेपाल और भूटान में निवास कर रहे व्यक्तियों द्वारा किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास रुपये में खोले गये खातों में धारित जमाराशियां ;

5) संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत में इसकी सहायक/संबद्ध संस्थाओं तथा भारत में उसके अथवा उनके कर्मचारियों द्वारा किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास खोले गये खातों में धारित जमाराशियां।

5. भारत से बाहर रह रहे व्यक्तियों से प्राधिकृत व्यापारी/प्राधिकृत बैंक द्वारा जमाराशियां स्वीकार किया जाना

1) भारत में कोई प्राधिकृत व्यापारी निम्नानुसार जमाराशियां स्वीकार कर सकता है :

i) अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट अनिवासी (बाह्य) खाता योजना (एनआरई खाता) के अंतर्गत अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय से ;

ii) अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता बैंक योजना (एफसीएनआर-बी खाता) के अंतर्गत अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय से ;

iii) अनुसूची 3 में यथाविनिर्दिष्ट अनिवासी (साधारण) खाता योजना (एनआरओ खाता) के अंतर्गत, भारत से बाहर निवास कर रहे किसी भी व्यक्ति से ;

iv) अनुसूची 4 में यथाविनिर्दिष्ट अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया खाता योजना (एनआरएनआर खाता) के अंतर्गत, भारत से बाहर निवास कर रहे किसी भी व्यक्ति से ;

v) अनुसूची 5 में यथाविनिर्दिष्ट अनिवासी (विशेष) रुपया खाता योजना (एनआरएसआर खाता) के अंतर्गत, अनिवासी भारतीय से ।

2) उप विनियम (1) के उपबंधों पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, उप विनियम के खंड (i), (iii) और (v) में संदर्भित एनआरई, एनआरओ तथा एनआरएसआर खाता योजनाओं के अंतर्गत प्राधिकृत बैंक द्वारा संबंधित अनुसूचियों में किये गये उपबंधों के अनुसार जमाराशियां भी स्वीकार की जा सकती हैं ।

6. प्राधिकृत व्यापारी द्वारा धारित अथवा जमा की गई अन्य राशियां

किसी प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भारत से बाहर अपनी शाखा, प्रधान कार्यालय, अथवा संपर्ककर्ता को प्रेषित जमाराशियां तथा किसी प्राधिकृत व्यापारी के भारत से बाहर के संपर्ककर्ता अथवा शाखा द्वारा की गई ऐसी जमाराशियां जो भारत में उसकी बहियों में धारित हों, रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निदेशों से शासित होंगी ।

7. प्राधिकृत व्यापारी/प्राधिकृत बैंक को छोड़कर अन्य व्यक्तियों द्वारा जमाराशियां स्वीकार किया जाना

1) कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कोई कंपनी अथवा कोई निगमित निकाय अथवा संसद या विधान सभा द्वारा पारित किसी अधिनियम के अंतर्गत सृजित कोई निकाय अनुसूची 6 में दी गई शर्तों के अधीन प्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी अनिवासी भारतीय से जमाराशियां स्वीकार कर सकता है ।

2) कोई भारतीय कंपनी, भारत स्थित कोई स्वामित्ववाली संस्था अथवा कोई फर्म, अनुसूची 7 में दी गई शर्तों के अधीन प्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी अनिवासी भारतीय से जमाराशियां स्वीकार कर सकती है।

8. कतिपय अन्य मामलों में जमाराशियां

1) अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट्स अथवा ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट्स के जरिये संसाधन जुटाने अथवा विदेशी वाणिज्यिक उधार लेने के संबंध में निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन, इस प्रकार जुटाई गई निधियां, उनके उपयोग अथवा भारत को प्रत्यावर्तित होने तक, भारत से बाहर किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खातों में जमा के तौर पर रखी जा सकती हैं।

2) किसी अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय को वाणिज्यिक पत्र जारी करके किसी भारतीय कंपनी द्वारा स्वीकार की गई जमाराशियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :

क) ऐसा निर्गम, वाणिज्यिक पत्र जारी करके जमाराशियां स्वीकार करने के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी गैर-बैंकिंग कंपनियां (वाणिज्यिक पत्र के जरिये जमाराशियों के स्वीकरण) निदेश 1989 के साथ-साथ भारत सरकार अथवा अन्य किसी विनियामक प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य किसी कानून, नियम, निर्देश, आदेशों का विधिवत अनुपालन करके किया गया हो ;

ख) वाणिज्यिक पत्र के निर्गम के लिए भुगतान की प्राप्ति सामान्य बैंकिंग माध्यमों के जरिये भारत से बाहर से आवक प्रेषण के रूप में जारीकर्ता कंपनी से हुई हो अथवा किसी अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय द्वारा खोले गये जमा खाते में धारित निधियों में से, इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार प्राप्त हुई हो ;

ग) वाणिज्यिक पत्र में निवेशित राशि भारत से बाहर प्रत्यावर्तन के लिए पात्र नहीं होगी; तथा

घ) वाणिज्यिक पत्र हस्तांतरणीय नहीं होंगे ।

9. रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से प्राधिकृत व्यापारी द्वारा जमाराशियां स्वीकार करना

रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से कोई प्राधिकृत व्यापारी भारत से बाहर निवास कर रहे किसी व्यक्ति के नाम में विदेशी मुद्रा में अभिव्यक्त खाता खोल सकता है जिसका प्रयोजन ऐसे व्यक्ति द्वारा भारत में निवास कर रहे किसी व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक रूप से की गई व्यवस्था के अनुसार भारत से निर्यात की गई वस्तुओं के मूल्य पर भारत में आयात की गई वस्तुओं के मूल्य का समायोजन करना हो ।

10. नामांकन

प्राधिकृत व्यापारी निम्नलिखित जमा खातों के संबंध में नामांकन की सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं :

क) एनआरई, एफसीएनआर(बी), एनआरओ, एनआरएनआर तथा एनआरएसआर खाता योजनाओं के अंतर्गत व्यक्तिगत खाता धारकों के खातों के संबंध में; तथा

ख) विनियम 4 के उपविनियम (1), (2) तथा (3) के अंतर्गत राजनयिकों द्वारा खोले गये खातों के संबंध में ।

अनुसूची 1

[विनियम 5(1)(i)]

अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना

1. पात्रता

अनिवासी भारतीयों तथा विदेश स्थित निगमित निकायों को प्राधिकृत व्यापारियों तथा ऐसे खाते खोलने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंकों (सहकारी बैंकों-सहित) के पास खाते खोलने और बनाये रखने के लिए अनुमति दी गई है।

अनिवासी भारतीय द्वारा स्वयं, न कि भारत में उसके अटर्नी अधिकार धारक द्वारा, खाता खोला जाना चाहिए।

टिप्पणी : बांगला देश/पाकिस्तान राष्ट्रिकता वाले नागरिकों/स्वामित्ववाले निकायों के नाम में एनआरई खाता खोलने के लिए रिज़र्व बैंक का अनुमोदन आवश्यक है।

2. खातों के प्रकार

खाते किसी भी रूप में, अर्थात् बचत, चालू, आवर्ती अथवा सावधि जमा खाते आदि के रूप में खोले जा सकते हैं।

3. अनुमत जमा

क) किसी भी अनुमत करेंसी में भारत को विप्रेषण की उपचित राशि।

ख) अपने विदेशी मुद्रा खाते में खाताधारक द्वारा आहरित व्यक्तिगत चेक तथा यात्री चेकों की राशि भारतीय रुपये में अभिव्यक्त ऐसे लिखतों जिनकी प्रतिपूर्ति विदेशी मुद्रा में की जायेगी सहित अनुमत करेंसी में देय बैंक ड्राफ्ट, भारत में अपने अस्थायी दौरे के दौरान खाताधारक द्वारा जमा की गई राशि, बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी/बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि खाताधारक अभी भी भारत से बाहर रह रहा है, यात्री चेक/ड्राफ्ट खाताधारक के नाम में/उसे पृष्ठांकित हैं, तथा यात्री चेक के मामले में इस बात से संतुष्ट हो कि वे भारत के बाहर जारी किये गये थे।

ग) भारत में अस्थाई दौरे के दौरान खाताधारक द्वारा विदेशी मुद्रा/बैंक नोटों की जमा की गई राशि, बशर्ते (i) जहां लागू हो वहां राशि की घोषणा मुद्रा घोषणा फार्म में की गई थी, तथा (ii)

खाताधारक ने स्वयं प्राधिकृत व्यापारी को नोट प्रस्तुत किये हों और प्राधिकृत व्यापारी इस बात से संतुष्ट हो कि खाताधारक भारत से बाहर रहने वाला व्यक्ति है

घ) अन्य एनआरई/एफसीएनआर खातों से अंतरण

ङ) खाते में धारित निधियों पर उपचित ब्याज

च) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज तथा पारस्परिक निधियों के यूनिटों पर लाभांश, बशर्ते प्रतिभूतियां /यूनिट खाताधारक के एनआरई/एफसीएनआर खाते में नामे डाल कर अथवा सामान्य बैंकिंग माध्यमों के जरिये आवक प्रेषण से खरीदी गई हों

छ) राष्ट्रीय योजना/बचत प्रमाणपत्र सहित सरकारी प्रतिभूतियों की परिपक्वता राशि तथा भारत में मान्यताप्राप्त शेयर बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों एवं पारस्परिक निधियों के यूनिटों की बिक्री से प्राप्त राशि तथा पारस्परिक निधियों से प्राप्त यूनिटों की बिक्री से प्राप्त राशि, बशर्ते प्रतिभूतियों/यूनिटों की मूल रूप से खरीद खाताधारक के एनआरई/एफसीएनआर खाते में नामे डालकर की गई हो अथवा मुक्त विदेशी मुद्रा में भारत के बाहर से प्राप्त प्रेषणों से की गई हो

ज) भारतीय कंपनियों के नये निर्गमों के शेयरों /डिबेंचरों में अभिदान की वापसी या उसका कोई हिस्सा, यदि अभिदान की राशि की अदायगी खाताधारक के उसी अथवा अन्य एनआरई/एफसीएनआर खाते में से अथवा सामान्य बैंकिंग माध्यमों के जरिये भारत से बाहर से प्रेषण द्वारा की गई हो

झ) फ्लैट/प्लॉट का आबंटन न होने पर भवन निर्माता एजेंसियों द्वारा ब्याजसहित आवेदन/अमानती राशि की वापसी (उस पर देय आयकर के बाद शेष राशि), बशर्ते मूल भुगतान खाताधारक के एनआरई/एफसीएनआर खाते में से अथवा सामान्य बैंकिंग माध्यमों के जरिये भारत के बाहर से प्रेषण द्वारा किया गया हो और लेनदेन की वास्तविकता के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी संतुष्ट हो

ञ) अन्य कोई जमा यदि वह रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त सामान्य/विशेष अनुमति के अंतर्गत आती हो।

4. अनुमत नामे

क) स्थानीय संवितरण।

ख) भारत से बाहर प्रेषण।

ग) खाताधारक के एनआरई/एफसीएनआर खातों अथवा ऐसे खाते रखने के लिए पात्र किसी अन्य व्यक्ति के खातों में अंतरण।

घ) किसी भारतीय कंपनी के शेयरों/प्रतिभूतियों/वाणिज्यिक पत्रों में निवेश अथवा भारत में अचल सम्पत्ति खरीदने के लिए, बशर्ते इस प्रकार का निवेश/क्रय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाये गये विनियमों अथवा सामान्य/विशेष अनुमति के अंतर्गत आता हो ।

ङ) अन्य कोई लेनदेन यदि वह रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई सामान्य अथवा विशेष अनुमति के अंतर्गत आता हो ।

5. ब्याज दर

इन खातों पर प्रयोज्य ब्याज दर रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/ अनुदेशों के अनुसार होगी ।

6. खाते में धारित निधियों की जमानत पर ऋण

(क) खाताधारक को :

ऐसे खाते रखने वाले प्राधिकृत व्यापारियों तथा बैंकों को यह अनुमति दी गई है कि वे निम्नलिखित के लिए खाताधारक को भारत में ऋण दे सकते हैं -

i) पुनः उधार देने अथवा कृषि/बागवानी कार्य करने अथवा वास्तविक संपदा कारोबार के प्रयोजन को छोड़कर अन्य व्यापारिक गतिविधियों तथा व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए । प्राधिकृत व्यापारी/बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे अग्रिम सावधि जमाराशियों से पूरी तरह सुरक्षित हों तथा सामान्य मार्जिन, ब्याज दर, आदि से संबंधित विनियमों का पूरी तरह से पालन किया गया हो । पुनर्भुगतान या तो जमाराशियों के समायोजन से या फिर सामान्य बैंकिंग माध्यमों से भारत के बाहर से प्राप्त नये आवक प्रेषणों से किया जायेगा । ऋण की अदायगी ऋणकर्ता के एनआरओ खाते में स्थानीय रुपया संसाधनों में से भी की जा सकती है । ऐसे ऋणों पर ब्याज रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार लगाया जायेगा ;

ii) भारतीय फर्मों/कंपनियों की पूंजी में अंशदान के रूप में प्रत्यावर्तनीय आधार पर भारत में सीधे निवेश करने का प्रयोजन विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर रह रहे किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय प्रतिभूति का अंतरण) विनियमावली 2000 तथा विदेशी मुद्रा प्रबंध (स्वामित्व वाली अथवा भागीदारी फर्म में निवेश) विनियमावली 2000 के अंतर्गत बनाये गये संबंधित उपबंधों के अधीन होगा ;

iii) अपने स्वयं के लिए भारत में आवासीय फ्लैट/मकान प्राप्ति का प्रयोजन अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये संबंधित उपबंधों के अधीन होगा ।

(ख) अन्य पक्षों को

प्राधिकृत व्यापारी और प्राधिकृत बैंक भारत में निवासी व्यक्तियों/फर्मों/कंपनियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन एनआरई , खाते में धारित सावधि जमाराशियों की संपार्श्विक जमानत पर किसी भी प्रकार की निधि आधारित और/अथवा गैर-निधि आधारित सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं :

i) अपनी जमाराशियों को गिरवी रखने लिए सहमत होने वाले अनिवासी जमाकर्ता के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से विदेशी मुद्रा का कोई प्रतिफल नहीं होना चाहिए ताकि निवासी व्यक्ति/फर्म/कंपनी ऐसी सुविधाएं ले सके ;

ii) मार्जिन, ब्याज दर, ऋण का प्रयोजन आदि से संबंधित उन विनियमों का पालन किया जाना चाहिए जो रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाते हैं ;

iii) ऋण का उपयोग व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए अथवा कृषि/बागवानी अथवा वास्तविक संपदा कारबार से इतर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए । ऋण का उपयोग पुनः ऋण के लिए नहीं किया जाना चाहिए ;

iv) व्यापार/उद्योग को दिये जाने वाले अग्रिमों के मामले में लागू सामान्य मानदंड तथा शर्तें इन ऋण सुविधाओं पर भी लागू होंगी ।

(ग) भारत से बाहर ऋण

प्राधिकृत व्यापारी भारत से बाहर स्थित अपनी शाखाओं/संपर्ककर्ताओं को इस बात की अनुमति दे सकते हैं कि वे भारत में एनआरई खातों में धारित निधियों की जमानत पर तथा बकाया राशि की चुकौती के लिए यदि आवश्यक हुआ तो भारत से निधियां भेजने पर सहमति दर्शाने पर वास्तविक प्रयोजनों के लिए जमाकर्ता के अनुरोध पर अनिवासी जमाकर्ता अथवा तीसरे पक्ष को किसी भी प्रकार की निधि आधारित और/अथवा गैर-निधि आधारित सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं ।

7. खाताधारक के निवासी की हैसियत में परिवर्तित होने पर

यदि खाताधारक भारत में रोजगार प्राप्त करने, व्यवसाय या कारबार करने अथवा अनिश्चित काल तक भारत में रहने के इरादे से आता है तो उसके भारत आते ही उसके विकल्प पर इन खातों की राशि निवासी खातों में आरएफसी खाते (यदि खाताधारक आरएफसी खाता खोलने के लिए पात्र हो) में अंतरित कर दी जानी चाहिए। जब खाताधारक थोड़े समय के लिए ही भारत के दौरे पर हो तो भारत में उसके रहने के दौरान भी खाते को एनआरई खाते के रूप में ही जारी रखा जाये।

8. अनिवासी नामांकिती को निधियों का प्रत्यावर्तन

प्राधिकृत व्यापारी/प्राधिकृत बैंक मृत खाताधारक के एनआरई खाते में पड़ी निधियों को उसके अनिवासी नामांकिती को प्रेषित करने की अनुमति दे सकते हैं।

9. विविध

क) **संयुक्त खाता :** दो अथवा अधिक अनिवासी व्यक्तियों के नामों में संयुक्त खाता खोला जा सकता है, बशर्ते सभी खाताधारक भारतीय राष्ट्रिकता अथवा मूल के हों। जब कोई एक संयुक्त खाताधारक निवासी बन जाता है तो प्राधिकृत व्यापारी या तो उसका नाम हटा कर खाते को एनआरई खाता बनाये रख सकता है अथवा खाताधारक के विकल्प पर उसे निवासी खाता बना सकता है। अनिवासी द्वारा किसी निवासी के साथ इन खातों के खोलने की अनुमति नहीं है।

ख) **अस्थायी दौरे के दौरान खाता खोलना :** भारत में अस्थायी दौरे पर आये पात्र अनिवासी भारतीय के नाम में विदेशी मुद्रा यात्री चेक अथवा विदेशी मुद्रा नोट और सिक्के प्रस्तुत किये जानेपर खाता खोला जा सकता है, बशर्ते, प्राधिकृत व्यापारी इस बात से संतुष्ट हो कि वह व्यक्ति अनिवासी है।

ग) **मुख्तारनामा द्वारा परिचालन :** प्राधिकृत व्यापारी/प्राधिकृत बैंक एनआरई खाते का परिचालन मुख्तारनामा की शर्तों अथवा अनिवासी खाताधारक द्वारा निवासी के पक्ष में दिये गये अन्य प्राधिकार के अनुसार करने की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते इस प्रकार के परिचालन स्थानीय भुगतानों के लिए राशि आहरण तक सीमित हों। ऐसे मामलों में जहां खाताधारक अथवा उसके द्वारा पदनामित बैंक भारत में निवेश करने के लिए पात्र हो, मुख्तारनामा धारक को ऐसे निवेश के लिए खाते में से राशि निकालने की अनुमति प्राधिकृत व्यापारी द्वारा दी जा सकती है। लेकिन, निवासी मुख्तारनामा धारक को किसी भी परिस्थिति में खाते में धारित राशि को भारत से बाहर भेजने अथवा खाताधारक की ओर से किसी निवासी को उपहार के जरिये भुगतान करने अथवा किसी

अन्य एनआरई खाते में निधियां अंतरित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

घ) **चेकों की विशेष श्रृंखला :** एनआरई खातों पर आहरित चेकों की आसानी से पहचान करने और उन पर त्वरित कार्रवाई करने की दृष्टि से प्राधिकृत व्यापारियों/बैंकों को एनआरई खाताधारकों को विशेष श्रृंखला वाली चेकबुक जारी करनी चाहिए।

ङ) **अस्थायी अधिआहरण :** प्राधिकृत व्यापारी/प्राधिकृत बैंक अपने विवेकानुसार/ वाणिज्यिक सुविधा के अनुसार एनआरई बचत बैंक खातों में 50000 रुपये तक की राशि के दो सप्ताहों से अनधिक की अवधि के लिए अधिआहरण की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते उन पर ब्याज-सहित अधिआहरण की राशि उक्त दो सप्ताह के भीतर सामान्य बैंकिंग माध्यमों के जरिये आवक प्रेषणों से अथवा अन्य एनआरई/एफसीएनआर खातों में से चुका दी जाती है।

च) **निवासी नामांकिती द्वारा विदेश में विप्रेषण :** मृत खाताधारक की देयताएं, यदि कोई हों, तो उनकी पूर्ति के लिए अथवा ऐसे ही अन्य प्रयोजनों के लिए भारत से बाहर निधियां भेजने के लिए निवासी नामांकिती से प्राप्त आवेदन को रिज़र्व बैंक को विचारार्थ भेजा जाना चाहिए।

छ) **कर छूट :** एनआरई खातों में जमा-शेषों पर ब्याज से प्राप्त आय पर आयकर देय नहीं है। इसी प्रकार इन खातों के जमाशेषों पर सम्पत्ति कर से भी छूट प्राप्त है।

ज) **रिपोर्ट करना :** इन खातों के लेनदेनों की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को उसके द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार की जायेगी।

अनुसूची 2
[विनियम 5(1)(ii) देखें]

विदेशी करेंसी (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना -

1. पात्रता

क) अनिवासी भारतीय और विदेशी कंपनी निकाय किसी भी प्राधिकृत व्यापारी के पास इन खातों को खोलने और इन्हें रखने के लिए पात्र हैं ।

टिप्पणी : बांग्लादेश/पाकिस्तान की राष्ट्रीयता/स्वामित्व के अनिवासी भारतीयों/विदेशी कंपनी निकायों के नाम विदेशी करेंसी (अनिवासी) खातों (बैंक) को खोलने के लिए रिज़र्व बैंक का अनुमोदन अपेक्षित है ।

ख) इन खातों को भारत के बाहर से सामान्य बैंकिंग मार्ग से विप्रेषित निधियों अथवा भारत स्थित किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास रखे अनिवासी बैंक खाते में नामे डालते हुए रुपये में प्राप्त निधियों अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार प्रत्यावर्तनीय स्वरूप की निधियों से खोला जा सकता है । मौजूदा अनिवासी बाह्य/विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों में से निधियों का अंतरण करते हुए भी इन खातों को खोला जा सकता है ।

ग) इन खातों को खोलने अथवा इनमें जमा करने के लिए भारत के बाहर से विप्रेषण उस नामित करेंसी में होने चाहिए जिसमें खाता खोलने/रखने की इच्छा व्यक्त की गयी है । इस बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि विप्रेषण नामित करेंसी से इतर अन्य किसी करेंसी में प्राप्त होता है (अनिवासी बैंक के खाते में नामे डालते हुए रुपये में प्राप्त निधियों सहित) तो प्राधिकृत व्यापारी को चाहिए कि वह उसे विप्रेषणकर्ता की जोखिम और लागत पर नामित करेंसी में परिवर्तित करे और केवल नामित करेंसी में ही खाता खोला जाना चाहिए/खाते में जमा किया जाना चाहिए ।

घ) यदि नामित करेंसी से इतर किसी अन्य परिवर्तनीय करेंसी रखनेवाला जमाकर्ता इन खातों में जमा करना चाहता है तो प्राधिकृत व्यापारी जमाकर्ता के साथ उस करेंसी में वांछित नामित करेंसी पर पूर्णतः रक्षित स्वाप का कार्य कर सकता है । ऐसा स्वाप दो नामित करेंसियों के बीच भी किया जा सकता है ।

2. नामित करेंसी :

इन खातों में जमा करने के लिए निधियां पाउंड स्टर्लिंग, अमरीकी डालर, ड्यूश मार्क, जापानी येन, यूरो और रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर नामित की जाने वाली अन्य करेंसियों में स्वीकार की जा सकती हैं।

3. खाते का प्रकार :

इन खातों को केवल मीयादी जमाराशि के रूप में खोला जा सकता है और ये केवल तीन परिपक्वताओं, अर्थात् एक वर्ष और उससे अधिक बल्कि दो वर्ष से कम, दो वर्ष और उससे अधिक बल्कि तीन वर्ष से कम और तीन वर्ष के लिए ही खोले जा सकते हैं।

4. ब्याज-दर :

इन जमा खातों में रखी निधियों पर ब्याज दर रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार होगी।

5. अनुमत नामे/जमा राशियां :

अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट अनिवासी विदेशी खातों से संबंधित सभी अनुमत नामे/जमाराशियां इन खातों के लिए भी स्वीकार्य होंगी।

6. रुपये को नामित करेंसियों में और नामित करेंसियों को रुपये में परिवर्तित करने के लिए दर :

i) इन खातों को खोलने के लिए भारतीय रुपये में प्राप्त विप्रेषणों को प्राधिकृत व्यापारी द्वारा नामित विदेशी करेंसी में परिवर्तन की तारीख को उस करेंसी के लिए प्रचलित निर्बंध टी.टी. बिक्री दर पर परिवर्तित किया जाएगा।

ii) रुपये में भुगतान करने के प्रयोजनार्थ, इन खातों में रखी निधियों को आहरण की तारीख को संबंधित करेंसी के लिए प्राधिकृत व्यापारी की निर्बंध टी.टी. क्रय दर पर रुपये में परिवर्तित किया जाएगा।

7. निधियों का अंतर्देशीय चलन :

इन खातों को खोलने के प्रयोजनार्थ एवं इन खातों में रखी शेष राशियों को भारत के बाहर प्रत्यावर्तन के लिए निधियों का कोई भी अंतर्देशीय चलन अनिवासी जमाकर्ताओं के लिए अंतर्देशीय विनिमय अथवा कमीशन से मुक्त होगा । इन खातों में विदेशी करेन्सी विप्रेषणों को प्राप्त करने वाला प्राधिकृत व्यापारी उस स्थिति में विप्रेषक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्राप्त विदेशी करेन्सी को किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी को अंतरित कर सकता है जब उस अन्य प्राधिकृत व्यापारी के पास खाता खोलना आवश्यक होता है ।

8. ब्याज के भुगतान का तरीका :

i) जमाकर्ता की इच्छानुसार इन खातों में धारित शेषराशियों पर ब्याज का भुगतान अर्ध वार्षिक अथवा वार्षिक आधार पर किया जा सकता है ।

ii) इस ब्याज को खातेदार के विकल्प पर उसके नाम खोले गये एक नये विदेशी करेन्सी अनिवासी खाते (बैंक) में अथवा विद्यमान/नये अनिवासी विदेशी/अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय/ अनिवासी विशेष रुपया खाते में जमा किया जा सकता है ।

9. खाते में धारित निधियों की जमानत पर ऋण/ओवरड्राफ्ट

1) भारत में जमाकर्ताओं एवं तीसरी पार्टियों के लिए लागू ऋणों और ओवरड्राफ्टों तथा भारत के बाहर जमाराशियों की जमानत पर ऋणों से संबंधित अनिवासी विदेशी जमाराशियों (अनुसूची 1 देखें) पर यथा लागू शर्तें पूर्णतः विदेशी करेन्सी अनिवासी (बैंक) जमाराशियों पर भी लागू होंगी ।

2) मार्जिन संबंधी आवश्यकता को जमाराशियों की रुपये में समतुलय राशि पर आनुमानिक रूप से परिकलित किया जाएगा ।

10. खातेदार की निवासीय हैसियत में परिवर्तन

जब खातेदार भारत का निवासी बन जाता है, तब उसकी इच्छानुसार जमाराशियों को परिपक्वता अवधि तक संविदागत ब्याज-दर पर जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है । तथापि, विदेशी करेन्सी अनिवासी (बैंक) जमाराशियों पर यथा लागू ब्याज-दर तथा आरक्षित निधि संबंधी आवश्यकताओं से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर, अन्य सभी प्रयोजनों के लिए ऐसी जमाराशियों को खातेदार की भारत में वापसी की तारीख से निवासी जमाराशियों के रूप में माना जाएगा । प्राधिकृत व्यापारियों को चाहिए कि वे उक्त विदेशी करेन्सी अनिवासी (बैंक)

जमाराशियां परिपक्व होने पर उन्हें खातेदार के विकल्प पर निवासी रुपया जमा खाते में अथवा निवासी विदेशी करेंसी खाते में (यदि जमाकर्ता निवासी विदेशी करेंसी खाता खोलने के लिए पात्र है तो) परिवर्तित करें । नयी जमाराशि (रुपया खाता अथवा निवासी विदेशी करेंसी खाता) पर ब्याज ऐसी जमाराशियों पर यथा लागू संगत दरों पर देय होगा ।

11. संयुक्त खाता, शेषराशियों का प्रत्यावर्तन, आदि :

संयुक्त खातों, निधियों के प्रत्यावर्तन, अस्थायी विज़िट के दौरान खाता खोलने, मुख्तारनामा के कार्य, खातों में रखी निधियों की जमानत पर ऋणों/ओवरड्राफ्टों से संबंधित अनिवासी विदेशी खातों पर यथा लागू शर्तें (अनुसूची 1 देखें) विदेशी करेन्सी अनिवासी (बैंक) खातों पर भी पूर्णतः लागू होंगी ।

12. सूचना प्रणाली :

खातों में होने वाले लेनदेनों को रिज़र्व बैंक को उसके द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निदेशानुसार सूचित किया जाएगा ।

13. अन्य विशेषताएं :

क) रिज़र्व बैंक इन खातों में रखी किसी भी परिपक्वता की जमाराशियों के लिए प्राधिकृत व्यापारियों को विनिमय दर गारंटी प्रदान नहीं करेगा ।

ख) इन खातों के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा जुटाये गये संसाधनों का उधार ब्याज-दर संबंधी किसी भी शर्त के अधीन नहीं होगा ।

टिप्पणी :

जिस प्राधिकृत व्यापारी पास विदेशी करेन्सी अनिवासी (बैंक) खाता नहीं रखा गया है, उसके पास अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय रुपया जमा खाते खोलने के प्रयोजनार्थ विदेशी करेन्सी अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की अवधि-समाप्ति के पूर्व आहरण पर रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशानुसार जुर्माना लागू होगा ।

अनुसूची 3
[विनियम 5 (1)(iii) देखें]

अनिवासी सामान्य रुपये खाता योजना

1. पात्रता

क) भारत के बाहर निवास करनेवाला कोई भी व्यक्ति अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों व विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन न करते हुए रुपये में वास्तविक लेनदेन करने के प्रयोजनार्थ किसी प्राधिकृत व्यापारी अथवा प्राधिकृत बैंक के पास अनिवासी सामान्य रुपया खाता खोल सकता है।

ख) इन खातों में होनेवाले परिचालनों के फलस्वरूप खातेदार द्वारा भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति को रुपये में प्रतिपूर्ति अथवा किसी अन्य तरीके से विदेशी करेन्सी उपलब्ध करा देने की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए।

ग) खाता खोलने के समय खातेदार को चाहिए कि वह उस प्राधिकृत व्यापारी/प्राधिकृत बैंक को, जिसके पास खाता रखा गया है, इस बात का एक वचन प्रस्तुत करे कि भारत में निवेश के प्रयोजनार्थ खाते में डाली गयी नामे राशियों और निवेशों की बिक्री आय से खाते में की गयी जमाराशियों के मामलों में वह यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निवेश/विनिवेश रिज़र्व बैंक द्वारा इस बारे में किये गये विनियमनों के अनुसार होंगे।

टिप्पणियां: अ. बांग्लादेश/पाकिस्तान की राष्ट्रीयता/स्वामित्व वाले व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा खाता खोलने के लिए रिज़र्व बैंक का अनुमोदन आवश्यक है।

आ. भारत स्थित डाक घर भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों के नाम बचत बैंक खाते रख सकते हैं और इन खातों में उन्हीं शर्तों के अधीन परिचालनों की अनुमति दे सकते हैं जो प्राधिकृत व्यापारी/प्राधिकृत बैंक के पास रखे अनिवासी सामान्य रुपया खातों पर लागू होती हैं।

2. खातों के प्रकार :

अनिवासी सामान्य रुपया खातों को चालू, बचत, आवर्ती अथवा सावधि जमा खातों के रूप में खोला/रखा जा सकता है। रिज़र्व बैंक द्वारा निवासी खातों के संबंध में जारी निदेशों में उल्लिखित अपेक्षाएं अनिवासी सामान्य रुपया खातों पर भी लागू होंगी।

3. अनुमेय जमा/नामे राशियां

(क) जमा राशियां

i) सामान्य बैंकिंग मार्ग से भारत के बाहर से किसी भी अनुमत करेन्सी में प्राप्त धन-प्रेषणों के अर्थागम अथवा खातेदार द्वारा भारत में अपने अस्थायी विज़िट के दौरान प्रस्तुत कोई भी अनुमत करेन्सी अथवा अनिवासी बैंकों के रुपया खातों से अंतरण ।

ii) भारत में खातेदार की वैध प्राप्य राशियां ।

(ख) नामे राशियां

i) रिज़र्व बैंक द्वारा बनाये गये संगत विनियमों के अनुपालन के अधीन निवेशों के लिए भुगतानों, सहित रुपये में सभी स्थानीय भुगतान ।

ii) भारत में खातेदार की लागू करों को घटाकर वर्तमान आय का भारत से बाहर विप्रेषण ।

4. अनिवासी सामान्य रुपया खाते में रखी निधियों का विप्रेषण

अनिवासी सामान्य रुपया खातों में धारित शेषराशियां रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के बिना भारत के बाहर विप्रेषित करने के लिए पात्र नहीं हैं । विदेशी मुद्रा में विप्रेषणों के जरिए भारत के बाहर से प्राप्त उन निधियों पर ही भारत के बाहर विप्रेषण के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विचार किया जाएगा जिनकी विप्रेषणयोग्य निधियों के रूप में पहचान बरकरार हो । जहां भारत की सैर करने वाले किसी विदेशी पर्यटक द्वारा किसी निर्दिष्ट तरीके से भारत के बाहर से विप्रेषित निधियों अथवा उसके द्वारा भारत में विदेशी मुद्रा की बिक्री करते हुए खाता (चालू/बचत) खोला जाता है, वहां प्राधिकृत व्यापारी भारत से पर्यटक की वापसी के समय उसके खाते में धारित शेषराशि को खातेदार को भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा में रुपांतरित कर सकता है बशर्ते उक्त खाते को छह महीने से अनधिक अवधि के लिए रखा गया हो और खाते पर उपचित ब्याज के अतिरिक्त उसमें किसी अन्य स्थानीय निधि जमा नहीं की गयी हो ।

5. ऋण/ओवरड्राफ्ट प्रदान करना

क. खातेदारों को

i) अनिवासी खातेदारों को पुनः उधार देने अथवा कृषि/बागान के कार्यों के प्रयोजन अथवा स्थावर-संपदा के कारोबार में निवेश करने के प्रयोजन को छोड़कर अन्य वैयक्तिक

प्रयोजनों के लिए अथवा कारोबार के कार्यों के लिए अनिवासी खातों पर सामान्यतः लागू मानदंडों के अधीन सावधि जमाराशियों की जमानत पर रुपये में ऋण स्वीकृत किये जा सकते हैं ।

ii) प्राधिकृत व्यापारी/बैंक अपने वाणिज्यिक निर्णय और ब्याज-दर आदि व्युत्पन्नियों के अधीन खातेदार को उक्त खाते में ओवरड्राफ्ट की अनुमति दे सकता है ।

ख. तीसरी पार्टियों को

भारत में निवासी व्यक्तियों/फर्मों/कंपनियों को अनिवासी सामान्य रुपया खाते में रखी जमाराशियों की जमानत पर ऋण/ओवरड्राफ्ट निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिये जा सकते हैं :

i) ऋणों का उपयोग केवल खातेदार की वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने और/अथवा कारोबार के प्रयोजनार्थ किया जाएगा, न कि कृषि/बागान के कार्यों अथवा स्थावर-संपदा के लिए अथवा पुनः उधार देने के प्रयोजन के लिए ।

ii) रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित मार्जिन और ब्याज-दर से संबंधित विनियमों का अनुपालन किया जाएगा ।

iii) व्यापार/उद्योग को प्रदत्त अग्रिमों के मामले में यथा लागू सामान्य मानदंड व प्रतिफल ऐसे ऋणों/सुविधाओं के लिए लागू होंगे ।

6. उधारकर्ता की निवासीय हैसियत में परिवर्तन होने पर ऋणों/ओवरड्राफ्टों का निरूपण

उस व्यक्ति के मामले में, जिसने भारत में रहते समय ऋण अथवा ओवरड्राफ्ट सुविधाओं का लाभ उठाया था और जो बाद में भारत के बाहर का निवासी बन जाता है, प्राधिकृत व्यापारी अपने विवेक और वाणिज्यिक निर्णय के अंतर्गत ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधाओं को जारी रखने की अनुमति प्रदान कर सकता है । ऐसे मामलों में, ब्याज-भुगतान और ऋण की चुकौती आवक विप्रेषण अथवा संबंधित व्यक्ति के भारत में उपलब्ध वैध संसाधनों में से की जा सकती है ।

7. निवासियों के पास संयुक्त खाते

ये खाते निवासियों के साथ संयुक्त रूप से रखे जा सकते हैं ।

8. खातेदार की निवासीय हैसियत में परिवर्तन

क) निवासी से अनिवासी

भारत में निवास करनेवाला कोई भी व्यक्ति जब एक अनिश्चित अवधि के लिए भारत से बाहर किसी भी देश में (नेपाल और भूटान को छोड़कर) नौकरी करने अथवा कारोबार करने अथवा व्यवसाय के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए जाता है, तब उसके वर्तमान खाते को अनिवासी (सामान्य) खाते के रूप में नामित किया जाना चाहिए।

ख) अनिवासी से निवासी

खातेदार द्वारा अनिश्चित अवधि के लिए भारत में रहने की इच्छा व्यक्त करते हुए नौकरी करने अथवा कारोबार करने अथवा व्यवसाय या अन्य किसी प्रयोजन के लिए भारत में वापसी पर अनिवासी (सामान्य) खातों को निवासी रुपया खातों के रूप में पुनर्नामित किया जा सकता है। जब खातेदार भारत में केवल अस्थायी दौरे पर होता है, तब ऐसे दौरे के दौरान खाते को अनिवासी खाते के रूप में मानते रहना चाहिए।

9. अनिवासी नामिती को निधियों का भुगतान

दिवंगत खातेदार के खाते में से अनिवासी नामिती को देय राशि भारत में प्राधिकृत व्यापारी/बैंक के पास रखे नामिती के अनिवासी सामान्य रुपया खाते में जमा की जाएगी।

10. लेनदेनों को सूचित करना

i) उक्त खाते में किया गया ऐसा लेनदेन, जिसके संबंध में यदि यह प्रतीत हो कि वह प्राधिकृत व्यापारी से इतर भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा पर रुपये में की गयी प्रतिपूर्ति है, तथा ऐसा लेनदेन जो संदिग्ध स्वरूप का हो, रिज़र्व बैंक को सूचित किया जाना चाहिए।

ii) इन खातों में किये गये लेनदेनों को रिज़र्व बैंक को उसके द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार सूचित किया जाएगा।

अनुसूची 4

[विनियम 5(1)(iv) देखें]

अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा योजना

1. पात्रता

भारत के बाहर निवास करनेवाला कोई भी व्यक्ति (पाकिस्तान/बांग्लादेश की राष्ट्रीयता/स्वामित्व के व्यक्तियों/संस्थाओं को छोड़कर) किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय खाते खोल सकता है।

खातों को सामान्य बैंकिंग मार्ग के जरिए भारत के बाहर से विप्रेषित निधियों (मुक्त रूप से रूपांतरणीय करेंसी में) में से भारतीय रुपये में खोला जाना चाहिए । अनिवासी भारतीयों/विदेशी कंपनी निकायों के मामले में, ऐसे खाते उनके मौजूदा अनिवासी विदेशी/विदेशी करेंसी अनिवासी जमा खातों से निधियों के अंतरण द्वारा भी खोले जा सकते हैं । किसी ऐसे प्राधिकृत व्यापारी के पास अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय जमाराशियां रखने हेतु अनिवासी विदेशी/विदेशी करेंसी अनिवासी जमाराशियों में से अवधि-पूर्व आहरण पर रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार जुर्माना, यदि कोई हो, लगेगा जिसके पास अनिवासी विदेशी/विदेशी करेंसी अनिचासी खाता नहीं रखा गया हो।

2. जमाराशि की अवधि

जमाराशियाँ 6 माह से 3 वर्ष तक की अवधियों के लिए रखी जा सकती हैं।

3. ब्याज-दर

बैंक इस योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर और ऐसी जमाराशियों में रखी निधियों पर प्रदत्त अग्रिमों पर ब्याज-दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

4. प्रत्यावर्तनीयता

केवल इन जमाराशियों पर उपचित ब्याज ही प्रत्यावर्तनीय है।

5. नवीकरण/अंतरण

जमाराशि का मूलधन उस पर उपचित ब्याज-सहित 6 माह से 3 वर्ष तक की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है। यदि इस योजना के अंतर्गत किसी वर्तमान जमाराशि पर उपचित ब्याज का निवेश किया जाता है तो इस प्रकार निवेश की गयी ब्याज की राशि प्रत्यावर्तन के लिए पात्र नहीं होगी। खाते को एक प्राधिकृत व्यापारी से दूसरे प्राधिकृत व्यापारी को अंतरित भी किया जा सकता है।

6. उपहार

व्यक्तिगत जमा धारक के मामले में, जमाराशि किसी निवासी/अनिवासी व्यक्ति को अथवा आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत मान्य भारत स्थित किसी धर्मार्थ न्यास को उपहार के रूप में दी जा सकती है।

7. निवासियों के साथ संयुक्त खाते

खाता निवासियों के साथ सयुक्त रूप से रखा जा सकता है।

8. ऋण/ओवरड्राफ्ट

प्राधिकृत व्यापारी अपने सामान्य वाणिज्यिक निर्णय के अधीन खातेदारों/तीसरी पार्टियों को वैयक्तिक प्रयोजनों अथवा कारोबार के कार्यों के लिए इन जमाराशियों की जमानत पर भारत में ऋण/ओवरड्राफ्ट प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ऋण/ओवरड्राफ्ट कृषि/बागान संबंधी कार्यों अथवा स्थावर-संपदा अथवा पुनः उधार देने के प्रयोजनार्थ नहीं दिया जा सकता है। खातेदार को ऋणों की चुकौती/ओवरड्राफ्ट का परिसमापन भारत के बाहर से सामान्य बैंकिंग मार्ग के जरिए आवक विप्रेषण द्वारा अथवा जमाकर्ता के अनिवासी विदेशी/विदेशी करेंसी एफसीएनआर/ अनिवासी सामान्य/अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय/अनिवासी विशेष रुपया खाते में नामे डालते हुए अथवा जमाराशि परिपक्वता आय पर समायोजन द्वारा किया जाएगा। तीसरी पार्टियों द्वारा लिये गये ऋणों की चुकौती उन्हीं के संसाधनों में से की जाए।

9. नामांकन

प्राधिकृत व्यापारी किसी एक निवासी अथवा अनिवासी के पक्ष में नामांकन रजिस्टर कर सकता है। तथापि, अनिवासी के पक्ष में नामांकन इस शर्त के अधीन किया जाए कि जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने पर उसके नाम रखी जमाराशि का भुगतान अनिवासी नामिती को केवल भारतीय रुपये में नामित के अनिवासी सामान्य/अनिवासी एनआरएनआर /अनिवासी विशेष रुपया खाते में जमा करते हुए किया जाएगा और उसको भारत के बाहर विप्रेषित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

10. सूचना-प्रणाली

इन खातों में किये गये परिचालनों के संबंध में रिज़र्व बैंक को उसके द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निदेशों के अनुसार सूचित किया जाएगा।

अनुसूची 5
[विनियम 5(1)(v) देखें]

अनिवासी (विशेष) रुपया खाता (एनआरएसआर) योजना

1. पात्रता

i) ऐसे अनिवासी भारतीय (बांग्लादेश/पाकिस्तान के नागरिकों को छोड़कर) किसी प्राधिकृत यापारी के पास अनिवासी (विशेष) रुपया खाते रखने के लिए पात्र हैं, जो स्वेच्छया इन खातों में रखी निधियों और इन पर अर्जित ब्याज को विप्रेषित न करने का वचन देते हैं।

ii) इन खातों पर वहीं सुविधाएं तथा प्रतिबंध लागू होंगे, जो खाते में रखी निधियों और/अथवा उन पर उपचित ब्याज के प्रत्यावर्तन के संबंध में निवासियों के घरेलू खातों पर लागू होते हैं। भारत में शेयरों/प्रतिभूतियों अथवा अचल संपत्ति अथवा कृषि/बागान के कार्यों अथवा स्थावर-संपदा के कारोबार में किया गया निवेश इसका अपवाद है, जिन पर अनिवासियों द्वारा किये गये ऐसे निवेशों के लिए लागू विनियम लागू होंगे।

iii) रिजर्व बैंक द्वारा घरेलू खातों के संबंध में जारी निदेश इन खातों पर लागू होंगे।

2. आवेदन-प्रपत्र

इन खातों को खोलने के प्रयोजनार्थ, इस अनुसूची के साथ संलगन प्रपत्र एनआरएनआर में एक आवेदन प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

3. खातों का प्रकार

इन खातों को चालू, बचत, आवर्ती अथवा सावधि ज़मा खाते के रूप में रखा जा सकता है।

4. संयुक्त खाते

ये खाते निवासियों के साथ संयुक्त रूप से रखे जा सकते हैं।

5. ब्याज-दर

निवासी खातों के लिए यथा लागू ब्याज-दरें इन खातों पर लागू होंगी।

6. खातेदार की निवासीय हैसियत में परिवर्तन

जब भारत में निवास करनेवाला कोई व्यक्ति भारत से बाहर स्थायी रूप से अथवा एक अनिश्चित अवधि के लिए रहने की इच्छा व्यक्त करते हुए भारत के बाहर नौकरी करने, अथवा कारोबार करने अथवा व्यवसाय के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन से भारत के बाहर (नेपाल और भूटान को छोड़कर) का निवासी बन जाता है, उसको अपने वर्तमान घरेलू खाते को अनिवासी सामान्य खाते अथवा अनिवासी (विशेष) रुपया खाते के रूप में नामित करने का विकल्प होगा।

7. नामांकन सुविधा

प्राधिकृत व्यापारी या तो किसी निवासी के पक्ष में अथवा अनिवासी के पक्ष में नामांकन दर्ज कर सकता है। तथापि, एक अनिवासी नामिती, दिवंगत खातेदार के अनिवासी विशेष रुपया खाते में धारित निधियों अथवा उन पर उपचित आय/ब्याज में से विप्रेषण की सुविधा के लिए हकदार नहीं होगा।

8. अनिवासी (विशेष) रुपया खाते में ओवरड्राफ्ट

प्राधिकृत व्यापारी/प्राधिकृत बैंक अपने वाणिज्यिक निर्णय के अंतर्गत खातेदार के खाते में ओवरड्राफ्ट की अनुमति दे सकता है।

9. विविध

i) निवासी व्यक्तियों द्वारा रखे जानेवाले घरेलू खातों के समान उक्त खातों पर मुक्त रूप से परिचालन किये जाने की अनुमति दी जा सकती है।

ii) खातेदार अनिवासी सामान्य/अनिवासी विदेशी/विदेशी करेंसी अनिवासी खातों से निधियाँ मुक्त रूप से अनिवासी (विशेष) रुपया खातों में अंतरित कर सकते हैं, लेकिन अनिवासी (विशेष) रुपये खातों से उपर्युक्त अन्य खातों में निधियां अंतरित नहीं की जा सकतीं।

एनआरएसआर

अनिवासी (विशेष) रूपया (एनआरएसआर) खाता खोलने के लिए आवेदन-सह-वचन-पत्र

सेवा में,

.....

.....

(बैंक का नाम और पता)

खाता धारक / खाता धारकों का/के फोटो

प्रिय महोदय,

अनिवासी (विशेष) रूपया खाता खोलना

- आपसे अनुरोध है कि आप अपनी शाखा में मेरा/हमारा अनिवासी (विशेष) रूपया खाता खोल दें ।
- आपसे अनुरोध है कि आप अपनी शाखा में मेरे/हमारे वर्तमान निवासी खाता सं. ..... को अनिवासी (विशेष) रूपया खाता में परिवर्तित कर दें ।

मेरे/हमारे विवरण निम्नप्रकार हैं :

1. नाम
2. पता/पते
3. राष्ट्रीयता

मैं/हम यह वचन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम अनिवासी (विशेष) रूपया खातों के संबंध में बनाये गये विनियमों का पालन करूंगा/करेंगे ।

वचन-पत्र

मैं/हम ..... यह वचन देता हूं/देते हैं कि :

मैं/हम भारत में निवास करनेवाले किसी भी व्यक्ति को भारत में किसी विदेशी मुद्रा का रुपये या अन्यथा में भुगतान नहीं कराऊंगा/करायेंगे ।

मैं/हम यह सुनिश्चित करूंगा/करेंगे कि यह निवेश आपके बैंक में मेरे/हमारे अनिवासी (विशेष) रुपया खाते में धारित उन निधियों में से जो भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियमों द्वारा नियंत्रित भारत में शेयरों/प्रतिभूतियों या अचल संपत्तियों के रूप में है ।

मैं/हम स्वेच्छा से यह वचन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम और मेरा/हमारा वारिस/उत्तराधिकारी आपके बैंक में मेरे/हमारे अनिवासी (विशेष) खाते में धारित निधियों और/या उस पर अर्जित किसी आय/ब्याज के प्रत्यावर्तन की किसी भी समय मांग नहीं करूंगा/करेंगे/करेगा ।

स्थान .....

(हस्ताक्षर).....

दिनांक .....

नाम .....

पता/पते .....

.....

अनुसूची 6

[विनियम 7(I) देखें]

भारत में निगमित किसी कंपनी (रिज़र्व बैंक में पंजीकृत किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सहित) द्वारा अनिवासी भारतीय या भारत से बाहर भारतीय मूल के किसी व्यक्ति से प्रत्यावर्तन आधार पर जमाराशियां स्वीकार करना

भारत में निगमित कोई कंपनी (रिज़र्व बैंक में पंजीकृत किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित) अनिवासी भारतीयों से प्रत्यावर्तन आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमाराशियां स्वीकार कर सकती है :

i) जमाराशियां यदि सार्वजनिक जमायोजना के अंतर्गत प्राप्त की जाती हों ।

ii) यदि जमाराशियां स्वीकार करनेवाली कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है तो, वह रिज़र्व बैंक में पंजीकृत हो और उसे इस प्रकार की कंपनियों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत यथा-निर्धारित अपेक्षित ऋण पात्रता निर्धारण प्राप्त हो ।

iii) इस प्रकार की जमाराशियां सामान्य बैंकिंग माध्यमों के जरिये भारत के बाहर से आवक प्रेषण द्वारा अथवा भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी/प्राधिकृत बैंक में अनिवासी (बाह्य) खाता या विदेशी मुद्रा (अनिवासी)(बैंक) खाते में नामे डालकर प्राप्त की गयी हो ।

iv) यदि जमाराशियां प्राप्त करनेवाली कंपनी कोई गैर-बैंकिंग कंपनी हो तो, इन जमाराशियों पर देय ब्याज की दर ऐसी कंपनियों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/निदेशों के अनुरूप होगी । अन्य मामलों में जमाराशियों पर देय ब्याज दर कंपनी (जमाराशियों का स्वीकरण) नियमावली, 1975 के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित उच्चतम ब्याज सीमा से अधिक नहीं होगी ।

v) जमाराशियों की परिपक्वतावधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

vi) जमाराशियां स्वीकार करनेवाली कंपनी भारत सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किसी अन्य विधि, नियमों, विनियमों, आदेशों के प्रावधानों, जो जमाराशियां स्वीकार करने के संबंध में उस पर लागू हों, का पालन करेगी ।

vii) कंपनी द्वारा स्वीकार की गयी कुल जमाराशियां उसकी स्वाधिकृत निधियों के 35% से अधिक नहीं होगी ।

viii) जमाकर्ता को कंपनी प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से प्रेषण द्वारा या जमाकर्ता के अनिवासी विदेशी खाता (एनआरइ)/विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (एफसीएनआर)(बी)/ एनआरएनआर/ एनआरओ/ एनआरएसआर खाते में अपेक्षानुसार जमा करके करों को घटाकर ब्याज का भुगतान कर सकती है ।

ix) इस प्रकार वसूली गयी जमाराशियों का उपयोग कोई भी कंपनी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं) पुनः उधार देने के लिए अथवा कृषि/बाग लगाने के क्रियाकलापों या स्थावर संपदा कारोबार के लिए अथवा कृषि/बाग लगाने के क्रियाकलाप या स्थावर संपदा का कारोबार करने के लिए अथवा इस प्रकार का कार्य करने वाली या ऐसे कार्य करने का प्रस्ताव करनेवाली किसी अन्य संस्था, फर्म या कंपनी में निवेश के लिए नहीं करेगी ।

x) कंपनी जमाकर्ताओं को जमाराशियों की चुकौती किसी प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से भारत से प्रेषण द्वारा अथवा भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के यहां जमाकर्ता के एनआरइ/एफसीएनआर (बी) खाता में जमा करके कर सकती है, बशर्ते जमाकर्ता चुकौती के समय तक अनिवासी बना रहता हो । जमाराशियों की परिपक्वता प्राप्ति के प्रेषण या उसकी जमाराशि को एनआरइ/ एफसीएनआर(बी) खाते में जमा करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत व्यापारी को आवेदन करते समय कंपनी को यह प्रमाणित करना चाहिए कि वह जमाराशि भारत के बाहर से सामान्य बैंकिंग माध्यमों के जरिये प्राप्त हुई थी अथवा जमाकर्ता के एनआरइ/एफसीएनआर (बी) खाते में जमा राशि के जरिये, यथा स्थिति, प्राप्त हुई थी ।

xi) जमाराशि की चुकौती की राशि को भी जमाकर्ता के एनआरएनआर/एनआरओ या एनआरएसआर खाते में जमाकर्ता के विकल्प पर, जमा किया जाना चाहिए ।

अनुसूची 7
[विनियम 7(2) देखें]

भारतीय स्वत्वधारिता वाली संस्था/फर्म या कंपनी (रिज़र्व बैंक में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सहित) द्वारा अनिवासी भारतीय तथा भारत से बाहर भारतीय मूल के किसी व्यक्ति से प्रत्यावर्तन आधार पर जमाराशियां स्वीकार करना

भारत में स्वत्वधारिता वाली कोई भी संस्था या फर्म अनिवासी भारतीयों से अप्रत्यावर्तन आधार पर जमाराशियां स्वीकार कर सकती है, और भारत में निगमित कोई भी कंपनी (रिज़र्व बैंक में पंजीकृत किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सहित) अनिवासी भारतीयों/विदेशी कंपनी निकायों से अप्रत्यावर्तन आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमाराशियां स्वीकार कर सकती है :

i) किसी कंपनी के मामले में, ये जमाराशियां निजी व्यवस्था या सार्वजनिक जमा योजना के अंतर्गत स्वीकार की जा सकती है।

ii) यदि जमाराशियां स्वीकार करनेवाली कंपी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है तो वह रिज़र्व बैंक में पंजीकृत हो और उसे इस प्रकार की कंपनियों के लिए-रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/निदेशों के अंतर्गत यथानिर्धारित अपेक्षित ऋण पात्रता निर्धारण प्राप्त हो।

iii) जमाराशियों की परिवक्वतावधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

iv) यदि जमाराशियां प्राप्त करनेवाली कंपनी कोई गैर-बैंकिंग कंपनी हो तो, इन जमाराशियों पर देय ब्याज की दर ऐसी कंपनियों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/निदेशों के अनुरूप होगी। अन्य मामलों में जमाराशियों पर देय ब्याज दर कंपनी (जमाराशियों का स्वीकरण) नियमावली, 1975 के अंतर्गत समय-समय पर यथानिर्धारित उच्चतम ब्याज सीमा से अधिक नहीं होगी।

v) ये जमाराशियां सामान्य बैंकिंग माध्यमों के जरिये भारत के बाहर से आवक प्रेषण द्वारा या एनआरइ/एफसीएनआर(बी)/एनआरओ/एनआरएनआर या एनआरएसआर खाते में नामे डालकर प्राप्त की जाएगी। परंतु, यदि ये राशियां जमाकर्ता के एनआरएसआर खाते में रखी निधियों से जमा की जाएंगी तो ब्याज का भुगतान तथा जमाराशियों की चुकौती संबंधित जमाकर्ता के एनआरएसआर खाते में जमा करके की जाएगी। अन्य सभी मामलों में, परिपक्वतावधि प्राप्ति/ब्याज को एनआरओ खाते में जमा कर दिया जाएगा।

vi) जमाराशियां स्वीकार करनेवाली स्वत्वाधारितावाली संस्था/फर्म/कंपनी भारत सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किसी अन्य विधि, नियमों, विनियमों या आदेशों के प्रावधानों, जो जमाराशियां स्वीकार करने के संबंध में उस पर लागू हों, का पालन करेंगी ।

vii) जमाराशियां स्वीकार करने वाली स्वत्वधारिता वाली संस्था, फर्म या कंपनी जमाराशियों का उपयोग (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं) पुनः उधार देने के लिए अथवा कृषि/बाग लगाने के क्रियाकलाप या स्थावर संपदा का कारोबार करने के लिए अथवा इस प्रकार का कार्य करनेवाली या ऐसे कार्य करने में लगी या करने का प्रस्ताव करनेवाली किसी अन्य संस्था, फर्म या कंपनी में निवेश के लिए नहीं करेगी ।

viii) स्वीकार की गयी जमाराशियों के लिए भारत के बाहर प्रत्यार्वन की अनुमति नहीं होगी ।

[फा. सं. 1/9/ई सी/97]

पी. आर. गोपाल राव, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd May, 2000

No. FEMA 5/2000-RB

G.S.R. 388(E) —In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of Section 6, sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank makes the following regulations relating to deposits between a person resident in India and a person resident outside India, namely :

1. Short title and commencement :-

i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000.

ii) They shall come into force on 1st day of June, 2000

2. Definitions :-

In these regulations, unless the context otherwise requires, -

i) 'Act' means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);

ii) 'authorised bank' means a bank including a co-operative bank (other than an authorised dealer) authorised by the Reserve Bank to maintain an account of a person resident outside India;

iii) 'authorised dealer' means a person authorised as an authorised dealer under sub-section (1) of section 10 of the Act;

iv) 'Deposit' includes deposit of money with a bank company, proprietory concern, partnership firm, corporate body, trust or any other person;

v) 'FCNR(B) account' means a Foreign Currency Non-Resident (Bank) account referred to in clause (ii) of sub-regulation (1) of Regulation 5;

vi) 'Non-Resident Indian (NRI)' means a person resident outside India who is a citizen of India or is a person of Indian origin;

vii) 'NRE account' means a Non-Resident External account referred to in clause (i) of sub-regulation (1) of Regulation 5;

viii) 'NRO account' means a Non-Resident Ordinary account referred to in clause (iii) of sub-regulation (1) of Regulation 5;

ix) 'NRNR account' means a Non-Resident Non-Repatriable account referred to in clause (iv) of sub-regulation (1) of Regulation 5;

x) 'NRSR account' means a Non-Resident (Special) Rupee account referred to in clause (v) of sub-regulation (1) of Regulation 5;

xi) 'Overseas Corporate Body (OCB)' means a company, partnership firm, society and other corporate body owned directly or indirectly to the extent of at least sixty per cent by Non-Resident Indians and includes overseas trust in which not less than sixty percent beneficial interest is held by Non-resident Indians directly or indirectly but irrevocably;

xii) 'Person of Indian Origin' means a citizen of any country other than Bangladesh or Pakistan, if

a) he at any time held Indian passport;

or

b) he or either of his parents or any of his grand- parents was a citizen of India by virtue of the Constitution of India or the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955);

or

c) the person is a spouse of an Indian citizen or a person referred to in sub-clause (a) or (b);

xiii) 'Schedule' means schedule to these Regulations;

xiv) the words and expressions used but not defined in these Regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act

3. Restrictions on deposits between a person resident in India and a person resident outside India :-

Save as otherwise provided in the Act or Regulations or in rules, directions and orders made or issued under the Act, no person resident in India shall accept any deposit from, or make any deposit with, a person resident outside India:

Provided that the Reserve Bank may, on an application made to it and on being satisfied that it is necessary so to do, allow a person resident in India to accept or make deposit from or with a person resident outside India.

4. Exemptions :-

Nothing contained in these Regulations shall apply to the following:

1) Deposits held in rupee accounts maintained by foreign diplomatic missions and diplomatic personnel and their family members in India with an authorised dealer.

2) Deposits held by diplomatic missions and diplomatic personnel in special rupee accounts namely Diplomatic Bond Stores Account to facilitate purchases of bonded stocks from firms and companies who have been granted special facilities by customs authorities for import of stores into bond, subject to following conditions:

   a) Credits to the account shall be only by way of proceeds of inward remittances received from outside India through normal banking channels or by a transfer from a foreign currency account in India of the account holder maintained with an authorised dealer in accordance with clause 3 of this Regulation ;

   b) All cheque leaves issued to the account holder shall be superscribed as " Diplomatic Bond Stores Account No." ;

   c) Debits to the accounts shall be for local disbursements, or for payments for purchases of bonded stocks to firms and companies who have been granted special facilities by customs authorities for import of stores into bond;

   d) The funds in the account may be repatriated outside India without the approval of Reserve Bank

3) Deposits held in accounts maintained in foreign currency by diplomatic missions and diplomatic personnel in India subject to the following conditions:

   a) Credits to the account shall be only by way of proceeds of inward remittances received from outside India through normal banking channels;

   b) Funds held in such account if converted in rupees shall not be converted back into foreign currency;

c) The account may be held in the form of current or term deposit account, and in the case of diplomatic personnel, may also be held in the form of savings account;

d) The rate of interest on savings or term deposits shall be such as may be determined by the authorised dealer maintaining the account;

e) The funds in the account may be repatriated outside India without the approval of Reserve Bank.

4) Deposits held in accounts maintained in rupees with an authorised dealer by persons resident in Nepal and Bhutan;

5) Deposits held in accounts maintained with an authorised dealer by the United Nations Organisation and its subsidiary/affiliate bodies in India, and its or their officials in India.

5. Acceptance of deposits by an authorised dealer/ authorised bank from persons resident outside India :-

(1) An authorised dealer in India may accept deposit

i) under the Non-Resident (External) Account Scheme(NRE account), specified in Schedule 1, from a non-resident Indian or an overseas corporate body;

ii) under the Foreign Currency (Non-Resident) Account Banks Scheme,(FCNR-B account), specified in Schedule 2, from a non-resident Indian or an overseas corporate body;

iii) under the Non-Resident (Ordinary) Account Scheme, (NRO account), specified in Schedule 3, from any person resident outside India;

iv) under the Non-Resident (Non-Repatriable) Rupee Account scheme, (NRNR account), specified in Schedule 4, from any person resident outside India;

v) under the Non-Resident (Special) Rupee Account Scheme, (NRSR account), specified in Schedule 5, from a non-resident Indian.

(2) Without prejudice to sub-regulation (1), deposits under NRE, NRO and NRSR Account Schemes referred to in clauses (i), (iii) and (v) of that sub-regulation, may also be accepted by an authorised bank, in accordance with the provisions contained in the respective Schedules.

6. Other deposits made or held by authorised dealer :-

A deposit made by an authorised dealer with his branch, head office or correspondent outside India, and a deposit made by a branch or correspondent outside India of an authorised dealer, and held in his books in India, shall be governed by the directions issued by the Reserve Bank in this regard from time to time.

7. Acceptance of deposits by persons other than authorised dealer/ authorised bank :-

1) A company registered under Companies Act, 1956 or a body corporate or created under an act of Parliament or State Legislature may accept deposits from a non-resident Indian on repatriation basis, subject to the terms and conditions mentioned in Schedule 6.

2) An Indian company, a proprietorship concern or a firm in India may accept deposits from a non-resident Indian on non-repatriation basis, subject to the terms and conditions mentioned in Schedule 7.

8. Deposits in certain other cases :-

1) Subject to compliance with the conditions in regard to raising of external commercial borrowings or raising of resources through American Depository Receipts (ADRs) or Global Depository Receipts (GDRs), the funds so raised may, pending their utilisation or repatriation to India, be held in deposits in foreign currency accounts with a bank outside India.

2) Deposits accepted by an Indian company by issue of Commercial Paper to a Non-Resident Indian or an Overseas Corporate Body shall be subject to the following conditions, namely:

a) the issue is in due compliance with the Non-Banking Companies (Acceptance of Deposits through Commercial Paper) Directions, 1989 issued by the Reserve Bank as also any other law, rule, directions, orders issued by the Government or any other regulatory authority, in regard to acceptance of deposits by issue of Commercial Paper;

b) payment for issue of Commercial Paper is received by the issuing company by inward remittance from outside India through normal banking channels or out of funds held in a deposit account

maintained by a Non-Resident Indian or an Overseas Corporate Body in accordance with the Regulations made by Reserve Bank in that regard;

c) the amount invested in Commercial Paper shall not be eligible for repatriation outside India; and

d) the Commercial Paper shall not be transferable.

9. Acceptance of deposits by authorised dealer with the prior approval of Reserve Bank :-

With the prior approval of Reserve Bank, an authorised dealer may open an account expressed in foreign currency in the name of a person resident outside India for the purpose of adjustment of value of goods imported into India against the value of goods exported from India in terms of an arrangement voluntarily entered into by such person with a person resident in India.

10. Nomination :-

Authorised dealers may provide nomination facility in respect of the following deposit accounts:

a) accounts maintained by individual account holders under the NRE, FCNR(B), NRO, NRNR and NRSR Account Schemes; and

b) accounts maintained by diplomatic personnel under sub-regulations (1),(2) and (3) of Regulation 4.

SCHEDULE 1
[See Regulation 5(1)(i)]

Non-Resident (External) Rupee Account Scheme

1. Eligibility:

The Non-resident Indians(NRIs) and Overseas Corporate Bodies(OCBs) are permitted to open and maintain these accounts with authorised dealers, and with banks (including co-operative banks) authorised by the Reserve Bank to maintain such accounts.

The account should be opened by the non-resident account holder himself and not by the holder of the power of attorney in India.

Note: Opening of NRE accounts in the names of individuals/entities of Bangladesh/Pakistan nationality/ownership requires approval of Reserve Bank.

2. Types of accounts:

The accounts may be maintained in any form, e.g. savings, current, recurring or fixed deposit account etc.

3. Permitted Credits:

a) Proceeds of remittances to India in any permitted currency.

b) Proceeds of personal cheques drawn by the account holder on his foreign currency account and of travellers cheques, bank drafts payable in any permitted currency including instruments expressed in Indian rupees for which reimbursement will be received in foreign currency, deposited by the account holder in person during his temporary visit to India, provided the authorised dealer/bank is satisfied that the account holder is still resident outside India, the travellers' cheques/drafts are standing/endorsed in the name of the account holder and in the case of travellers' cheques, they were issued outside India.

c) Proceeds of foreign currency/bank notes tendered by account holder during his temporary visit to India, provided (i) the amount was declared on a Currency Declaration Form (CDF), where applicable, and (ii) the notes are tendered to the authorised dealer in person by the account holder himself and the authorised dealer is satisfied that account holder is a person resident outside India.

d) Transfers from other NRE/FCNR accounts.

e) Interest accruing on the funds held in the account.

f) Interest on Government securities and dividend on units of mutual funds, provided the securities/units were purchased by debit to the account holder's NRE/FCNR account or out of inward remittance through normal banking channels.

g) Maturity proceeds of Government securities including National Plan/Savings Certificates as well as proceeds of Government securities and units of mutual funds sold on a recognised stock exchange in India and sale proceeds of units received from mutual funds, provided the securities/units were originally purchased by debit to the account holders's NRE/FCNR account or out of remittances received from outside India in free foreign exchange.

h) Refund of share/debenture subscriptions to new issues of Indian companies or portion thereof, if the amount of subscription was paid from the same account or from other NRE/FCNR account of the account holder or by remittance from outside India through normal banking channels.

i) Refund of application/earnest money made by the house building agencies on account of non-allotment of flat/plot, together with interest, if any (net of income tax payable thereon), provided the original payment was made out of NRE/FCNR account of the account holder or remittance from outside India through normal banking channels and the authorised dealer is satisfied about the genuineness of the transaction.

j) Any other credit if covered under general or special permission granted by Reserve Bank.

4. Permitted Debits:

a) Local disbursements

b) Remittances outside India.

c) Transfer to NRE/FCNR accounts of the account holder or any other person eligible to maintain such account.

d) Investment in shares/securities /commercial paper of an Indian company or for purchase of immovable property in India provided such investment/purchase is covered by the regulations made, or the general/special permission granted, by the Reserve Bank.

e) Any other transaction if covered under general or special permission granted by the Reserve Bank.

5. Rate of Interest:

Rate of interest applicable to these accounts shall be in accordance with the directions/instructions issued by Reserve Bank from time to time

6. Loans against security of funds held in the account :

a) To account holder:

Authorised dealers and banks maintaining such accounts are permitted to grant loans in India to the account holder for –

i) personal purposes or for carrying on business activities except for the purpose of relending or carrying on agricultural/plantation activities or for investment in real estate business.. The authorised dealer/bank should ensure that the advances are fully secured by the fixed deposits and regulations relating to normal margin, interest rate, etc. are complied with Repayment shall be made either by adjustment of the deposit or by fresh inward remittances from outside India through normal banking channels. The loan can also be repaid out of local rupee resources in the NRO account of the borrower. The interest on such loans shall be in accordance with directives issued by Reserve Bank from time to time ;

ii) the purpose of making direct investment in India on non-repatriation basis by way of contribution to the capital of Indian firms/companies subject to compliance with the provisions of the Foreign Exchange Management (Transfer of Indian security by a person resident outside India) Regulations, 2000 and Foreign Exchange Management (Investment in proprietary or a partnership firm) Regulations, 2000.

iii) the purpose of acquisition of flat/house in India for his own residential use subject to the provisions of the relevant Regulations made under the Act.

(b) To third parties:

Authorised dealers and authorised banks may grant any type of fund based and/or non-fund based facilities to resident individuals/firms/ companies in India against the collateral of fixed deposits held in NRE account subject to the following conditions:

i) There should be no direct or indirect foreign exchange consideration for the non-resident depositor agreeing to pledge his deposits to enable the resident individual/firm/company to obtain such facilities.

ii) Regulations relating to margin, interest rate, purpose of loan, etc., as stipulated by Reserve Bank from time to time should be complied with.

The loan should be utilised for personal purposes or for carrying on business activities other than agricultural/plantation activities or real estate business. The loan should not be utilised for relending

The usual norms and considerations as applicable in the case of advances to trade/industry shall be applicable to such credit facilities

(c) **Loans outside India**

Authorised dealers may allow their branches/correspondents outside India to grant any type of fund based and/or non-fund based facilities to or in favour of non-resident depositor or to third parties at the request of depositor for bona fide purpose against the security of funds held in the NRE accounts in India and also agree to remittance of the funds from India, if necessary, for liquidation of the outstandings.

7. **Change of resident status of the account holder:**

NRE accounts should be redesignated as resident accounts or the funds held in these accounts may be transferred to the RFC accounts (if the account holder is eligible for maintaining RFC account) at the option of the account holder immediately upon the return of the account holder to India for taking up employment or for carrying on business or vocation or for any other purpose indicating intention to stay in India for an uncertain period. Where the account holder is only on a short visit to India, the account may continue to be treated as NRE account even during his stay in India.

8. **Repatriation of funds to non-resident nominee:**

Authorised dealers/authorised banks may allow remittance of funds lying in the NRE account of the deceased account holder to his non-resident nominee.

9. **Miscellaneous:**

a) **Joint accounts** : Joint accounts in the names of two or more non-resident individuals may be opened provided all the account holders are persons of Indian nationality or origin. When one of the joint holders becomes resident, the authorised dealer may either delete his name and allow the account to continue as a NRE account or redesignate the account as a resident account, at the option of the account holders. Opening of these accounts by a non-resident jointly with a resident is not permissible.

b) **Opening of account during temporary visit** : An account may be opened in the name of an eligible NRI during his temporary visit to India against tender of foreign currency travellers cheques or foreign currency notes and coins tendered, provided the authorised dealer is satisfied that the person has not ceased to be a non-resident.

c) **Operations by Power of attorney** : Authorised dealers/authorised banks may allow operations on an NRE account in terms of Power of Attorney or other authority granted in favour of a resident by the non-resident account holder, provided such operations are restricted to withdrawals for local payments. In cases where the account holder or a bank designated by him is eligible to make investments in India, the Power of Attorney holder may be permitted by authorised dealers to operate the account to facilitate such investment. The resident Power of Attorney holder shall not, however, be allowed to repatriate outside India funds held in the account under any circumstances or make payment by way of gift to a resident on behalf of the account holder or transfer funds from the account to another NRE account.

d) **Special Series of Cheques**: For easy identification and quicker processing of cheques drawn on NRE accounts, authorised dealers/banks shall issue cheque books containing a special series of cheques to their constituents holding NRE accounts.

e) **Temporary overdrawings** : Authorised dealers/authorised banks may at their discretion/commercial judgement allow for a period of not more than two weeks, overdrawings in NRE savings bank accounts, upto a limit of Rs.50,000 subject to the condition that such overdrawings together with the interest payable thereon are cleared/repaid within the said period of two weeks, out of inward remittances through normal banking channels or by transfer of funds from other NRE/FCNR accounts.

f) **Remittances abroad by Resident nominee** : Application from a resident nominee for remittance of funds outside India for meeting the liabilities, if any, of the deceased account holder or for similar other purposes, should be forwarded to the Reserve Bank for consideration.

g) **Tax Exemption** : Income from interest on balances standing to the credit of NRE Accounts is exempt from Income Tax. Likewise balances held in such accounts are exempt from wealth tax.

h) **Reporting** :

The transactions in these accounts shall be reported to the Reserve Bank in accordance with the directions issued by it from time to time.

SCHEDULE 2
[See Regulation 5(1) (ii)]

FOREIGN CURRENCY (NON-RESIDENT) ACCOUNT (BANKS) SCHEME - FCNR(B)

1. Eligibility :

(a) NRIs and OCBs are eligible to open and maintain these accounts with an authorised dealer.

NOTE: Opening of FCNR(B) accounts in the names of NRIs/OCBs of Bangladesh/Pakistan nationality/ownership requires approval of Reserve Bank.

(b) These accounts may be opened with funds remitted from outside India through normal banking channels or funds received in rupees by debit to the account of a non-resident bank maintained with an authorised dealer in India or funds which are of repatriable nature in terms of the regulations made by Reserve Bank. Accounts may also be opened by transfer of funds from existing NRE/FCNR accounts.

(c) Remittances from outside India for opening of or crediting to these accounts should be made in the designated currency in which the account is desired to be opened/maintained. Without prejudice to this, if the remittance is received in a currency other than the designated currency (including funds received in rupees by debit to the account of a non-resident bank), it should be converted into the latter currency by the authorised dealer at the risk and cost of the remitter and account should be opened/credited in only the designated currency.

(d) In case the depositor with any convertible currency other than designated currency desires to place a deposit in these accounts, authorised dealers may undertake with the depositor a fully covered swap in that currency against the desired designated currency. Such a swap may also be done between two designated currencies.

2. Designated currencies :

Deposit of funds in the accounts may be accepted in Pound Sterling, US Dollar, Deutsche Mark, Japanese Yen, Euro and such other currencies as may be designated by Reserve Bank from time to time.

3. Type of account :

These accounts may be opened only in the form of term deposit for any of the three maturity periods, viz. one year and above but less than two years, two years and above but less than three years and three years only.

4. Rate of Interest :

The rate of interest on funds held in these deposit accounts will be in accordance with the directives issued by the Reserve Bank from time to time.

5. Permissible Debits/Credits :

All debits/credits permissible in respect of NRE accounts as specified in Schedule 1 shall be permissible in respect of these accounts also.

6. Rate for Conversion of Rupees into Designated Currencies and vice versa :

i) Remittances received in Indian rupees for opening these accounts shall be converted by the authorised dealer into the designated foreign currency at the clean T.T. selling rate for that currency ruling on the date of conversion.

ii) For the purpose of payment in rupees, funds held in these accounts shall be converted into rupees at the authorised dealer's clean T.T. buying rate for the concerned currency ruling on the date of withdrawal.

7. Inland Movement of Funds :

Any inland movement of funds for the purpose of opening these accounts as well as for repatriation outside India of balances held in these accounts will be free of inland exchange or commission for the non-resident depositors. The Authorised dealer receiving foreign currency remittances in these accounts will also, on request, pass on the foreign currency to another authorised dealer if the account has to be opened with the latter, at no extra cost to the remitter.

8. Manner of Payment of Interest :

(i) Interest on balances held in these accounts may be paid half-yearly or on an annual basis as desired by the depositor.

(ii) Interest may be credited to a new FCNR(B) account or an existing/new NRE/NRO/NRNR/NRSR account in the name of the account holder, at his option.

9. Loans/overdrafts against security of funds held in the account :

(1) The terms and conditions as applicable to NRE deposits (cf. Schedule 1) in respect of loans and overdrafts in India to depositor and to third parties as also loans outside India against security of deposits, shall apply *mutatis mutandis* to FCNR(B) deposits.

(2) The margin requirement shall be notionally calculated on the rupee equivalent of the deposits.

10. Change of resident status of the account holder:

When an account holder becomes a person resident in India, deposits may be allowed to continue till maturity at the contracted rate of interest, if so desired by him. However, except the provisions relating to rate of interest and reserve requirements as applicable to FCNR(B) deposits, for all other purposes such deposits shall be treated as resident deposits from the date of return of the accountholder to India. Authorised dealers should convert the FCNR(B) deposits on maturity into resident rupee deposit accounts or RFC account (if the depositor is eligible to open RFC account), at the option of the accountholder and interest on the new deposit (rupee account or RFC account) shall be payable at the relevant rates applicable for such deposits.

11. Joint account, repatriation of balances, etc. :

Terms and conditions as applicable to NRE accounts (cf. Schedule 1) in respect of joint accounts, repatriation of funds, opening account during temporary visit, operation by power of attorney, loans/overdrafts against security of funds held in accounts, shall apply *mutatis mutandis* to FCNR (B) accounts.

12. Reporting :

The transactions in these accounts shall be reported to Reserve Bank in accordance with the directions issued by it from time to time.

13. Other features :

(a) Reserve Bank will not provide exchange rate guarantee to authorised dealers for deposits of any maturity in these accounts.

(b) Lending of resources mobilised by authorised dealers under these accounts are not subject to any interest rate stipulations.

NOTE :

Premature withdrawal of FCNR(B) deposits for the purpose of opening NRNR Rupee Deposit accounts with an authorised dealer other than the one with whom the account FCNR(B) is maintained will attract penalty as per the directions issued by Reserve Bank from time to time.

SCHEDULE 3
[See Regulation 5(1)(iii)]

NON-RESIDENT ORDINARY RUPEE(NRO) ACCOUNT SCHEME

1. Eligibility

(a) Any person resident outside India may open NRO account with an authorised dealer or an authorised bank for the purpose of putting through bona fide transactions in rupees not involving any violation of the provisions of the Act, rules and regulations made thereunder.

(b) The operations on the accounts should not result in the account holder making available foreign exchange to any person resident in India against reimbursement in rupees or in any other manner.

(c) At the time of opening of the account, the account holder should furnish an undertaking to the authorised dealer/authorised bank with whom the account is maintained that in cases of debits to the account for the purpose of investment in India and credits representing sale proceeds of investments, he will ensure that such investments/disinvestments will be in accordance with the regulations made by Reserve Bank in this regard

NOTES : A. Opening of accounts by individuals/entities of Bangladesh/Pakistan nationality/ ownership requires approval of Reserve Bank.

B. Post Offices in India may maintain savings bank accounts in the names of persons resident outside India and allow operations on these accounts subject to the same terms and conditions as are applicable to NRO accounts maintained with an authorised dealer/authorised bank.

2. Types of Accounts

NRO accounts may be opened/maintained in the form of current, savings, recurring or fixed deposit accounts. The requirements laid down in the directives issued by Reserve Bank in regard to resident accounts shall apply to NRO accounts.

3. Permissible Credits/Debits

(A) Credits

(i) Proceeds of remittances received in any permitted currency from outside India through normal banking channels or any permitted currency tendered by the account-holder during his temporary visit to India or transfers from rupee accounts of non-resident banks.

(ii) Legitimate dues in India of the account holder.

(B) Debits

(i) All local payments in rupees including payments for investments subject to compliance with the relevant regulations made by the Reserve Bank.

(ii) Remittance outside India of current income in India of the account holder net of applicable taxes.

4. Remittance of funds held in NRO accounts

Balances in NRO accounts are not eligible for remittance outside India without the approval of Reserve Bank Funds received by way of remittances from outside India in foreign exchange which have not lost their identity as remittable funds will only be considered by Reserve Bank for remittance outside India. Where an account (current/ savings) is opened by a foreign tourist visiting India, with funds remitted from outside India in a specified manner or by sale of foreign exchange brought by him to India, authorised dealers may convert the balance in the account at the time of departure of the tourist from India into foreign currency for payment to the account holder provided the account has been maintained for a period not exceeding six months and the account has not been credited with any local funds, other than interest accrued thereon.

5. Grant of Loans/Overdrafts

A. To Account holders

i) Loans to non-resident account holders may be granted in rupees against the security of fixed deposits subject to usual norms as are applicable to resident accounts, for personal purposes or for carrying on business activities except for the purpose of relending or carrying on agricultural/plantation activity or for investment in real estate business.

ii) Authorised dealer/bank may permit overdraft in the account of the account holder subject to his commercial judgement and compliance with the interest rate etc directives.

B. To Third parties

Loans/overdrafts to resident individuals/firms/companies in India may be granted against the security of deposits held in NRO accounts, subject to the following terms and conditions.

(i) The loans shall be utilised only for meeting borrower's personal requirements and/or business purpose and not for carrying on agricultural/plantation activities or real estate business, or for relending.

(ii) Regulations relating to margin and rate of interest as stipulated by Reserve Bank from time to time shall be complied with.

(iii) The usual norms and considerations as applicable in the case of advances to trade/industry shall be applicable for such loans/ facilities.

6. Treatment of Loans/Overdrafts in the event of change in the resident status of the borrower

In case of person who had availed of loan or overdraft facilities while resident in India and who subsequently becomes a person resident outside India, the authorised dealer may at their discretion and commercial judgement allow continuance of tne loan/overdraft facilities. In such cases, payment of interest and repayment of loan may be made by inward remittance or out of legitimate resources in India of the person concerned.

7. Joint Accounts with Residents

The accounts may be held jointly with residents.

8. Change of Resident Status of Account holder

(a) From Resident to Non-resident

When a person resident in India leaves India for a country (other than Nepal or Bhutan) for taking up employment, or for carrying on business or vocation outside India or for any other purpose indicating his intention to stay outside India for an uncertain period, his existing account should be designated as a Non-Resident (Ordinary) account.

(b) From Non-resident to Resident

NRO accounts may be re-designated as resident rupee accounts on the return of the account holder to India for taking up employment, or for carrying on business or vocation or for any other purpose indicating his intention to stay in India for an uncertain period. Where the account holder is only on a temporary visit to India, the account should continue to be treated as non-resident during such visit.

9. Payment of funds to Non-resident Nominee

The amount due/payable to non-resident nominee from the account of a deceased account holder, shall be credited to NRO account of the nominee with an authorised dealer/authorised bank in India.

10. Reporting of transactions

i) The transaction in the account which may appear to represent reimbursement in rupees against foreign exchange made available to a person resident in India other than authorised dealer, as well as any other transaction of suspicious nature, should be reported to Reserve Bank.

ii) The transactions in these accounts shall be reported to the Reserve Bank in accordance with the directions issued by it from time to time.

SCHEDULE 4
[See Regulation 5(1)(iv)]

Non-Resident (Non-Repatriable) Rupee Deposit Scheme

1. Eligibility :

Any person resident outside India (except individuals/entities of Pakistan/Bangladesh nationality/ownership) may open NRNR accounts with an authorised dealer.

Accounts should be opened in Indian rupees out of the funds remitted from outside India through normal banking channels (in freely convertible currency). In the case of NRIs/OCBs, such accounts may also be opened by transfer of funds from their existing NRE/FCNR deposit accounts. Premature withdrawal of NRE/FCNR deposits for opening NRNR deposits with an authorised dealer other than the one with whom the NRE/FCNR account is maintained will attract penalty, if any, as per the directions issued by Reserve Bank from time to time.

2. Period of deposit :

The deposits may be held for periods ranging from 6 months to 3 years.

3. Rate of interest :

Banks are free to determine the rate of interest on deposits under this scheme and on advances against funds held in such deposits.

4. Repatriability :

Only Interest accrued on the deposits is repatriable.

5. Renewal/Transfer :

The principal amount of deposit together with interest accrued thereon may be renewed for a further period ranging from 6 months to 3 years . If the interest accrued on an existing deposit is invested under the Scheme, the amount of interest so invested, will not be eligible for repatriation. The account can also be shifted from one authorised dealer to another.

6. Gift :

In the case of individual deposit holder, the amount of deposit can be gifted to any resident/ non-resident or to any Charitable Trust in India recognised under the Income Tax Act, 1961.

7. Joint Accounts with residents :

Account may be held jointly with residents.

8. Loans/overdrafts :

Loans/overdrafts in India, against the security of these deposits may be granted by the authorised dealer to account holders/third parties for personal purposes or for carrying on business activities and not for carrying on agricultural/plantation activities or real estate business, or for relending, subject to their normal commercial judgement. Repayment of loans/liquidation of overdraft to the account holder shall be by way of inward remittance from outside India through normal banking channels or by debit to NRE/FCNR/NRO/NRNR/NRSR account of the depositor or by adjustment against maturity proceeds of deposit. Repayment of loans availed by third parties may be made out of their own resources.

9. Nomination :

An authorised dealer may register nomination in favour of either a resident or non-resident. However, nomination in favour of a non-resident may be registered subject to the condition that the amount standing to the credit of the depositor, in the event of his death, will be paid to the non-resident nominee only in Indian rupees by credit to the nominee's NRO/NRNR/NRSR account and will not be allowed to be remitted outside India.

10. Reporting :

Transactions in these accounts shall be reported to Reserve Bank in accordance with the directions issued by it from time to time.

SCHEDULE 5
[See Regulation 5(1)(v)]

Non-resident (Special) Rupee (NRSR) Account Scheme

1. *Eligibility* :

i) NRIs (other than nationals of Bangladesh/Pakistan) who voluntarily undertake not to seek remittance of funds held in these accounts as also income earned thereon are eligible to maintain NRSR accounts with an authorised dealer.

ii) These accounts shall carry the same facilities and restrictions as are applicable to domestic accounts of residents in respect of repatriation of funds held in the account and/or income accrued thereon with an exception of investment in shares/securities or immovable property or agricultural/plantation activities or real estate business in India which shall be governed by the regulations applicable to such investments by non-residents.

iii) The directives issued by Reserve Bank in regard to domestic accounts shall be applicable to these accounts.

2. Application Form :

For the purpose of opening of these accounts, an application shall be submitted to an authorised dealer in Form NRSR appended to this Schedule.

3. Type of accounts :

These accounts may be maintained in the form of current, savings, recurring or fixed deposit account.

4. Joint accounts :

These accounts may be held jointly with residents.

5. Rate of interest :

The interest rates as applicable to resident accounts shall apply to these accounts.

6. Change of resident status of the account holder :

When a person resident in India becomes a person resident outside India (other than Nepal and Bhutan) on account of his taking up employment, or carrying on business or vocation outside India or for any other purpose indicating his intention to stay outside India permanently or for an uncertain period, the person concerned will have the option of designating his existing domestic account as NRO account or NRSR account.

7. Nomination facility :

An authorised dealer may register nomination in favour of either a resident or a non-resident. However, a non-resident nominee will not be entitled to any remittance facility out of funds held in NRSR account of the deceased account holder or income/interest accrued thereon.

8. Overdrafts in NRSR account:

Authorised dealer/authorised bank may permit overdraft in the account of the account holder subject to his/its commercial judgement.

9. Miscellaneous :

i) The operations on these accounts may be allowed freely as in the case of domestic accounts maintained by resident individuals.

ii) The account holders are also permitted to freely transfer funds from NRO/NRE/FCNR accounts to NRSR accounts but not vice versa.

NRSR

Application-cum-Undertaking form for opening of Non-Resident (Special) Rupee (NRSR) Account

To.
.....
.....
(Name and address of bank)

Photograph/s of the accountholder/s

Dear Sir,

Opening of Non-Resident (Special) Rupee Account

*I/We request you to open a Non-resident (Special) Rupee account with your branch.
*I/We request you to convert our existing resident account no..... ..... with your branch to a
Non-resident (Special) Rupee account.

My/Our particulars are given below:

1. Name/s
2. Address/es
3. Nationality

I/We undertake to abide by the regulations framed for Non-Resident (Special) Rupee accounts.

Undertaking

I/We ,(name/s)....., undertake that :

I /We will not make available to any person resident in India any foreign exchange against reimbursement in India in rupees or otherwise.

I /We will ensure that investment is shares /securities or immovable property in India out of funds held in my/our NRSR account with you are governed by respective regulations of Reserve Bank of India.

I/We voluntarily undertake that I/We and/or my/our heir/successor will not seek repatriation of funds held in my/our NRSR a/c with you and /or any income/interest earned thereon at any time.

Place.....
Date.....

(Signature/s) ... .
Name/s .....
Address/es .....
.....

SCHEDULE 6
[See Regulation 7(1)]

Acceptance of deposits by a company incorporated in India (including a non-banking finance company registered with Reserve Bank) on repatriation basis from a non-resident Indian or a person of Indian origin resident outside India.

A company incorporated in India (including a non-banking finance company registered with the Reserve Bank) may accept deposits from NRIs, on repatriation basis subject to the following conditions.

i) The deposits are received under a public deposit scheme.

ii) If the deposit accepting company is a non-banking finance company, it should be registered with the Reserve Bank and should have obtained the required credit rating as stipulated under the guidelines issued by Reserve Bank for such companies.

iii) The amount representing the deposit is received by inward remittance from outside India through normal banking channels or by debit to the Non-Resident (External) Account or Foreign Currency (Non-Resident) (Bank) Account maintained with an authorised dealer/authorised bank in India.

iv) If the deposit accepting company is a non-banking finance company the rate of interest payable on deposits shall be in conformity with the guidelines/directions issued by Reserve Bank for such companies. In other cases the rate of interest payable on deposits shall not exceed the ceiling rate prescribed from time to time under the Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 1975.

v) The maturity period of deposits shall not exceed 3 years.

vi) The company accepting the deposits shall comply with the provisions of any other law, rules, regulations, orders issued by the Government of India or any other competent authority, as are applicable to it in regard to acceptance of deposits.

vii) The amount of aggregate deposits accepted by the company shall not exceed 35% of its net owned funds.

viii) The payment of interest net of taxes may be made by the company to the depositor by remittance through an authorised dealer or by credit to the depositor's NRE/FCNR(B)/NRNR/NRO/NRSR account as desired by him.

ix) The amount of deposits so collected shall not be utilised by the company for re-lending (not applicable to a Non-Banking Finance Company) or for undertaking agricultural/plantation activities or real estate business or for investing in any other concern, firm or a company engaged in or proposing to engage in agricultural/plantation activities or real estate business.

x) The repayment of the deposit may be made by the company to the depositor by remittance from India through an authorised dealer or by credit to the depositor's NRE/FCNR(B) account maintained with an authorised dealer in India, provided the depositor continues to be a non-resident at the time of repayment. While applying to the authorised dealer for remittance of maturity proceeds of deposit or credit thereof to NRE/FCNR(B) account , the company should certify that the amount of deposit was received either by inward remittance from outside India through normal banking channels or by debit to the depositor's NRE/FCNR(B) account, as the case may be.

xi) The amount representing repayment of deposit may also be credited to the depositor's NRNR/NRO or NRSR account, at the depositor's option.

SCHEDULE 7
[See Regulation 7(2)]

Acceptance of deposits by Indian proprietorship concern/firm or company (including non-banking finance company registered with Reserve Bank) on non-repatriation basis from Non-Resident Indians and persons of Indian origin resident outside India

A proprietorship concern or a firm in India, may accept deposits on non-repatriation basis from NRIs, and a company incorporated in India (including a non-banking finance company registered with Reserve Bank) may accept deposits on non-repatriation basis from NRIs/OCBs, subject to the following conditions :

i) In the case of a company, the deposits may be accepted either under private arrangement or under a public deposit scheme.

ii) If the deposit accepting company is a non-banking finance company, it should be registered with the Reserve Bank and should have obtained the required credit rating as stipulated under the guidelines issued by Reserve Bank for such companies.

iii) The maturity period of deposit shall not exceed 3 years.

iv) If the deposit accepting company is a non-banking finance company the rate of interest payable on deposits shall be in conformity with the guidelines/directions issued by Reserve Bank for such companies. In other cases the rate of interest payable on deposits shall not exceed the ceiling rate prescribed from time to time under the Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 1975

v) The amount of deposit shall be received either by inward remittance from outside India through normal banking channels or by debit to NRE/FCNR(B)/NRO/NRNR or NRSR account. Where, however, the deposit is made out of funds held in NRSR account of the depositor, payment of interest as also the repayment of deposit shall be made only by credit to NRSR account of the depositor concerned. In all other cases, the maturity proceeds/interest shall be credited to NRO Account.

vi) The proprietorship concern/firm/company accepting the deposit should comply with the provisions of any other law, rules, regulations or orders made by Government or any other competent authority, as are applicable to it in regard to acceptance of deposits.

vii) The proprietorship concern, firm or company accepting the deposit shall not utilise the amount of deposits for relending (not applicable to a Non-Banking Finance Company) or for undertaking agricultural/plantation activities or real estate business or for investing in any other concern or firm or company engaged in or proposing to engage in agricultural/plantation activities or real estate business.

viii) The amount of deposits accepted shall not be allowed to be repatriated outside India.

[F. No. 1/9/EC/97]
P. R. GOPALA RAO, Executive Director

अधिसूचना

मुम्बई, 3 मई, 2000

सं. फेमा 6/आरबी-2000

सा. का. नि. 389(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (छ), धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक ने करेंसी अथवा करेंसी नोटों का भारत से निर्यात तथा भारत को आयात करने के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनायी है, यथा :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2000 कहा जाएगा ।

ii) ये पहली जून, 2000 से लागू होंगे ।

2. परिभाषा

इन विनियमों में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,

i) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42)

ii) इन विनियमों में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में दिये गये हैं ।

3. भारतीय करेंसी तथा करेंसी नोटों का निर्यात तथा आयात

1) इन विनियमों में अन्यथा उल्लिखित बातों को छोड़कर, भारत में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति,

क) प्रतिव्यक्ति 5000/- रुपये से अनधिक राशि तक के भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोटों को भारत से बाहर (नेपाल और भूटान को छोड़कर) ले जा सकता है ;

ख) प्रत्येक दो सिक्कों से अनधिक स्मारक सिक्के भारत से बाहर (नेपाल और भूटान को छोड़कर) ले जा सकता है ।

स्पष्टीकरण

'स्मारक सिक्कों' में भारत सरकार के टकसाल द्वारा किसी विशिष्ट अवसर पर स्मरणार्थ तथा भारतीय करेंसी में जारी किये गये सिक्के शामिल हैं ।

ग) जो अस्थायी दौरे पर भारत से बाहर गया हुआ था वह भारत से बाहर (नेपाल और भूटान को छोड़कर) के किसी स्थान से लौटते समय प्रति व्यक्ति 5000/- रुपये से अनधिक राशि तक भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोटों को भारत में ला सकता है ।

4. भारतीय सिक्कों के निर्यात पर रोक

कोई भी व्यक्ति ऐसे भारतीय सिक्के भारत से बाहर नहीं ले जा सकता अथवा भेज सकता है जो पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 में शामिल होते हैं ।

5. विदेशी मुद्रा के निर्यात और आयात पर रोक

इन विनियमों में अन्यथा उल्लिखित उपबंधों को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति रिज़र्व बैंक की सामान्य अथवा विशेष अनुमति के बिना कोई भी विदेशी मुद्रा भारत से निर्यात नहीं करेगा अथवा भारत से बाहर नहीं भेजेगा अथवा भारत में आयात नहीं करेगा या भारत में नहीं लायगा ।

6. भारत में विदेशी मुद्रा का आयात

कोई व्यक्ति -

क) करेंसी नोटों, बैंक नोटों और यात्री चेकों को छोड़कर किसी भी रूप में विदेशी मुद्रा बिना किसी सीमा के भारत में भेज सकता है ;

ख) विदेशी मुद्रा (जारी नहीं किये गये नोटों को छोड़कर) बिना किसी सीमा के भारत से बाहर के किसी भी जगह से भारत में ला सकता है ,

बशर्ते खंड (ख) के अंतर्गत भारत में विदेशी मुद्रा लाना इस शर्त के अधीन होगा कि ऐसा व्यक्ति भारत में आने पर इन विनियमों के संलग्न करेंसी घोषणा फार्म में सीमा शुल्क (कस्टम) प्राधिकारियों को घोषित करेगा ;

इसके अलावा बशर्ते, ऐसी घोषणा करना आवश्यक नहीं होगा जहां किसी एक समय में किसी व्यक्ति द्वारा लाये गये करेंसी नोटों, बैंक नोटों अथवा यात्री चेकों के रूप में विदेशी मुद्रा का कुल मूल्य 10,000 अमरीकी डालर से अधिक अथवा उसके समतुल्य न हो और/अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी एक समय में लायी गयी विदेशी मुद्रा का कुल मूल्य 5,000 अमरीकी डालर से अधिक अथवा उसके समतुल्य न हो ।

7. विदेशी मुद्रा और करेंसी नोटों का निर्यात

1) प्राधिकृत व्यक्ति, सामान्य कारोबार के दौरान प्राप्त विदेशी मुद्रा भारत से बाहर भेज सकता है ,

2) कोई भी व्यक्ति भारत में ला सकता है अथवा भारत से बाहर भेज सकता है, -

i) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवास करनेवाले व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियम, 2000 के अनुसार रखे गये विदेशी मुद्रा खाता पर आहरित चेक;

ii) अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसमें किये गये या जारी किये गये नियमों या विनियमों या निदेशों के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति से आहरण द्वारा उसने प्राप्त की हुई विदेशी मुद्रा ;

iii) जलयानों अथवा हवाई जहाजों की तिजोरियों (सेफ) में रखी गयी करेंसी जो रिज़र्व बैंक की अनुमति से भारत में लायी गयी हो अथवा जो जलयान या हवाई जहाज में जाने के लिए ली गयी हो ;

3) कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर ले जा सकता है, -

i) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा धारण और प्रतिधारण) विनियमावली, 2000 के अनुसार उसके पास रखी हुई करेंसी;

ii) विदेश यात्रा से लौटते समय भारत में उसके द्वारा वापस लायी गयी अव्ययित विदेशी मुद्रा और विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा धारण और प्रतिधारण) विनियमावली, 2000 के अनुसार रखी गयी विदेशी मुद्रा ;

4) भारत से बाहर निवास करने वाला कोई व्यक्ति, उसने लायी राशि और उसके भारत में आगमन पर विनियम 6 के खंड (ख) के परंतुक के अनुसार घोषित राशि से अनधिक अव्ययित विदेशी मुद्रा भारत से बाहर ले जा सकता है।

8. नेपाल और भूटान को अथवा उनसे करेंसी का निर्यात और आयात

इन विनियमों में शामिल किसी अन्य बात के बावजूद, कोई व्यक्ति -

i) भारत सरकार के करेंसी नोटों और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोटों (दोनों में से किसी भी स्थिति में 100 रुपये से अधिक के मूल्यवर्गों के नोटों को छोड़कर) को भारत से नेपाल अथवा भूटान को ले जा सकता है अथवा भेज सकता है ;

ii) भारत सरकार के करेंसी नोटों और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोटों (दोनों में से किसी भी स्थिति में 100 रुपये से ऊपर के मूल्यवर्गों के नोटों को छोड़कर) को नेपाल अथवा भूटान से भारत में ला सकता है ;

iii) नेपाल अथवा भूटान की करेंसी होने के कारण करेंसी नोटों को भारत से बाहर नेपाल अथवा भूटान को ले जा सकता है, अथवा नेपाल या भूटान से भारत में ला सकता है।

[फा. सं. 1/9/ईसी/97]

पी. आर. गोपाल राव, कार्यपालक निदेशक

करेंसी घोषणा फार्म

(विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999)

प्रवासियों के लिए अनुदेश :

1. जहाँ प्रवासी द्वारा करेंसी नोटों, बैंक नोटों अथवा प्रवासी चेकों के रूप में लायी गयी विदेशी मुद्रा का कुल मूल्य 10,000 अमरीकी डालर से अधिक नहीं है या उसके समतुल्य नहीं है और/अथवा विदेशी मुद्रा नोटों का मूल्य 5000 अमरीकी डालर से अधिक या उसके समतुल्य नहीं है, ऐसे मामलों में यह फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है ।

2. प्रवासियों को सूचित किया जाता है कि वे यह फार्म भारतीय रुपये में विदेशी मुद्रा का परिवर्तन या रुपया का विदेशी मुद्रा में पुनर्परिवर्तन करते समय विदेशी मुद्रा में कारबार करने हेतु प्राधिकृत बैंक अथवा मुद्रा परिवर्तक को प्रस्तुत करें ।

3. भारत का दौरा करने वाले आगंतुक कृपया नोट करें कि यदि उन्हें ऊपर घोषित सभी विदेशी मुद्रा का नकदीकरण नहीं करना हैं तो उन्हें भारत से प्रस्थान करते समय सीमा शुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए इस फार्म को अपने पास रखना चाहिए ताकि वे अप्रयुक्त जमाराशि अपने साथ ले जा सके ।

4. यात्री चेकों/करेंसी नोटों के ब्योरे देने की कोई जरूरत नहीं है ।

5. विदेशी पर्यटक अपना पता न दें ।

(प्रवासी द्वारा भरा जाना चाहिए)

मैं _____ एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि भारत में मेरे आगमन के समय मेरे पास निम्नलिखित विदेशी मुद्रा है :

(केवल कुल मूल्य)

	करेंसी का नाम	करेंसी नोट	यात्री चेक	कुल
1.				
2.				
3.				

हस्ताक्षर _____

पासपोर्ट संख्या _____

राष्ट्रीयता _____

(सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा भरा जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नाम के व्यक्ति ने ऊपर निर्दिष्ट किये अनुसार विदेशी मुद्रा अपने साथ लायी है ।

दिनांक :

सीमा शुल्क अधिकारी की मुहर
तथा हस्ताक्षर

(पृष्ठांकन हेतु स्थान)

दिनांक	नकदीकरण प्रमाणपत्रों की स्पष्ट संख्या	परिवर्तित राशि	बैंक अथवा मुद्रा परिवर्तक की मुहर तथा हस्ताक्षर
1	2	3	4

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd May, 2000

No. FEMA 6/RB-2000

G. S. R. 389(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (3) of Section 6, sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank makes the following regulations for export from and import into, India of currency or currency notes, namely :—

1. Short title & commencement :-

i) These regulations may be called as Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) Regulations, 2000.

ii) They shall come into effect on 1st day of June, 2000.

2. Definitions :-

In these regulations, unless the context requires otherwise, -

i) 'Act' means Foreign Exchange Management Act,1999 (42 of 1999) ;

ii) the words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act have meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Export and Import of Indian currency and currency notes :-

(1) Save as otherwise provided in these regulations, any person resident in India,

a) may take outside India (other than to Nepal and Bhutan) currency notes of Government of India and Reserve Bank of India notes upto an amount not exceeding Rs.5,000/- per person;

b) may take or send outside India (other than to Nepal and Bhutan) commemorative coins not exceeding two coins each.

Explanation :

'Commemorative Coin' includes coin issued by Government of India Mint to commemorate any specific occasion or event and expressed in Indian currency.

c) who had gone out of India on a temporary visit, may bring into India at the time of his return from any place outside India (other than from Nepal and Bhutan), currency notes of Government of India and Reserve Bank of India notes upto an amount not exceeding Rs.5,000/- per person.

4. Prohibition on Export of Indian coins :-

No person shall take or send out of India the Indian coins which are covered by the Antique and Art Treasure Act, 1972.

5. Prohibition on export and import of foreign currency :-

Except as otherwise provided in these regulations, no person shall, without the general or special permission of the Reserve Bank, export or send out of India, or import or bring into India, any foreign currency.

6. Import of foreign exchange into India :-

A person may -

a) send into India without limit foreign exchange in any form other than currency notes, bank notes and travellers cheques ;

b) bring into India from any place outside India without limit foreign exchange (other than unissued notes),

provided that bringing of foreign exchange into India under clause (b) shall be subject to the condition that such person makes, on arrival in India, a declaration to the Custom authorities in Currency Declaration Form (CDF) annexed to these Regulations;

provided further that it shall not be necessary to make such declaration where the aggregate value of the foreign exchange in the form of currency notes, bank notes or traveller's cheques brought in by such person at any one time does not exceed US$10,000 (US Dollars ten thousands) or its equivalent and/or the aggregate value of foreign currency notes brought in by such person at any one time does not exceed US$ 5,000 (US Dollars five thousands) or its equivalent.

7. Export of foreign exchange and currency notes :-

(1) An authorised person may send out of India foreign currency acquired in normal course of business,

(2) any person may take or send out of India, -

(i) Cheques drawn on foreign currency account maintained in accordance with Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) Regulations, 2000;

(ii) foreign exchange obtained by him by drawal from an authorised person in accordance with the provisions of the Act or the rules or regulations or directions made or issued thereunder ;

(iii) currency in the safes of vessels or aircrafts which has been brought into India or which has been taken on board a vessel or aircraft with the permission of the Reserve Bank ;

(3) any person may take out of India, -

(i) foreign exchange possessed by him in accordance with the Foreign Exchange Management (Possession and Retention of Foreign Currency) Regulations, 2000 ;

(ii) unspent foreign exchange brought back by him to India while returning from travel abroad and retained in accordance with the Foreign Exchange Management (Possession and Retention of Foreign Currency) Regulations, 2000 ;

(4) any person resident outside India may take out of India unspent foreign exchange not exceeding the amount brought in by him and declared in accordance with the proviso to clause (b) of Regulation 6, on his arrival in India.

8. Export and import of currency to or from Nepal and Bhutan :-

Notwithstanding anything contained in these regulations, a person may –

i) take or send out of India to Nepal or Bhutan, currency notes of Government of India and Reserve Bank of India notes (other than notes of denominations of above Rs.100 in either case) ;

ii) bring into India from Nepal or Bhutan, currency notes of Government of India and Reserve Bank of India notes (other than notes of denominations of above Rs.100 in either case) ;

iii) take out of India to Nepal or Bhutan, or bring into India from Nepal or Bhutan, currency notes being the currency of Nepal or Bhutan.

[F. No. 1/9/EC/97]

P. R. GOPALA RAO, Executive Director

CURRENCY DECLARATION FORM (CDF)

[See Regulation 6]

Instructions for passengers:

1. This form need not be completed in cases where the aggregate value of the foreign exchange brought in by the passenger in the form of currency notes, bank notes, or travellers cheques does not exceed U.S.$ 10,000/- or its equivalent and/or the value of foreign currency notes does not exceed U.S.$ 5,000 or its equivalent.

2. Passengers are advised to produce this form to a bank authorised to deal in foreign exchange or money changer at the time of conversion of foreign exchange into Indian rupees or reconversion of rupees into foreign exchange.

3. Visitors to India may please note that in case they do not wish to encash all the foreign exchange declared above they should retain this form with them for production to the Customs at the time of their departure from India to enable them to take with them the unutilised balance.

4. Details of travellers' cheques/currency notes need not be furnished.

5. Foreign tourists need not indicate their address.

(To be completed by passenger)

I_____

hereby, declare that the following foreign exchange is in my possession at the time of my arrival in India:

(Aggregate value only)

	Name of the currency	Currency notes	Travellers Cheques	Total
1				
2				
3				

Signature_____

Passport No._____

Nationality_____

To be completed by Customs Officer

This is to certify that the above named person has brought with him foreign exchange as indicated above.

Date_____

_____

(Stamp and Signature of Customs Officer)

(Space for endorsement)

Date 1	Distinctive Number of Encashment Certificate 2	Amount changed 3	Stamp and Signature of Bank or Money changer 4

अधिसूचना

मुम्बई, 3 मई, 2000

सं. फेमा 7/2000-आरबी

सा. का. नि. 390(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ज), धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा भारत से बाहर अचल संपत्ति के अभिग्रहण और अंतरण के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर अचल संपत्ति का अभिग्रहण और अंतरण) विनियमावली, 2000 कहा जाएगा ।

ii) ये पहली जून, 2000 से लागू होंगे ।

2. परिभाषा

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो --

i) 'अधिनियम' से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है ;

ii) इन विनियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो अधिनियम में निर्दिष्ट है ।

3. भारत से बाहर अचल संपत्ति के अभिग्रहण और अंतरण पर प्रतिबंध

जब तक अधिनियम या इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित न हो, भारत का निवासी कोई व्यक्ति रिज़र्व बैंक की सामान्य या विशेष अनुमति के बिना भारत से बाहर किसी अचल संपत्ति का अभिग्रहण या अंतरण नहीं करेगा ।

4. छूट

इन विनियमों में कही गई कोई बात निम्नप्रकार की संपत्ति पर लागू नहीं होगी --

(क) भारत के निवासी ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित संपत्ति जो किसी अन्य देश का राष्ट्रिक हो;

(ख) भारत के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा 8 जुलाई, 1947 को या उससे पूर्व अभिगृहीत की गई और रिजर्व बैंक की अनुमति से उसके द्वारा रखी गई संपत्ति ।

5. भारत से बाहर अचल संपत्ति का अभिग्रहण और अंतरण

1) भारत का निवासी कोई व्यक्ति निम्नानुसार भारत से बाहर अचल संपत्ति का अभिग्रहण कर सकता है --

क) अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) में या विनियम 4 के खंड (ख) में उल्लिखित किसी व्यक्ति से उपहार या विरासत में प्राप्त होने पर ;

ख) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) विनियमावली, 2000 के अनुसार रखे गए निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खाते में रखी विदेशी मुद्रा से खरीदे जाने पर ।

2) भारत का निवासी कोई व्यक्ति, जिसने इस विनियम के उप-विनियम (1) के अंतर्गत भारत से बाहर अचल संपत्ति अभिगृहीत की हो, उस संपत्ति को भारत के निवासी अपने किसी रिश्तेदार को उपहार में देकर अंतरित कर सकता है ।

स्पष्टीकरण

इस विनियम के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति के संबंध में 'रिश्तेदार' का अर्थ है पति, पत्नी, भाई या बहन या उस व्यक्ति का कोई पूर्वज या वंशज ।

[फा. सं. 1/9/ईसी/97]

पी. आर. गोपाल राव, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd May, 2000

No. FEMA 7/2000-RB

G. S. R. 390(E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) of Section 6, sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank hereby makes the following regulations relating to acquisition and transfer of immovable property outside India, namely :—

1. Short title and commencement :-

i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Acquisition and transfer of immovable property outside India) Regulations, 2000.

ii) They shall come into force on 1st day of June, 2000.

2. Definitions :-

In these regulations, unless the context requires otherwise, –

i) 'Act' means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) ;

ii) the words and expressions used but not defined in these Regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Restriction on acquisition or transfer of immovable property outside India :-

Save as otherwise provided in the Act or in these regulations, no person resident in India shall acquire or transfer any immovable property situated outside India without general or special permission of the Reserve Bank.

4. Exemptions :-

Nothing contained in these regulations shall apply to the property –

(a) held by a person resident in India who is a national of a foreign state ;

(b) acquired by a person resident in India on or before 8th July 1947 and continued to be held by him with the permission of the Reserve Bank.

5. Acquisition and Transfer of Immovable Property outside India :-

(1) A person resident in India may acquire immovable property outside India, -

(a) by way of gift or inheritance from a person referred to in sub-section (4) of Section 6 of the Act, or referred to in clause (b) of regulation 4;

(b) by way of purchase out of foreign exchange held in Resident Foreign Currency (RFC) account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Foreign Currency accounts by a person resident in India) Regulations, 2000;

(2) A person resident in India, who has acquired immovable property outside India under sub-regulation (1) of this regulation, may transfer it by way of gift to his relative who is a person resident in India;

Explanation :

For the purposes of this regulation, 'relative' in relation to an individual means husband, wife, brother or sister or any lineal ascendant or descendant of that individual.

[F. No. 1/9/EC/97]

P. R. GOPALA RAO, Executive Director

अधिसूचना

मुम्बई, 3 मई, 2000

सं. फेमा 8/2000-आरबी

सा. का. नि. 391(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ञ), धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 कहा जाएगा.

ii) ये पहली जून, 2000 से लागू होंगे।

2. परिभाषा

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

i) 'अधिनियम' से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है;

ii) 'प्राधिकृत व्यापारी' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत व्यापारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है;

iii) इस विनियमावली में प्रयुक्त और परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो क्रमशः इस अधिनियम में निर्दिष्ट हैं।

3. प्रतिबंध

इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित होने अथवा रिज़र्व बैंक की सामान्य या विशेष अनुमति के बिना भारत में कोई निवासी व्यक्ति किसी ऐसे भारत के निवासी व्यक्ति को, जिसका भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के प्रति कोई कर्ज, दायित्व या अन्य देयता बनती हो, अथवा उसी के द्वारा

कर्ज, दायित्व या देयता बनती हो, के संबंध में कोई गारंटी या जमानत नहीं देगा अथवा किसी भी नाम से कोई ऐसा लेनदेन नहीं करेगा जिसमें गारंटी लेने का आशय हो।

4. प्राधिकृत व्यापारी द्वारा दी जानेवाली गारंटिया

(1) एक प्राधिकृत व्यापारी, भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा उठाए गए किसी कर्ज, दायित्व या अन्य देयता और उसी की भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के प्रति देनदारी के संबंध में निम्नलिखित मामलों में गारंटी दे सकता है, अर्थात् -

ऐसे मामले जिनमें कर्ज, दायित्व या अन्य देयता जो भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा लिए गए हैं -

i) भारत से निर्यात के फलस्वरूप निर्यातक के रूप में;

ii) आयातक के रूप में उन आयातों के संबंध में जो आस्थगित भुगतान शर्तों के अनुसार हैं और जिन्हें ऐसी शर्तों पर आयात करने के लिए रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(2) एक प्राधिकृत व्यापारी भारत के बाहर किसी निवासी व्यक्ति द्वारा लिए गए किसी कर्ज, दायित्व या अन्य देयता के संबंध में निम्नलिखित मामलों में गारंटी दे सकता है, अर्थात् :-

i) जहां ऐसा कर्ज, दायित्व या देयता भारत में निवासी किसी व्यक्ति के प्रति देय हो और वास्तविक व्यापारिक लेनदेन से संबंधित हो :

बशर्ते इस खण्ड के अंतर्गत दी गई गारंटी को विदेशी मूल के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बैंक की प्रति-गारंटी प्राप्त हो;

ii) ऐसे मामलों में जहां विदेशी क्रेता द्वारा केवल निवासी बैंकों की गारंटियां स्वीकार्य हैं, भारतीय निर्यातक की ओर से उसकी शाखा अथवा भारत के बाहर प्रतिनिधि द्वारा जारी गारंटी को प्रति-गारंटी प्रदान करने के रूप में;

(3) एक प्राधिकृत व्यापारी, अपने सामान्य कारबार के दौरान निम्नलिखित अन्य मामलों में गारंटी दे सकता है, अर्थात् :

i) लुप्त अथवा दोषपूर्ण दस्तावेजों, या हस्ताक्षर की प्रामाणिकता के बारे में भारत के बारह अपने ग्राहक अथवा शाखा अथवा प्रतिनिधि की ओर से;

ii) भारत से बाहर उन संगठनों के पक्ष में जो यात्री चेक जारी करते हैं और जिन्हें प्राधिकृत व्यापारी अथवा उसके ग्राहक जो प्राधिकृत व्यक्ति हैं, द्वारा भारत में विक्रय हेतु एकत्र किया जाता है।

5. प्राधिकृत व्यापारी से इतर व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली गारंटियां

प्राधिकृत व्यापारी से इतर कोई व्यक्ति निम्नलिखित मामलों में गारंटी दे सकता है, अर्थात् :

क) भारत में निवासी कोई व्यक्ति, निर्यातक कंपनी होने के नाते भारत से बाहर परियोजना के कार्य निष्पादन हेतु अथवा ऐसी परियोजना के निष्पादन के संबंध में भारत से बाहर किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था से ऐसी ऋण-सुविधा चाहे वह निधि-आधारित हो या गैर-निधि-आधारित हो, प्राप्त करने के लिए गारंटी दे सकता है :

बशर्ते परियोजना का दायित्व लेने हेतु गत अनुमोदन भारत के अनुमोदक प्राधिकारी से विधिवत प्राप्त कर लिया गया हो :

स्पष्टीकरण

इस विनियम के प्रयोजनार्थ 'अनुमोदक प्राधिकारी' से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 के विनियम 18 में दिया गया है ;

ख) भारत की कोई कंपनी जो भारत से बाहर प्रवर्तन कर रही है या स्थापित हो रही है, कोई संयुक्त उद्यम कंपनी अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी अपने कारबार के संबंध में परवर्ती को या उसकी ओर से गारंटी दे सकती है :

बशर्ते ऐसी कंपनी या अनुषंगी कंपनी के प्रवर्तन या स्थापना हेतु विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण और निर्गम) विनियमावली, 2000 में दिए गए नियमों व शर्तों का निरंतर पालन किया गया हो,
बशर्ते यह भी कि इस खण्ड के अंतर्गत गारंटी भारत के प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भी दी जा सकती है ;

ग) किसी नौवहन कंपनी अथवा विमानन कपनी, जिसका नाम भारत से बाहर शामिल है, का भारत में एजेंट उस कंपनी की भारत में किसी सांविधिक या सरकारी प्राधिकरण के प्रति दायित्व या देयता के संबंध में उसकी ओर से गारंटी दे सकता है।

[फा. सं. 1/9/ईसी/97]

पी. आर. गोपाल राव, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd May, 2000

No. FEMA 8/2000-RB

G. S. R. 391(E).—In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section (3) of Section 6, sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank makes the following regulations, namely :—

1. Short title & commencement :-

i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2000

ii) They shall come into force on 1st day of June, 2000.

2. Definitions :-

In these regulations, unless the context requires otherwise, -

(i) 'Act' means the Foreign Exchange Management Act,1999 (42 of 1999),

(ii) 'authorised dealer' means a person authorised as an authorised dealer under sub-section (1) of section 10 of the Act,

(iii) the words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act

3. Prohibition :-

Save as otherwise provided in these regulations, or with the general or special permission of the Reserve Bank, no person resident in India shall give a guarantee or surety in respect of, or undertake a transaction, by whatever name called, which has the effect of guaranteeing, a debt, obligation or other liability owed by a person resident in India to, or incurred by, a person resident outside India

4. Guarantees which may be given by an authorised dealer :-

(1) An authorised dealer may give a guarantee in respect of any debt, obligation or other liability incurred by a person resident in India and owed to a person resident outside India, in the following cases, namely:-

where the debt, obligation or other liability is incurred by the person resident in India, -

i) as an exporter, on account of exports from India;

ii) as an importer, in respect of import on deferred payment terms in accordance with the approval granted by the Reserve Bank for import on such terms.

(2) An authorised dealer may give a guarantee in respect of any debt, obligation or other liability incurred by a person resident outside India, in the following cases, namely:-

i) where such debt, obligation or liability is owed to a person resident in India in connection with a bonafide trade transaction :

Provided that the guarantee given under this clause is covered by a counter-guarantee of a bank of international repute resident abroad;

ii) as a counter-guarantee to cover guarantee issued by his branch or correspondent outside India, on behalf of Indian exporter in cases where guarantees of only resident banks are acceptable to overseas buyers.

(3) An authorised dealer may, in the ordinary course of his business, give a guarantee in the following other cases, namely:

i) on behalf of his customer or branch or correspondent outside India in respect of missing or defective documents, or authenticity of signatures;

(ii) in favour of organizations outside India issuing travellers cheques stocked for sale in India by the authorised dealer or by his constituents who are authorised persons

5 Guarantees which may be given by persons other than an authorised dealer :-

A person other than an authorised dealer may give a guarantee in the following cases, namely:

(a) a person resident in India being an exporting company may give a guarantee for performance of a project outside India, or for availing of credit facilities, whether fund-based or non-fund based, from a bank or a financial institution outside India in connection with the execution of such project :

Provided that the previous approval for undertaking the project has been duly obtained from the approving authority in India;

Explanation :

For the purpose of this regulation, the "approving authority" means the authority referred to in Regulation 18 of Foreign Exchange Management (Export of goods and services) Regulations, 2000.

b) a company in India promoting or setting up outside India, a joint venture company or a wholly-owned subsidiary, may give a guarantee to or on behalf of the latter in connection with its business :

Provided that the terms and conditions stipulated in Foreign Exchange Management (Transfer and Issue of Foreign Security) Regulations, 2000 for promoting or setting up such company or subsidiary are continued to be complied with;

Provided further that the guarantee under this clause may also be given by an authorised dealer in India;

c) an agent in India of a shipping or airline company incorporated outside India may give a guarantee on behalf of such company in connection with its obligation or liability owed to any statutory or Government authority in India.

[F. No. 1/9/EC/97]

P. R. GOPALA RAO, Executive Director

अधिसूचना

मुम्बई, 3 मई, 2000

सं. फेमा 9/2000-आरबी

सा. का. नि. 392(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 8 की धारा 10 की उपधारा (6), धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा की वसूली, प्राप्य विदेशी मुद्रा का भारत में प्रत्यावर्तन और उसके अभ्यर्पण से संबंधित तौर-तरीकों और उसकी अवधि के विषय में निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (वसूली, विदेशी मुद्रा का प्रत्यावर्तन और अभ्यर्पण) विनियमावली, 2000 कहा जाएगा ।

ii) ये पहली जून, 2000 से लागू होंगे ।

2. परिभाषा

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

i) 'अधिनियम' से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है;

ii) 'प्राधिकृत व्यापारी' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, प्राधिकृत व्यापारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है;

iii) 'देय विदेशी मुद्रा' से वह रकम अभिप्रेत है जिसे कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा में प्राप्त करने अथवा दावा करने का अधिकार रखता हो;

iv) 'अभ्यर्पण' से भारत में किसी प्राधिकृत व्यक्ति को रुपए के बदले में विदेशी मुद्रा बेचना अभिप्रेत है;

v) इस विनियमावली में प्रयुक्त किंतु परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो क्रमशः इस अधिनियम में निर्दिष्ट है ।

3. देय विदेशी मुद्रा की वसूली हेतु व्यक्तियों के कर्तव्य

भारत में कोई निवासी व्यक्ति जिसकी विदेशी मुद्रा की कोई रकम देय हो अथवा प्रोद्भूत हो, उसकी जब तक अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों में अन्यथा उपबंधित न हो, अथवा रिजर्व बैंक की सामान्य या विशेष अनुमति से वसूली और भारत में ऐसी विदेशी मुद्रा के प्रत्यावर्तन के लिए यथोचित उपाय करेगा और किसी भी स्थिति में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या करने से परहेज करेगा अथवा कोई कार्रवाई करेगा या कार्रवाई करने से परहेज करेगा, जिसका विदेशी मुद्रा प्राप्त करने पर यह प्रभाव पड़े -

क) कि उसे विदेशी मुद्रा की आंशिक या पूरी रकम की प्राप्ति में विलंब हो; अथवा

ख) कि उसे प्राप्त होनेवाली विदेशी मुद्रा की पूरी या आंशिक रकम प्राप्त ही न हो ।

4. प्रत्यावर्तन का तरीका

(1) प्राप्य विदेशी मुद्रा की वसूली पर, कोई व्यक्ति उस रकम को भारत में प्रत्यावर्तित करेगा, अर्थात् भारत में लाए या भारत में प्राप्त करे और -

क) भारत में किसी प्राधिकृत व्यक्ति को रुपए के बदले में बेचे; अथवा

ख) रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट सीमा तक भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास खाते में रखे या धारित करे; अथवा

ग) रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निर्दिष्ट सीमा तक किसी कर्ज अथवा देयता के विदेशी मुद्रा में निपटान हेतु प्रयोग करे ।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा वसूली गई विदेशी मुद्रा को भारत में तभी प्रत्यावर्तित माना जाएगा जब वह भारत से बाहर स्थित किसी देश के बैंक अथवा विनिमय गृह के खाते, जो प्राधिकृत व्यापारी के पास हों, से भुगतान भारत में रुपए में प्राप्त कर ले ।

5. प्राप्त विदेशी मुद्रा के अभ्यर्पण की अवधि

कोई व्यक्ति प्राप्त विदेशी मुद्रा को विनियम 4 के उप-विनियम (1) के खंड (क) के अधीन किसी प्राधिकृत व्यक्ति को नीचे निर्दिष्ट अवधि के भीतर बेचेगा :

i) भारत में या भारत से बाहर सेवाएं प्रदान करने हेतु पारिश्रमिक के रूप में अथवा

किसी कानूनी दायित्व के निपटान से अथवा भारत के बाहर धारित परिसंपत्तियों अथवा उत्तराधिकार, निपटान अथवा उपहार से प्राप्त होनेवाली अथवा उद्भूत विदेशी मुद्रा को उसकी प्राप्ति तारीख से सात दिन के भीतर;

ii) अन्य सभी मामलों में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति तारीख से नब्बे दिन के भीतर ।

6. कतिपय मामलों में अभ्यर्पण हेतु अवधि

1) कोई व्यक्ति, जिसने अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (5) के अधीन किसी प्राधिकृत व्यक्ति को दी गई घोषणा में उल्लिखित किसी प्रयोजन हेतु विदेशी मुद्रा अर्जित अथवा क्रय की है, उसे अधिनियम के उपबंधों अथवा नियमों अथवा विनियमों अथवा निदेश अथवा उसके अंतर्गत दिए गए आदेश के अधीन ऐसे प्रयोजन अथवा किसी अन्य प्रयोजन, जिसके लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने की अनुमति है, का उपयोग नहीं करता है तो वह ऐसी विदेशी मुद्रा को या उसकी अप्रयुक्त रकम को उसके द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने या क्रय करने की तारीख से साठ दिन के भीतर किसी प्राधिकृत व्यक्ति को अभ्यर्पित करेगा ।

2) उपविनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी जिन मामलों में किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्राधिकृत व्यक्ति से विदेश-यात्रा के प्रयोजनार्थ विदेशी मुद्रा अर्जित/क्रय की गई हो तो ऐसी विदेशी मुद्रा की खर्च न की गई शेष रकम को, अधिनियम में अन्यथा उपबंधित न होने पर, किसी प्राधिकृत व्यक्ति को इस प्रकार अभ्यर्पित करेगा -

i) जब खर्च न की गई विदेशी मुद्रा की रकम करेंसी नोट और सिक्कों में हो तो पर्यटक को भारत में वापसी की तारीख से नब्बे दिन के भीतर; और

ii) जब खर्च न की गई विदेशी मुद्रा, यात्री-चेक के रूप में हो तो पर्यटक की भारत में वापसी की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के भीतर ।

7. छूट

नेपाल अथवा भूटान की करेंसी के रूप में विदेशी मुद्रा के लिए ये विनियम लागू नहीं होंगे ।

[फा. सं. 1/9/ईसी/97]

पी. आर. गोपाल राव, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd May, 2000

No. FEMA 9/2000-RB

G. S. R. 392(E).—In exercise of the powers conferred by Section 8, sub-section (6) of Section 10, clause (c) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank makes the following regulations relating to the manner of, and the period for, realisation of foreign exchange, repatriation of realised foreign exchange to India and its surrender, namely :—

1. Short title and commencement :-

i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Realisation, Repatriation and Surrender of Foreign Exchange) Regulations, 2000.

ii) They shall come into force on 1st day of June, 2000.

2. Definitions:-

In these Regulations, unless the context requires otherwise, –

i) 'Act' means Foreign Exchange Management Act , 1999 (42 of 1999) ;

ii) 'Authorised dealer' means a person authorised as an authorised dealer under sub-section (1) of Section 10 of the Act ;

iii) 'foreign exchange due' means the amount which a person has a right to receive or claim in foreign exchange ;

iv) 'surrender' means the selling of foreign exchange to an authorised person in India in exchange of rupees ;

v) the words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Duty of persons to realise foreign exchange due :-

A person resident in India to whom any amount of foreign exchange is due or has accrued shall, save as otherwise provided under the provisions of the Act, or the rules and regulations made thereunder, or with the general or special permission of the Reserve Bank, take all

reasonable steps to realise and repatriate to India such foreign exchange, and shall in no case do or refrain from doing anything, or take or refrain from taking any action, which has the effect of securing –

(a) that the receipt by him of the whole or part of that foreign exchange is delayed; or

(b) that the foreign exchange ceases in whole or in part to be receivable by him.

4. Manner of Repatriation :-

(1) On realisation of foreign exchange due, a person shall repatriate the same to India, namely bring into, or receive in, India and –

(a) sell it to an authorised person in India in exchange for rupees; or

(b) retain or hold it in account with an authorised dealer in India to the extent specified by the Reserve Bank; or

(c) use it for discharge of a debt or liability denominated in foreign exchange to the extent and in the manner specified by the Reserve Bank.

(2) A person shall be deemed to have repatriated the realised foreign exchange to India when he receives in India payment in rupees from the account of a bank or an exchange house situated in any country outside India, maintained with an authorised dealer.

5. Period for surrender of realised foreign exchange :-

A person shall sell the realised foreign exchange to an authorised person under clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 4, within the period specified below :-

i) foreign exchange due or accrued as remuneration for services rendered, whether in or outside India, or in settlement of any lawful obligation, or an income on assets held outside India, or as inheritance, settlement or gift, within seven days from the date of its receipt ;

ii) in all other cases within a period of ninety days from the date of its receipt.

6. Period for surrender in certain cases :-

(1) Any person who has acquired or purchased foreign exchange for any purpose mentioned in the declaration made by him to an authorised person under sub-section (5) of Section 10 of the Act does not use it for such purpose or for any other purpose for which purchase or acquisition of foreign exchange is permissible under the provisions of the Act or the rules or regulations or direction or order made thereunder, shall surrender such foreign exchange or the unused portion thereof to an authorised person within a period of sixty days from the date of its acquisition or purchase by him.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), where the foreign exchange acquired or purchased by any person from an authorised person is for the purpose of foreign travel, then, the unspent balance of such foreign exchange shall, save as otherwise provided in the regulations made under the Act, be surrendered to an authorised person –

(i) within ninety days from the date of return of the traveller to India, when the unspent foreign exchange is in the form of currency notes and coins; and

(ii) within one hundred eighty days from the date of return of the traveller to India, when the unspent foreign exchange is in the form of travellers cheques.

7. Exemption :-

Nothing in these regulations shall apply to foreign exchange in the form of currency of Nepal or Bhutan.

[F. No. 1/9/EC/97]

P. R. GOPALA RAO, Executive Director

अधिसूचना

मुम्बई, 3 मई, 2000

सं. फेमा 10/2000-आरबी

सा. का. नि. 393(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 के खंड (ख) और धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा खाते खोलने, धारण करने तथा रखने के लिए और भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा ऐसे खातों में जो राशियां रखी जाती हैं उनकी सीमाओं के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेन्सी खाता) विनियमावली, 2000 कहा जाएगा।

ii) ये पहली जून, 2000 से लागू होंगे।

2. परिभाषा

इन विनियमों में, जब तब संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

i) 'अधिनियम' से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है;

ii) 'प्राधिकृत व्यापारी' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी' के रूप में प्राधिकृत किया गया है;

iii) 'विदेशी करेन्सी खाता' से भारत अथवा नेपाल अथवा भूटान की मुद्रा के अलावा किसी भी अन्य मुद्रा में रखा गया खाता अभिप्रेत है;

iv) 'अनुसूची' से इन विनियमों की अनुसूची अभिप्रेत है;

v) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियों, जिनकी परिभाषा नहीं दी गयी है, से क्रमशः वही अर्थ अभिप्रेत हैं जो अधिनियम में दिया गया है ।

3. भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेन्सी खाता धारण करने पर प्रतिबंध

अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों में जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, भारत में निवासी कोई भी व्यक्ति विदेशी करेन्सी खाता न खोल सकता है, न धारण कर सकता है अथवा न रख सकता है ।

बशर्ते भारत में निवासी किसी भी व्यक्ति द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक की विशेष अथवा सामान्य अनुमति से इन विनियमों के प्रारंभ से पहले कोई विदेशी करेन्सी खाता धारित किया गया अथवा रखा गया हो तो उसे इन विनियमों के अंतर्गत धारित किया गया अथवा रखा गया माना जाएगा :

बशर्ते यह भी कि भारतीय रिज़र्व बैंक, उसे आवेदन किये जाने पर ऐसी शर्तों, जो आवश्यक समझी जा सकती हैं, के आधार पर भारत में निवासी किसी व्यक्ति को विदेशी करेन्सी खाता खोलने, धारण करने अथवा रखने की अनुमति दे सकता है ।

4. विदेशी मुद्रा अर्जक का विदेशी करेन्सी खाता खोलना, धारण करना और रखना

भारत में निवासी कोई भी व्यक्ति, भारत के प्राधिकृत व्यापारी के साथ अनुसूची में विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी करेन्सी खाता योजना की शर्तों के अनुसार विदेशी करेन्सी खाता खोल सकता है, धारण कर सकता है और रख सकता है जिसे विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी करेन्सी (ईईएफसी) खाते के नाम से जाना जायेगा ।

5. निवासी विदेशी करेन्सी खाता खोलना, धारण करना और रखना

(1) भारत में निवासी कोई भी व्यक्ति, विदेशी मुद्रा में से भारत में प्राधिकृत व्यापारी के साथ विदेशी करेन्सी खाता खोल सकता है, धारण कर सकता है अथवा रख सकता है, जिसे निवासी विदेशी करेन्सी (आरएफसी) खाता नाम से जाना जायेगा -

क) जिसमें भारत से बाहर के अपने नियोक्ता से पेन्शन अथवा अन्य कोई अधिवर्षिता अथवा अन्य मौद्रिक लाभ प्राप्त; अथवा

ख) अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) में उल्लिखित परिसंपत्ति के रूपांतरण के बाद वसूल की गयी और भारत में प्रत्यावर्तित; अथवा

ग) अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) में उल्लिखित व्यक्तियों से उपहार अथवा विरासत में प्राप्त अथवा अर्जित; अथवा

घ) अधिनियम की धारा 9 के खंड (ग) में उल्लिखित अथवा उससे उपहार अथवा विरासत के रूप में अर्जित राशि शामिल है।

(2) उप-विनियम (1) की शर्तों के अनुसार खोले गये अथवा धारण किये गये अथवा रखे गये निवासी विदेशी करेन्सी खाते की निधियों को विदेशी करेन्सी शेष राशियों के उपयोग के संबंध में सभी प्रतिबंधों से मुक्त रखा जाए, इनमें भारत से बाहर किसी भी नाम से जाने जानेवाले किसी भी प्रकार के निवेश पर कोई प्रतिबंध शामिल नहीं है।

6. कतिपय अन्य मामलों में भारत में विदेशी करेन्सी खाता खोलना, धारण करना और रखना

भारत के बाहर निगमित कोई भी नौवहन अथवा विमानन कंपनी अथवा भारत में उसके एजेंट, ऐसी विमानन अथवा नौवहन कंपनी के भारत में स्थानीय व्यय को पूरा करने के लिए भारत के प्राधिकृत व्यापारियों के साथ विदेशी करेन्सी खाता खोल सकता है, धारण कर सकता है अथवा रख सकता है।

बशर्ते ऐसे खातों में ऋण भारत में भाड़ा अथवा यात्री किराया वसूली द्वारा अथवा सामान्य बैंकिंग माध्यमों से उनके भारत के बाहर के कार्यालयों से आवक प्रेषण द्वारा और एजेंट के मामले में, भारत के बाहर के उसके अपने मूल धन से जमा हो।

7. भारत के बाहर विदेशी करेन्सी खाता खोलना, धारण करना और रखना

(1) कोई भी प्राधिकृत व्यापारी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अथवा उसके अंतर्गत बनाये गये नियम अथवा विनियम अथवा जारी किये गये निदेशों के अनुसार विदेशी मुद्रा

कारबार और उससे संबंधित अन्य प्रासंगिक मामलों के प्रयोजन हेतु विदेशी करेन्सी खाता भारत के बाहर अपनी शाखा, प्रधान कार्यालय अथवा प्रतिनिधि के साथ खोल सकता है, धारण कर सकता है और रख सकता है ।

(2) भारत में निगमित अथवा गठित किसी भी बैंक की भारत के बाहर की कोई शाखा, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों अथवा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण में और जहां शाखा स्थित है, वहां के देश के विनियामक प्राधिकरण के अधीन, भारत के बाहर सामान्य बैंकिंग कारबार चलाने के उद्देश्य से एक विदेशी करेन्सी खाता, भारत के बाहर के बैंक के साथ खोल सकती है, धारण कर सकती है तथा रख सकती है ।

(3) भारत में निगमित नौवहन अथवा विमानन कंपनी अपने कारबार के सामान्य कार्यकाल में लेनदेन करने के उद्देश्य के लिए भारत के बाहर के बैंक के साथ विदेशी करेन्सी खाता खोल सकती है, धारण कर सकती है अथवा रख सकती है ।

(4) भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा भारतीय सामान्य बीमा निगम और उनकी सहायक संस्थाएं अपने बीमा व्यवसाय के लिए प्रासंगिक व्यय को पूरा करने हेतु विदेशी करेन्सी खाता भारत के बाहर के बैंक के साथ खोल सकती हैं, धारण कर सकती हैं अथवा रख सकती हैं, और ऐसे खातों में भारत से बाहर उनसे प्राप्त बीमा प्रीमियम जमा कर सकती हैं ।

(5) भारत में निवासी कोई भी व्यक्ति, निर्यातकर्ता होने के कारण, जिसने भारत के बाहर निर्माण संविदा और पण्यावर्त परियोजना हाथ में ली हो अथवा जो आस्थगित भुगतान शर्तों पर भारत से सेवाएं अथवा इंजीनियरी माल निर्यात करता हो, वह भारत के बाहर के बैंक के साथ विदेशी करेन्सी खाता खोल सकता है, धारण कर सकता है अथवा रख सकता है, बशर्ते

क) संविदा/परियोजना/माल अथवा सेवाओं का निर्यात हाथ में लेने के लिए अधिनियम के विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल तथा सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 के अंतर्गत अपेक्षा किये गये अनुसार अनुमोदन, और

ख) अनुमोदन के पत्र में निर्धारित शर्तों का विधिवत् अनुपालन किया गया हो ।

(6) भारत का निवासी कोई भी व्यक्ति जो पढ़ने हेतु विदेश गया हो अथवा जो विदेश यात्रा करने जा रहा हो, वह अपने भारत के बाहर रहने के दौरान, भारत के बाहर के बैंक के साथ विदेशी करेन्सी खाता खोल सकता है, धारण कर सकता है अथवा रख सकता है बशर्ते उसके भारत लौटने पर उसके खाते की जमाराशि भारत में प्रत्यावर्तित हो जाए :

बशर्ते ऐसा व्यक्ति जो पढ़ने के लिए विदेश गया हो, अपनी पढ़ाई पूरी होने से पहले भारत में थोड़े समय के लिए यात्रा पर आता है, तो उसे उसका भारत में लौटना नहीं माना जाएगा ।

(7) भारत में निवासी कोई भी व्यक्ति, जो भारत के बाहर किसी प्रदर्शनी/ट्रेड फेयर में भाग लेने के लिए भारत से बाहर गया हो, वह प्रदर्शनी/ट्रेड फेयर में प्रदर्शित करने पर माल की बिक्री से प्राप्त आय को जमा करने के लिए भारत के बाहर के बैंक के साथ विदेशी करेन्सी खाता खोल सकता है, धारण कर सकता है और रख सकता है :

बशर्ते प्रदर्शनी/ट्रेड फेयर की समाप्ति की तारीख से एक माह की अवधि में सामान्य बैंकिंग माध्यमों से उन खातों की शेषराशि भारत में प्रत्यावर्तित हो जाए।

8. विदेशी करेन्सी खाते में धारित राशि पर सीमा

जब तक भारतीय रिज़र्व बैंक ने अन्यथा उल्लेख न किया हो, भारत में निवासी कोई भी व्यक्ति जिसने विनियम 6 और 7 के उपबंधों के अनुसार विदेशी करेन्सी खाता खोला है और उसे रख रहा है, वह उसमें बिना किसी सीमा के विदेशी मुद्रा धारण कर सकता है।

9. खातों के प्रकार

इन विनियमों के अंतर्गत भारत में प्राधिकृत व्यापारी के साथ विदेशी करेन्सी खाता -

1) जहां खाता धारक एक व्यक्ति हो, उन मामलों में चालू अथवा बचत अथवा मीयादी जमा खातों के रूप में तथा अन्य दूसरे मामलों में चालू खाता अथवा मीयादी जमा खातों के रूप में;

2) ऐसा खाता खोलने, धारण करने और रखने के लिए पात्र व्यक्तियों के नाम में एकल अथवा संयुक्त रूप से, खोला जा सकता है, धारण किया जा सकता है और रखा जा सकता है।

10. खाताधारक की मृत्यु के बाद खातों में से प्रेषण

विदेशी करेन्सी खाता धारक की मृत्यु हो जाने पर -

1) प्राधिकृत व्यापारी, जिसके यहां खाता है अथवा रखा गया है, वह भारत के बाहर का व्यक्ति होने के नाते, मृत खाताधारक के खाते में से नामिती को उसके हिस्से अथवा हक की सीमा तक राशियां प्रेषित कर सकता है।

2) भारत में निवासी होने के कारण नामिती, जो मृतक की विदेश में देयताओं को पूरा करने के लिए अपने हिस्से में से भारत के बाहर निधियां प्रेषित करने का इच्छुक है, ऐसे प्रेषण के लिए वह भारतीय रिज़र्व बैंक के पास आवेदन करें ।

11. विदेशी करेन्सी खाते रखनेवाले प्राधिकृत व्यापारियों की जिम्मेदारियां

कोई भी प्राधिकृत व्यापारी जो विदेशी करेन्सी खाता रखता हो वह

1) समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये जानेवाले निदेशों का अनुपालन करे तथा

2) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित आवधिक विवरणी अथवा विवरण, यदि कोई हो, तो प्रस्तुत करे ।

अनुसूची
(देखें विनियम 4)

विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी करेन्सी (ईईएफसी) खाता योजना

1. ईईएफसी खाते में विदेशी करेन्सी जमा करने की सीमाएं

(1) कोई भी 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाई अथवा (क)निर्यात प्रोसेसिंग ज़ोन अथवा (ख) सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजी पार्क अथवा (ग) इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नॉलॉजी पार्क में कोई इकाई 70 प्रतिशत तक जमा करे अथवा भारत में निवासी अन्य कोई व्यक्ति निम्नलिखित के 50 प्रतिशत तक ईईएफसी खाते में जमा करे, अर्थात्:

i) भारतीय रिज़र्व बैंक को दिये गये किसी भी वचन के अनुसरण में प्रेषण के अलावा सामान्य बैंकिंग माध्यमों द्वारा आवक प्रेषण अथवा खाताधारक द्वारा भारत के बाहर से प्राप्त निवेश अथवा विदेशी करेन्सी से उत्पन्न ऋण का प्रतिनिधित्व करता हो ;

ii) ऐसे ही मिलते-जुलते अथवा डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में किसी इकाई को माल की आपूर्ति के लिए 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाई अथवा (क) निर्यात प्रोसेसिंग ज़ोन अथवा (ख) सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजी पार्क अथवा (ग) इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नॉलाजी पार्क में किसी यूनिट द्वारा विदेशी मुद्रा में प्राप्त भुगतान ।

iii) विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 के विनियम 14 की शर्तों के अनुसार प्रदान किये गये अनुमोदन के अनुसरण में प्रति व्यापार के उद्देश्य से प्राधिकृत व्यापारी के साथ रखे गये खाते में से निर्यातकर्ता द्वारा प्राप्त भुगतान ।

iv) माल अथवा सेवाओं के निर्यात के प्रति निर्यातकर्ता द्वारा प्राप्त अग्रिम प्रेषण ।

v) भारत में प्राधिकृत व्यापारी के साथ विदेशी आर्थिक कार्य, मॉस्को के लिए बैंक के खाते में धारण की गयी यू.एस.डॉलर में स्टेट क्रेडिट के पुनर्भुगतान का प्रतिनिधित्व करनेवाली निधियों में से, भारत में से माल और सेवाओं के निर्यात के लिए प्राप्त भुगतान ;

बशर्ते भारतीय रिज़र्व बैंक, उसे आवेदन किये जाने पर और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करना जरूरी है, ईईएफसी खाते में विदेशी मुद्रा में आवक प्रेषण/भुगतान के उच्चतर प्रतिशत रखने की अनुमति दे सकता है ।

(2) उप पैरा (1) में प्रस्तुत सीमा के अलावा भारत में निवासी किसी अन्य व्यक्ति से खाताधारक द्वारा विदेशी मुद्रा में प्राप्त भुगतान ईईएफसी खाते में जमा नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण :

उप पैरा (1) के प्रयोजन हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्राप्त भुगतान जिसके लिए विदेशी मुद्रा में प्रतिपूर्ति की जाएगी, सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यमों से प्रेषण के रूप में माना जाए ।

2. ईईएफसी खाते में स्वीकार्य ऋण

निम्नलिखित ऋण ईईएफसी खाते में किये जाएं, अर्थात् -

i) पैरा (1) के प्रावधानों के अधीन विदेशी मुद्रा में प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त आवक विप्रेषण/भुगतान का एक भाग;
ii) खाते में धारित निधियों पर अर्जित ब्याज;
iii) खाते से, पहले आहरित की गयी, उपयाग में न लायी गयी विदेशी करेंसी को पुनः जमा करना;
iv) पैरा 3 के खण्ड (iv) की शर्तों के अनुसार प्रदत्त ऋण/अग्रिमों की राशि जो खाता धारक के आयातकर्ता ग्राहक द्वारा किये गये पुनर्भुगतान का प्रतिनिधित्व करती हो ।

3. ईईएफसी खाते में स्वीकार्य नामे

ईईएफसी खाते में निम्नलिखित नामे डाले जाएं, अर्थात् :

i) विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियम 2000 के उपबंधों के अनुसरण में चालू खाता लेनदेन में और विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खाता लेनदेन) विनियमावली, 2000 के अंतर्गत अनुमत पूंजी खाता लेनदेन में भारत के बाहर भुगतान;

ii) 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाई अथवा (क) निर्यात प्रोसेसिंग ज़ोन अथवा (ख) सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजी पार्क अथवा (ग) इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नॉलॉजी पार्क की इकाई से खरीदे गये माल की लागत में विदेशी मुद्रा में भुगतान;

iii) फिलहाल लागू केन्द्रीय सरकार की निर्यात-आयात नीति के उपबंधों के अनुसरण में सीमा शुल्क का भुगतान;

iv) ऋण/अग्रिमों से संबंधित व्यापार, जो भारत से बाहर किसी निर्यातक द्वारा धारित अपने आयातकर्ता ग्राहक के ऐसे खाते में 3 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक न हो, बशर्ते वह विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार एवं कर्ज) विनियमावली, 2000 के अनुरूप हो ।

v) भारत में निवासी किसी भी व्यक्ति द्वारा एयर शुल्क और होटल व्यय के लिए किये गये भुगतान-सहित माल/सेवाओं की आपूर्ति के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान ।

4. विविध

i) ईईएफसी खाते में धारित निधियों के रुपये में आहरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है । तथापि, रुपये में आहरित राशि विदेशी करेन्सी में परिवर्तित करने और खातों में पुनः जमा करने के लिए पात्र नहीं होगी ।

ii) ऐसे खातों को रखनेवाले खाता धारकों को 'ईईएफसी खाता' इस प्रकार उत्कीर्ण करने के साथ चेक बुकों की अलग सीरीज जारी करें और चेक का भुगतान करते समय अपनी संतुष्टि करें कि खाताधारक द्वारा चेक जारी करके जो भुगतान किया गया है वह इन विनियमों के अंतर्गत अनुमत है ।

[फा. सं. 1/9/ईसी/97]

पी. आर. गोपाल राव, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd May, 2000

No. FEMA 10/2000-RB

G. S. R. 393(E).—In exercise of the powers conferred by Section 9 and clause (e) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following regulations for opening, holding and maintaining of Foreign Currency Accounts and the limits upto which amounts can be held in such accounts by a person resident in India, namely :—

1. Short title and commencement :-

i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) Regulations, 2000.

ii) They shall come into force on 1st day of June 2000.

2. Definitions :-

In these Regulations, unless the context otherwise requires, -

i) 'Act' means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);

ii) 'Authorised dealer' means a person authorised as an authorised dealer under sub-section (1) of section 10 of the Act;

iii) 'Foreign Currency Account' means an account held or maintained in currency other than the currency of India or Nepal or Bhutan;

iv) 'Schedule' means a schedule to these Regulations;

v) the words and expressions used but not defined in these Regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Restriction on holding foreign currency account by a person resident in India :-

Save as otherwise provided in the Act or rules or regulations made thereunder, no person resident in India shall open or hold or maintain a Foreign Currency Account:

Provided that a Foreign Currency Account held or maintained before the commencement of these Regulations by a person resident in India with special or general permission of the Reserve Bank, shall be deemed to be held or maintained under these Regulations :

Provided further that the Reserve Bank, may on an application made to it, permit a person resident in India to open or hold or maintain a Foreign Currency Account, subject to such terms and conditions as may be considered necessary.

4. Opening, holding and maintaining an Exchange Earner's Foreign Currency Account :-

A person resident in India may open, hold and maintain with an authorised dealer in India, a Foreign Currency Account to be known as Exchange Earner's Foreign Currency (EEFC) Account, subject to the terms and conditions of the Exchange Earners' Foreign Currency Account Scheme specified in the Schedule.

5. Opening, holding and maintaining a Resident Foreign Currency Account :-

(1) A person resident in India may open, hold and maintain with an authorised dealer in India a Foreign Currency Account, to be known as a Resident Foreign Currency (RFC) Account, out of foreign exchange –

(a) received as pension or any other superannuation or other monetary benefits from his employer outside India; or

(b) realised on conversion of the assets referred to in sub-section (4) of section 6 of the Act, and repatriated to India; or

(c) received or acquired as gift or inheritance from a person referred to in sub-section (4) of section 6 of the Act; or

(d) referred to in clause (c) of section 9 of the Act, or acquired as gift or inheritance therefrom.

(2) The funds in a Resident Foreign Currency Account opened or held or maintained in terms of sub-regulation (1) shall be free from all restrictions regarding utilisation of foreign currency balances including any restriction on investment in any form, by whatever name called, outside India.

6. Opening, holding and maintaining a Foreign Currency Account in India in certain other cases :-

A shipping or airline company incorporated outside India or its agent in India may open, hold and maintain a Foreign Currency Account with an authorised dealer in India for meeting the local expenses in India of such airline or shipping company:

Provided that the credits to such accounts are only by way of freight or passage fare collections in India or by inward remittances through normal banking channels from its office outside India and, in the case of agent, from his principal outside India.

7. Opening, holding and maintaining a Foreign Currency Account outside India :-

(1) An authorised dealer in India may open, hold and maintain with his branch or head office or correspondent outside India, a Foreign Currency Account for the purpose of transacting foreign exchange business and other matters incidental thereto, in accordance with the provisions of the Act or the rules or regulations made or the directions issued thereunder.

(2) A branch outside India of a bank incorporated or constituted in India may open, hold and maintain with a bank outside India, a Foreign Currency Account for the purpose of carrying on normal banking business outside India, subject to compliance with the directions or guidelines issued from time to time by the Reserve Bank, and the regulatory authority in the country where the branch is located.

(3) A shipping or airline company incorporated in India may open, hold and maintain with a bank outside India, a Foreign Currency Account for the purpose of undertaking transactions in the ordinary course of its business.

(4) Life Insurance Corporation of India or General Insurance Corporation of India and its subsidiaries may open, hold and maintain with a bank outside India, a Foreign Currency Account for the purpose of meeting the expenditure incidental to the insurance business carried on by them and for that purpose, credit to such account the insurance premia received by them outside India.

(5) A person resident in India, being an exporter who has undertaken a construction contract or a turnkey project outside India or who is exporting services or engineering goods from India on deferred payment terms may open, hold and maintain a Foreign Currency Account with a bank outside India, provided that -

a) approval as required under the Foreign Exchange Management (Export of goods and services) Regulations, 2000 has been obtained for undertaking the contract/project/export of goods or services, and

b) the terms and conditions stipulated in the letter of approval have been duly complied with.

(6) A person resident in India who has gone abroad for studies or who is on a visit to a foreign country may open, hold and maintain a Foreign Currency Account with a bank outside India during his stay outside India, provided that on his return to India, the balance in the account is repatriated to India :

Provided that short visits to India by a person who has gone abroad for studies, before completion of his studies, shall not be treated as his return to India.

(7) A person resident in India who has gone out of India to participate in an exhibition/ trade fair outside India may open, hold and maintain a Foreign

Currency Account with a bank outside India for crediting the sale proceeds of goods on display in the exhibition/trade fair :

Provided that the balance in the account is repatriated to India through normal banking channels within a period of one month from the date of closure of the exhibition/trade fair.

8. Limit on holding in a Foreign Currency Account :-

Unless otherwise stipulated by the Reserve Bank, a person resident in India who has opened and is maintaining a Foreign Currency Account in accordance with the provisions of Regulations 6 and 7, may hold therein foreign exchange without any limit.

9. Types of accounts :-

A Foreign Currency Account with an authorised dealer in India under these Regulations may be opened, held and maintained -

1) in the form of current or savings or term deposit account in cases where the account holder is an individual, and in the form of current account or term deposit account in all other cases;

2) singly or jointly in the name of person eligible to open, hold and maintain such account.

10. Remittances out of the accounts after the account holder's death :-

On the death of a foreign currency accountholder, -

1) the authorised dealer with whom the account is held or maintained may remit to a nominee being a person resident outside India, funds to the extent of his share or entitlement from the account of the deceased accountholder;

2) a nominee being a person resident in India, who is desirous of remitting funds outside India out of his share for meeting the liabilities abroad of the deceased, may apply to the Reserve Bank for such remittance.

11. Responsibility of authorised dealers maintaining foreign currency accounts :-

An authorised dealer maintaining foreign currency accounts shall -

1) comply with the directions issued by the Reserve Bank from time to time; and

2) submit periodic return or statement, if any, as may be stipulated by the Reserve Bank .

Schedule
(See Regulation 4)

Exchange Earner's Foreign Currency (EEFC) Account Scheme

1. Limit up to which foreign currency may be credited to EEFC account

(1) A 100 per cent Export Oriented Unit or a Unit in (a) Export processing zone or (b) Software Technology Park or (c) Electronic Hardware Technology Park may credit up to 70 per cent, and any other person resident in India may credit up to 50 per cent of the following, to the EEFC Account, namely-

i) inward remittance through normal banking channel, other than the remittance received pursuant to any undertaking given to the Reserve Bank or which represents foreign currency loan raised or investment received from outside India by the account holder;

ii) payments received in foreign exchange by a 100 per cent Export Oriented Unit or a unit in (a) Export Processing Zone or (b) Software Technology Park or (c) Electronic Hardware Technology Park for supply of goods to similar such unit or to a unit in Domestic Tariff Area;

iii) payment received by an exporter from an account maintained with an authorised dealer for the purpose of counter trade, in accordance with the approval granted in terms of Regulation 14 of the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2000;

iv) advance remittance received by an exporter towards export of goods or services;

v) payment received for export of goods and services from India, out of funds representing repayment of State Credit in U.S. dollar held in the account of Bank for Foreign Economic Affairs, Moscow, with an authorised dealer in India;

Provided that the Reserve Bank may, on an application made to it and on being satisfied that it is necessary to do so, grant permission to hold higher percentage of inward remittance/payments in foreign exchange in the EEFC account.

(2) Except to the extent provided in sub-paragraph (1), no payment received in foreign exchange by the accountholder from any other person resident in India, shall be credited to an EEFC account.

Explanation:

For the purpose of the sub-paragraph (1), payment received through an international credit card for which reimbursement will be provided in foreign exchange may be regarded as a remittance through normal banking channels.

2. Permissible credits to EEFC account

Following credits may be made to an EEFC Account, namely –

i) A portion of inward remittance/payment received by the recipient in foreign exchange subject to the provisions of paragraph (1);

ii) Interest earned on the funds held in the account;

iii) Recredit of unutilised foreign currency earlier withdrawn from the account;

iv) Amount representing repayment by the account holder's importer customer, of loan/advances granted in terms of clause (iv) of Paragraph 3.

3. Permissible debits to the EEFC account

Following debits may be made to an EEFC Account, namely –

i) Payment outside India towards a current account transaction in accordance with the provisions of the Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) Rules, 2000 and towards a capital account transaction permissible under the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) Regulations, 2000.

ii) Payment in foreign exchange towards cost of goods purchased from a 100 percent Export Oriented Unit or a Unit in (a) Export Processing Zone or (b) Software Technology Park or (c) Electronic Hardware Technology park

iii) Payment of customs duty in accordance with the provisions of Export Import Policy of Central Government for the time being in force.

iv) Trade related loans/advances, not exceeding US $ 3 million, by an exporter holding such account to his importer customer outside India, subject to compliance with the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000.

v) Payment in foreign exchange to a person resident in India for supply of goods/services including payments for air fare and hotel expenditure.

4. Miscellaneous :-

i) There is no restriction on withdrawal in rupees of funds held in an EEFC account. However, the amount withdrawn in rupees shall not be eligible for conversion into foreign currency and for recredit to the account.

ii) Authorised dealer may issue cheque books of separate series with the superscription "EEFC Account" to the account holders maintaining such accounts, and also satisfy himself while honouring the cheques that the payment made by the account holder by issue of a cheque is permissible under these Regulations.

[F. No. 1/9/EC/97]

P. R. GOPALA RAO, Executive Director

अधिसूचना

मुम्बई, 3 मई, 2000

सं. फेमा 11/2000-आरबी

सा. का. नि. 394(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 के खंड (क) और खंड (ङ), धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (घ) और खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी करेंसी रखना और प्रतिधारित करना) विनियमावली. 2000 कहा जाएगा.

ii) ये पहली जून. 2000 से लागू होंगे ।

2. परिभाषा

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

i) 'अधिनियम' से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम. 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है;

ii) 'रखना' अथवा 'प्रतिधारण करना' से प्रत्यक्ष रूप में रखना तथा प्रतिधारण करना अभिप्रेत है;

iii) इस विनियमावली में प्रयुक्त और परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो क्रमशः इस अधिनियम में निर्दिष्ट है ।

3. विदेशी करेंसी या विदेशी सिक्कों को अपने पास रखना और प्रतिधारित किए रहना

अधिनियम की धारा 9 के खंड (क) और खंड (ङ) के प्रयोजन के लिए रिज़र्व बैंक ने विदेशी करेंसी अथवा विदेशी सिक्कों को अपने पास रखने तथा प्रतिधारित करने के लिए निम्नलिखित सीमाएं विनिर्दिष्ट की हैं, अर्थात्:

i) किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अपने प्राधिकार की सीमा के अन्तर्गत बिना सीमा के मुद्रा और सिक्कों को अपने पास रखना;

ii) किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी सिक्कों को बिना सीमा के अपने पास रखना;

iii) भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी, नोटों, बैंक नोटों और विदेशी करेंसी ट्रैवलर्स चेकों को 2000 अमरीकी डालर से अनधिक या सकल राशि में

इसके समकक्ष प्रतिधारण करना बशर्ते ये विदेशी करेंसी नोटों, बैंक नोटों और ट्रैवलर्स चेकों के रूप में हों;

क) जब वह भारत के बाहर किसी स्थान के दौरे पर था, तब उसके द्वारा अर्जित किया गया था,जो उसके द्वारा अर्पित सेवाओं के लिए भुगतान के रूप में उसे प्राप्त हुआ था किंतु जो किसी व्यवसाय अथवा भारत में किए गए किसी कार्य से अर्जित नहीं किया गया था;

या

ख) कोई व्यक्ति जो भारत मे निवासी नहीं है और वह भारत के दौरे पर है, से उसके द्वारा मानदेय या उपहार के रूप में उसके द्वारा दी गयी सेवाओं के लिए या किसी विधि सम्मत दायित्व के निपटान में अर्जित किया गया था;

या

ग) जब वह भारत के बाहर किसी स्थान के दौरे पर था उसके द्वारा मानदेय या उपहार के रूप में अर्जित किया गया;

या

घ) विदेश यात्रा के लिए किसी प्राधिकृत व्यक्ति से उसके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा की खर्च न की गयी राशि।

4. भारत में निवासी व्यक्ति जो यहां स्थायी निवास नहीं करता है, उसके द्वारा विदेशी मुद्रा का धारण

विनियम 3 के खंड (iii) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भारत में निवासी व्यक्ति, किंतु जो यहां स्थायी रूप से निवास नहीं करता है, बिना किसी सीमा के विदेशी करेंसी, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और ट्रैवलर्स चेकों के रूप में रख सकता है, यदि उक्त विदेशी करेंसी उसने तब अर्जित, धारित या स्वाधिकृत की थी जब वह भारत के बाहर का निवासी था और उन्हें अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गए विनियमों के अनुसार भारत में लाया गया था।

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजन के लिए, 'स्थायी रूप से निवासी नहीं' से अभिप्रेत भारत में निवासी उस व्यक्ति से है जो किसी विशिष्ट अवधि (चाहे उसकी अवधि कोई भी हो) के रोजगार के लिए अथवा किसी विशिष्ट जॉब अथवा नियोजन के लिए आया हो, जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक की न हो।

[फा. सं. 1/9/ईसी/97]

पी. आर. गोपाल राव, कार्यपालक निदेशक

1291 GI/2000—10A.

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd May, 2000

No. FEMA 11/2000-RB

G. S. R. 394(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) and clause (e) of Section 9, clause (d) and clause (g) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following regulations, namely :—

1. Short title & commencement :-

i) These regulations may be called as Foreign Exchange Management (Possession and Retention of Foreign Currency) Regulations, 2000.

ii) They shall come into force on 1st day of June, 2000.

2. Definitions :-

In these Regulations, unless the context requires otherwise –

i) 'Act' means Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999).

ii) 'To possess' or 'to retain' means to possess or to retain in physical form and the words 'possession' or 'retention' shall be construed accordingly.

iii) The words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Limits for possession and retention of foreign currency or foreign coins :-

For the purpose of clause (a) and clause (e) of Section 9 of the Act, the Reserve Bank specifies the following limits for possession or retention of foreign currency or foreign coins, namely :-

i) possession without limit of foreign currency and coins by an authorised person within the scope of his authority ;

ii) possession without limit of foreign coins by any person;

iii) retention by a person resident in India of foreign currency notes, bank notes and foreign currency travellers' cheques not exceeding US$ 2000 or its equivalent in aggregate, provided that such foreign exchange in the form of currency notes, bank notes and travellers cheques;

a) was acquired by him while on a visit to any place outside India by way of payment for services not arising from any business in or anything done in India;

or

b) was acquired by him, from any person not resident in India and who is on a visit to India, as honorarium or gift or for services rendered or in settlement of any lawful obligation;

or

c) was acquired by him by way of honorarium or gift while on a visit to any place outside India;

or

d) represents unspent amount of foreign exchange acquired by him from an authorised person for travel abroad

4. Possession of foreign exchange by a person resident In India but not permanently resident therein :-

Without prejudice to clause (iv) of Regulation 3, a person resident in India but not permanently resident therein may possess without limit foreign currency in the form of currency notes, bank notes and travellers cheques, if such foreign currency was acquired, held or owned by him when he was resident outside India and, has been brought into India in accordance with the regulations made under the Act

Explanation : for the purpose of this clause, 'not permanently resident' means a person resident in India for employment of a specified duration (irrespective of length thereof) or for a specific job or assignment, the duration of which does not exceed three years.

[F. No. 1/9/EC/97]

P R. GOPALA RAO, Executive Director

अधिसूचना

मुम्बई, 3 मई, 2000

सं. फेमा 12/2000-आरबी

सा. का. नि. 395(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक भारत के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर के किसी बीमाकर्ता द्वारा जारी कोई सामान्य या जीवन बीमा पॉलिसी धारण करने के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता है :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (बीमा) विनियमावली, 2000 कहा जाएगा ।

ii) ये पहली जून, 2000 से लागू होंगे ।

2. परिभाषा

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

i) 'अधिनियम' से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है ;

ii) इन विनियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित न किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम में निर्दिष्ट है ।

3. भारत से बाहर के किसी बीमाकर्ता द्वारा जारी सामान्य या जीवन बीमा पॉलिसी लेने पर प्रतिबंध

जब तक अधिनियम या अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों अथवा अधिनियम के अंतर्गत जारी किये गये आदेशों या निदेशों में अन्यथा उपबंधित न हो, भारत का निवासी कोई व्यक्ति भारत से बाहर के किसी बीमाकर्ता द्वारा जारी कोई सामान्य या जीवन बीमा पॉलिसी नहीं लेगा ।

बशर्ते रिजर्व बैंक पर्याप्त कारणों से भारत के निवासी किसी व्यक्ति को भारत से बाहर के किसी बीमाकर्ता द्वारा जारी कोई जीवन बीमा पॉलिसी लेने की अनुमति दे दे ।

4. ली गयी पॉलिसी को रखे रहने की अनुमति

(1) भारत का निवासी किंतु वहाँ स्थायी रूप से निवास न करनेवाला कोई व्यक्ति भारत से बाहर के किसी बीमाकर्ता द्वारा उसे जारी की गई कोई बीमा पॉलिसी धारित किये रह सकता है, बशर्ते उस पॉलिसी का प्रीमियम भारत से बाहर के विदेशी मुद्रा स्रोतों से अदा किया जाता हो ।

स्पष्टीकरण

इस खंड के प्रयोजनार्थ 'स्थायी रूप से निवास न करनेवाला' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत में निर्दिष्ट अवधि के रोजगार (उसकी समय-सीमा को ध्यान में न रखते हुए)

के लिए या तीन वर्ष से अनधिक अवधि के किसी निर्दिष्ट जॉब या असाइनमेंट के लिए भारत में निवास कर रहा हो ।

(2) भारत का निवासी कोई व्यक्ति भारत से बाहर के किसी बीमाकर्ता द्वारा जारी कोई सामान्य बीमा पॉलिसी ले या धारित किये रख सकता है, बशर्ते उपर्युक्त में से किसी भी मामले में पॉलिसी लेने से पूर्व उसने केंद्र सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र ले लिया हो ।

(3) i) भारत का निवासी कोई व्यक्ति भारत से बाहर निवास करते समय भारत से बाहर के किसी बीमाकर्ता द्वारा जारी कोई बीमा पॉलिसी रखे रह सकता है :

बशर्ते पॉलिसी का प्रीमियम भारत से बाहर के किसी बैंक में खोले गये उसके विदेशी मुद्रा खाते से या किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास खोले गये उसके निवासी विदेशी मुद्रा खाते में रखी निधियों से अदा किया जाता हो ;

बशर्ते यह भी कि यदि जीवन बीमा पॉलिसी पॉलिसीधारक की भारत-वापसी से पूर्व कम-से-कम तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू हो, तो पॉलिसी पर देय प्रीमियम भारत से विप्रेषण करके भी अदा किया जा सकता है ।

ii) उप-खंड (i) में संदर्भित पॉलिसी के संबंध में प्राप्त परिपक्वता-आय/दावा-राशि पॉलिसीधारक के भारत से बाहर के किसी बैंक में खोले गये विदेशी मुद्रा खाते में या भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास खोले गये उसके निवासी विदेशी मुद्रा खाते में, जैसा भी मामला हो, क्रेडिट की जा सकती है ;

बशर्ते किसी जीवन बीमा पॉलिसी पर देय प्रीमियम भारत से विप्रेषण करके अदा किये जाने पर पॉलिसीधारक परिपक्वता-आय या पॉलिसी पर प्राप्य कोई दावा-राशि प्राप्त होने से सात दिन की अवधि के भीतर सामान्य बैंकिंग-चैनलों के जरिये प्रत्यावर्तित कर देगा ।

[फा. सं. 1/9/ईसी/97]

पी. आर. गोपाल राव, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd May, 2000

No. FEMA 12/2000-RB

G. S. R. 395(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank makes the following regulations with respect to the holding by a person resident in India of a general or life insurance policy issued by an insurer outside India, namely :

1. Short title and commencement :-

i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Insurance) Regulations, 2000.

ii) They shall come into force on 1st day of June, 2000.

2. Definitions :-

In these Regulations, unless the context otherwise requires, -

i) 'Act' means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);

ii) the words and expressions used but not defined in these Regulations shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Prohibition on taking general or life insurance policy issued by an insurer outside India :-

Save as otherwise provided in the Act, rules or regulations made or orders or directions issued under the Act, no person resident in India shall take any general or life insurance policy issued by an insurer outside India.

Provided that the Reserve Bank may, for sufficient reasons, permit a person resident in India to take any life insurance policy issued by an insurer outside India.

4. Permission to continue to hold a policy taken :-

1) A person resident in India but not permanently resident therein may continue to hold any insurance policy issued to him by an insurer outside India, if the premium on such policy is paid out of foreign currency resources outside India.

Explanation:

For the purpose of this clause, 'not permanently resident' means a person resident in India for employment of a specified duration (irrespective of length thereof) or for a specific job or assignment; the duration of which does not exceed three years.

2) A person resident in India may take or continue to hold a general insurance policy issued by an insurer outside India, provided that, before taking the policy in either case, he had obtained a no objection certificate from the Central Government.

3) (i) A person resident in India may continue to hold any insurance policy issued by an insurer outside India when such person was resident outside India:

Provided that the premium on the policy is paid out of his foreign currency account maintained with a bank outside India or out of funds held in his Resident Foreign Currency account maintained with an authorised dealer;

Provided further that where the policy is a life insurance policy in force for a period of not less than three years prior to the policyholder's return to India, the premium due on the policy may also be paid by making remittance from India.

(ii) The maturity proceeds/ amount of claim received in respect of the policy referred to in sub-clause (i), may be credited to the policy-holder's foreign currency account maintained with a bank outside India or, as the case may be, to his Resident Foreign Currency account maintained with an authorised dealer in India;

Provided that where the premium due on a life insurance policy has been paid by making remittance from India, the policy holder shall repatriate to India through normal banking channels, the maturity proceeds or amount of any claim due on the policy, within a period of seven days from the receipt thereof.

[F. No. 1/9/EC/97]

P. R. GOPALA RAO, Executive Director

अधिसूचना

मुम्बई, 3 मई, 2000

सं. फेमा 13/2000-आरबी

सा. का. नि. 396(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक किसी व्यक्ति द्वारा, भले ही वह व्यक्ति भारत का निवासी हो अथवा न हो, भारत के बाहर से, भारत में परिसंपत्तियों के विप्रेषण करने के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का विप्रेषण) विनियमावली, 2000 कहा जाएगा ।

ii) ये पहली जून, 2000 से लागू होंगे ।

2. परिभाषा

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

i) 'अधिनियम' से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है

ii) 'प्राधिकृत व्यापारी' से अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी का कार्य करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

iii) 'भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआइओ)' से किसी भी देश का, बांगला देश और पाकिस्तान को छोड़कर, निवासी अभिप्रेत है, यदि

क) उसके पास किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट रहा हो;

अथवा

ख) वह अथवा उसके माता-पिता अथवा उसके दादा-दादी में से कोई भी भारतीय संविधान अथवा भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की बदौलत भारत का नागरिक रहा हो ।

अथवा

ग) वह व्यक्ति किसी भारतीय नागरिक का अथवा उपखंड (क) अथवा (ख) में संदर्भित किसी व्यक्ति का पति/की पत्नी हो ।

iv) 'परिसंपत्तियों का विप्रेषण' से भातर के बाहर ऐसी निधियों का विप्रेषण अभिप्रेत है जो किसी बैंक अथवा किसी कंपनी में जमा धनराशि, भविष्य निधि शेष अथवा अधिवर्षिता लाभ, दावे अथवा बीमा पॉलिसी की परिपक्वता राशि, शेयरों, प्रतिभूतियों, अचल सम्पति की बिक्री राशि अथवा अधिनियम के उपबंधों अथवा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों के अनुरूप भारत में धारित किसी अन्य परिसंपत्तियों को दर्शाता हो ।

v) इन विनियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित न किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो अधिनियम में निर्दिष्ट है ।

3. भारत में धारित परिसंपत्तियों का भारत के बाहर विप्रेषण पर प्रतिबंध

जब तक अधिनियम में अथवा इसके अंतर्गत बनाये गये अथवा जारी नियमों या विनियमों में अन्यथा उपबंधित न हो, कोई भी व्यक्ति, भले ही वह भारत का निवासी हो अथवा न हो, स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भारत में धारित परिसंपत्ति का विप्रेषण नहीं करेगा :

बशर्ते रिज़र्व बैंक पर्याप्त कारण होने पर किसी व्यक्ति को उसके द्वारा भारत में धारित किसी परिसंपत्ति का विप्रेषण करने के लिए स्वयं उसे अथवा किसी अन्य व्यक्ति को अनुमति प्रदान करे ।

4. कतिपय मामलों में परिसंपत्तियों के विप्रेषण की अनुमति

1) उप-विनियम (2) में वर्णित कोई भी व्यक्ति किसी प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से उक्त उप-विनियम में उल्लिखित सीमा तक परिसंपत्तियों का विप्रेषण कर सकता है।

2) किसी अन्य देश का कोई नागरिक, जो नेपाल अथवा भूटान का नागरिक न हो, अथवा भारतीय मूल का कोई व्यक्ति (पीआइओ) जो -

i) भारत में किसी नौकरी से सेवा-निवृत्त हुआ हो,

अथवा

ii) अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (5) में उल्लिखित किसी व्यक्ति से परिसंपत्तियों को विरासत में पाया है,

अथवा

iii) भारत के बाहर की निवासी विधवा जिसने अपने मृतक पति, जो भारत का निवासी भारतीय नागरिक था, की परिसंपत्तियां विरासत में हासिल की हैं,

एक कैलेण्डर वर्ष में 20 लाख रुपये तक की राशि का विप्रेषण निम्नालिखित प्रस्तुत करके कर सकता/सकती है -

क) प्रेषणकर्ता द्वारा परिसंपत्तियों के अभिग्रहण के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य; और

ख) प्रेषण के संबंध में आयकर प्राधिकारी से प्राप्त कर बेबाकी/अनापत्ति प्रमाणपत्र

बशर्ते उप-विनियम (2) के अंतर्गत प्रेषण की वार्षिक सीमा की गणना किए जाने के प्रयोजनार्थ अधिनियम के अंतर्गत निर्मित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल सम्पत्तियों का अभिग्रहण और हस्तांतरण) विनियमावली, 2000 और विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी व्यक्ति द्वारा, जो भारत के बाहर निवासी है, भारतीय प्रतिभूति का हस्तांतरण) विनियमावली, 2000 के अनुसरण में किसी अन्य देशों के नागरिक द्वारा प्रत्यावर्तन आधार पर स्वाधिकृत अथवा धारित शेयरों अथवा अचल सम्पत्ति की बिक्री राशि दर्शानेवाली निधियां सम्मिलित नहीं की जाएंगी ।

बशर्ते यह भी कि जब कभी विप्रेषण की रकम एक से अधिक किस्तों में की गई है तो सभी किस्तों के विप्रेषण एक ही प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से किए जाने चाहिए ।

iv) भारत में पढ़ाई/प्रशिक्षण के लिए आया है और जिसने अपनी पढ़ाई/अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, अपने खाते में मौजूद शेष का विप्रेषण कर सकता है बशर्ते इस प्रकार के शेष विदेश से सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्राप्त विप्रेषणों में से बची निधियां हों अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा लायी गयी और प्राधिकृत व्यापारी को बेची गई विदेशी मुद्रा की रुपये में राशि है अथवा भारत में सरकार से अथवा अन्य किसी भी संगठन से प्राप्त स्टाइपेंड/वजीफ़ा की बचायी गई राशि है ।

3) भारत में कोई प्राधिकृत व्यापारी, रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बगैर, उप-विनियम (2) के अंतर्गत पात्र किसी व्यक्ति द्वारा बनायी गयी परिसंपत्तियों का विप्रेषण कर सकता है ।

कतिपय मामलों में किसी भारतीय संस्था कं निधियों के विप्रेषण की अनुमति

भारत में कोई संस्था अपनी नौकरी में रखे गए प्रवासी स्टाफ, जो भारत के निवासी हैं, परंतु स्थायी रूप से भारत में निवास नहीं करते, पेंशन निधि में अपने अंशदान की राशि का विप्रेषण कर सकते है ।

स्पष्टीकरण

इस विनियम के प्रयोजनार्थ,

क) 'प्रवासी स्टाफ' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी भविष्य/अधिवर्षिता/ पेंशन निधि भारत के बाहर के उसके मूल नियोक्ता द्वारा भारत के बाहर रखी जाती है ।

ख) 'स्थायी रूप से भारत में निवास नहीं करते' से किसी विशिष्ट अवधि (उसकी अवधि को ध्यान में न रखते हुए) अथवा विशिष्ट जॉब/असाइनमेंट, जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक न होती हो, में नियोजन के लिए भारत में निवासी कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ।

6. कतिपय मामलों में रिज़र्व बैंक की अनुमति

1) ऐसा कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित मामलों में परिसंपत्तियों का विप्रेषण करने का इच्छुक हो, रिज़र्व बैंक को आवेदन कर सकता है, अर्थात् :

i) भारत के बाहर किसी अन्य देश में स्थायी निवासी नागरिक को रिक्थ, वसीयत-संपदा अथवा उत्तराधिकार के कारण विप्रेषण के लिए फार्म एलईजी (इस विनियम के साथ संलग्न) में ;

ii) भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति को इस आधार पर विप्रेषण करना कि यदि भारत से विप्रेषण न किया गया तो ऐसे व्यक्ति को बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी ;

iii) भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति की भारत में किसी शाखा/उसके किसी कार्यालय की समापन राशियों का विप्रेषण :

बशर्ते आवेदन के समर्थन में निम्नलिखित कागजात दिए गए हों, अर्थात् :

क) भारत में शाखा/कार्यालय खोले जाने के लिए रिज़र्व बैंक की अनुमति वाले पत्र की प्रति;

ख) लेखा-परीक्षक का प्रमाणपत्र-

i) जिसमें विप्रेषणीय राशि के पहुंचने की विधि का उल्लेख किया गया हो और जिसके साथ आवेदक के परिसंपत्ति और देयताओं के प्रमाणपत्र भी लगे हों और साथ ही परिसंपत्तियों के निपटान की विधि का उल्लेख हो ;

ii) जिसमें पुष्टि की गई हो कि शाखा/कार्यालय के कर्मचारियों आदि को भारत में समस्त देयताओं, जिसमें ग्रेच्युटी और अन्य लाभ की बकाया राशियां भी सम्मिलित है, की चुकौती संपूर्णतया कर दी गई है, अथवा पर्याप्त रूप से इनके लिए प्रावधान किया गया है ;

iii) जिसमें पुष्टि की गई हो कि भारत के बाहर (निर्यात-राशि-सहित) उपार्जित कोई आय ऐसी नहीं रही है जिसका प्रत्यावर्तन भारत को किया जाना शेष है ।

ग) विप्रेषण के संबंध में आयकर प्राधिकारी से प्राप्त अनापत्ति अथवा कर-बेबाकी का प्रमाणपत्र और

घ) आवेदक से यह पुष्टि कि भारत के किसी भी न्यायालय में कोई कानूनी कार्रवाई लम्बित नहीं है और विप्रेषण के रास्ते में कोई कानूनी अड़चन नहीं है ।

2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत दिये गये आवेदन पत्र पर विचार करके रिजर्व बैंक ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वह आवश्यक समझे, विप्रेषण की अनुमति दे सकता है ।

[फा. सं. 1/9/ईसी/97]

पी. आर. गोपाल राव, कार्यपालक निदेशक

एल ई जी

भारत से बाहर रहनेवाले निवासी लाभार्थी को विरासत, रिक्थ अथवा उत्तराधिकार में प्राप्त धन के विप्रेषण के लिए आवेदन

अनुदेश

1. *आवेदन पत्र पूरी तरह भरा होना चाहिए और जिस प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से विप्रेषण भेजना है, उसी के माध्यम से उक्त आवेदन पत्र रिजर्व बैंक के उस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके कार्यक्षेत्र में आवेदक निवास करता है ।*

दस्तावेज

2. मृत व्यक्ति की भारतीय परिसम्पत्तियों के संबंध में, वसीयत के साथ संलग्न की गयी प्रति के साथ-साथ प्रोबेट की अधिप्रमाणित प्रति अथवा प्रशासन-पत्र अथवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, जैसी भी स्थिति हो ।

3. आय कर अधिकारियों से इस आशय का कर भुगतान/अनापत्ति प्रमाणपत्र कि मृतक की संपदा के संबंध में आय कर, सम्पत्ति कर, पूंजी लाभ कर, आदि के कारण कोई देयता बकाया नहीं है ।

4. मृतक की भारतीय परिसम्पत्तियां किस प्रकार की हैं, उसका विवरण । जहां कहीं लागू हो, भारतीय कम्पनियों के शेयर और अचल सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा उन्हें हासिल करने के लिए रिजर्व बैंक की स्वीकृति की तारीख और संख्या ।

5. सनदी लेखाकार से इस आशय का प्रमाणपत्र कि विप्रेषण राशि की गणना किस प्रकार की गयी है और भारत में सम्पदा की सभी देयताएं पूरी की गयी हैं अथवा उनके लिए पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं ।

1	मृत व्यक्ति का विवरण			1			
		(i)	नाम			(i)	
		(ii)	राष्ट्रिकता			(ii)	
		(iii)	मृत्यु के समय किस देश का स्थायी निवासी था			(iii)	
		(iv)	मृत्यु का स्थान और तारीख			(iv)	

		(v)	क्या मृत व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी भारत में रहता था, अगर हां, तो अवधि बताएं			(v)	
2	लाभार्थी/लाभार्थियों के विवरण			2			
		(i)	नाम			(i)	
		(ii)	राष्ट्रिकता			(ii)	
		(iii)	किस देश/किन देशों के स्थायी निवासी हैं ।			(iii)	

3	क्या मृत व्यक्ति ने भारत में कोई निवेश किया है, यदि हां, तो उसका विवरण इस प्रकार है :			3			
		(i)	गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर किये गये निवेश			(i)	
		(ii)	प्रत्यावर्तन लाभों-सहित किये गये निवेश			(ii)	
4	आवेदित विप्रेषण राशि			4			

मैं/हम एतद्द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त दिये गये विवरण और इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और तथ्यपरक हैं । मैं/हम यह भी घोषित करता हूं/करते हैं कि इस प्रयोजन के लिए मैंने/हमने भारतीय रिजर्व बैंक के किसी अन्य कार्यालय में कोई आवेदन नहीं किया है ।

स्थान :

तारीख :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd May, 2000

No. FEMA 13/2000-RB

G. S. R. 396(E).—In exercise of the powers conferred by Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank makes the following regulations in respect of remittance outside India by a person whether resident in India or not, of assets in India, namely :

1. Short title and commencement :-

i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) Regulations, 2000.

ii) They shall come into force on 1st day of June, 2000.

2. Definitions :-

In these Regulations, unless the context requires otherwise, -

(i) 'Act' means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);

(ii) 'authorised dealer' means a person authorised as an authorised dealer under sub-section (1) of section 10 of the Act,

(iii) 'Person of Indian Origin (PIO)' means a citizen of any country other than Bangladesh or Pakistan, if

a) he at any time held Indian passport;

or

b) he or either of his parents or any of his grand-parents was a citizen of India by virtue of the Constitution of India or the Citizenship Act 1955 (57 of 1955);

or

c) the person is a spouse of an Indian citizen or a person referred to in sub-clause (a) or (b).

(iv) 'Remittance of asset' means remittance outside India of funds representing a deposit with a bank or a firm or a company, provident fund balance or superannuation benefits, amount of claim or maturity proceeds of Insurance policy, sale proceeds of shares, securities, immovable property or any other asset held in India in accordance with the provisions of the Act or rules or regulations made thereunder;

(v) the words and expressions used but not defined in these Regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Prohibition on Remittance outside India of assets held in India :-

Save as otherwise provided in the Act or rules or regulations made or issued thereunder, no person whether resident in India or not, shall make remittance of any asset held in India by him or by any other person:

Provided that the Reserve Bank may, for sufficient reasons, permit any person to make remittance of any asset held in India by him or by any other person.

4. Permission for remittance of assets in certain cases :-

(1) A person specified in sub-regulation (2) may make remittance of assets through an authorised dealer, to the extent specified in that sub-regulation.

(2) A citizen of foreign state, not being a citizen of Nepal or Bhutan or a person of Indian origin (PIO), who –

(i) has retired from an employment in India, or

(ii) has inherited the assets from a person referred to in sub-section (5) of section 6 of the Act; or

(iii) is a widow resident outside India and has inherited assets of her deceased husband who was an Indian citizen resident in India,

may remit an amount, not exceeding Rs.20 lakhs per calendar year, on production of,

(a) documentary evidence in support of acquisition of assets by the remitter; and

(b) a Tax clearance/no objection certificate from the Income-Tax authority for the remittance:

Provided that for the purpose of arriving at annual ceiling of remittance under the sub-regulation (2), the funds representing sale proceeds of shares and immovable property owned or held by the citizen of foreign state on repatriation basis in accordance with the Foreign Exchange Management (Acquisition and transfer of immovable property in India) Regulations, 2000 and Foreign Exchange Management (Transfer of Indian security by a person resident outside India) Regulations, 2000 made under the Act, shall not be included.

Provided further that where the remittance is made in more than one instalment, the remittance of all instalments shall be made through the same authorised dealer.

(iv) had come to India for studies/training and has completed his studies/training, may remit the balance available in his account, provided such balance represents funds derived out of remittances received from abroad through normal banking channels or rupee proceeds of foreign exchange brought by such person and sold to an authorised dealer or out of stipend/scholarship received from the Government or any Organisation in India.

(3) An authorised dealer in India may, without approval from Reserve Bank, effect remittance of assets made by a person eligible under sub-regulation (2).

5. Permission to an Indian entity to remit funds in certain cases :-

An entity in India may remit the amount being its contribution towards the provident fund/superannuation/pension fund in respect of the expatriate staff in its employment who are resident in India but not permanently resident therein.

Explanation:

For the purpose of this Regulation, -

(a) 'expatriate staff' means a person whose provident / superannuation/ pension fund is maintained outside India by his principal employer outside India;

(b) 'not permanently resident' means a person resident in India for employment of a specified duration (irrespective of length thereof) or for a specific job or assignment, the duration of which does not exceed three years.

6. Reserve Bank's prior permission in certain cases :-

(1) A person who desires to make a remittance of assets in the following cases, may apply to the Reserve Bank, namely:

1291 GI/2000—11

(i) In Form LEG annexed to this regulation for remittance on account of legacy, bequest or inheritance to a citizen of foreign state permanently resident outside India,

(ii) remittance to a person resident outside India on the ground that hardship will be caused to such a person if remittance from India is not made;

(iii) remittance of winding up proceeds of a branch/office in India of a person resident outside India :

provided that the application is supported by the following documents, namely:

(A) copy of the Reserve Bank's permission for establishing the branch/office in India;

(B) Auditor's certificate,-

i) indicating the manner in which the remittable amount has been arrived and supported by a statement of assets and liabilities of the applicant, and indicating the manner of disposal of assets;

ii) confirming that all liabilities in India including arrears of gratuity and other benefits to employees etc. of the branch/office have been either fully met or adequately provided for;

iii) confirming that no income accruing from sources outside India (including proceeds of exports) has remained unrepatriated to India;

(C) no-objection or Tax clearance certificate from Income-Tax authority for the remittance; and

(D) confirmation from the applicant that no legal proceedings in any Court in India are pending and there is no legal impediment to the remittance.

(2) On consideration of the application made under sub-regulation (1), the Reserve Bank may permit the remittance, subject to such terms and conditions as it deem necessary.

[F. No. 1/9/EC/97]

P. R. GOPALA RAO, Executive Director

LEG

[See Regulation 6]

Application for remittance of legacies, bequests or inheritances to beneficiaries resident outside India

Instructions:

1. *The application should be completed and submitted through an authorised dealer through whom the remittance is sought to be made to the office of Reserve Bank under whose jurisdiction the applicant resides.*

Documentation:

2. Certified copy of the probate together with a copy of the Will annexed thereto, or letters of administration or succession certificate, as the case may be, in respect of the Indian assets of the deceased person.

3. Tax Clearance/No Objection Certificate from the Income-Tax authorities to show that no liabilities are outstanding in respect of the estate of the deceased person on account of Income-tax, Wealth-tax, Capital Gains tax, etc.

4. A statement of Indian assets of the deceased person, indicating the form in which they are held. The number and date of Reserve Bank's approval for holding or acquiring shares of Indian companies and immovable property should be indicated, wherever applicable.

5. A certificate from a Chartered Accountant showing how the remittable amount has been arrived at and that all liabilities of the estate in India have been met or adequately provided for.

1.	Particulars of the deceased person :			1.			
		(i)	Name			(i)	
		(ii)	Nationality			(ii)	
		(iii)	Country of permanent residence at the time of death			(iii)	
		(iv)	Date and place of demise			(iv)	
		(v)	Whether the deceased was residing in India at any time during his life time; if so, state period			(v)	

2.	Particulars of the beneficiary/ies :			2			
		(i)	Name/s			(i)	
		(ii)	Nationality/ies			(ii)	
		(iii)	Country/ies of permanent residence			(iii)	
3	Whether the deceased person had made any investments in India, if so, details as under :			3			
		(i)	Investments made on non-repatriation basis			(i)	
		(ii)	Investments made with repatriation benefits			(ii)	
4.	Amount of remittance applied for			4.			

I/We hereby declare that the particulars given above and the documents submitted herewith are true and correct to the best of my/our knowledge and belief I/We also declare that I/We have not made any application to any other office of the Reserve Bank of India for the same purpose

Place : ....
Date : ....

....

(Signature/s of Applicant)

अधिसूचना

मुम्बई, 3 मई, 2000

सं. फेमा 14/2000-आरबी

सा. का. नि. 397(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा में प्राप्ति और भुगतान के तरीके के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2000 कहा जाएगा;

ii) ये पहली जून, 2000 से लागू होंगे।

2. परिभाषा

इन विनियमों में. जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो. -

i) 'अधिनियम'से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है;

ii) 'प्राधिकृत व्यापारी' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्राधिकृत व्यापारी के रूप में प्राधिकृत है;

iii) 'प्राधिकृत बैंक' से अभिप्रेत है किसी प्राधिकृत व्यापारी से भिन्न, कोई बैंक, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों से जमाराशि स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत है;

iv) 'एफसीएनआर (विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता)/एनआरई (अनिवासी विदेशी) खाता' से अभिप्रेत है एफसीएनआर या एनआरई खाता जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमाराशियां) विनियमावली, 2000 के अनुसार खोला गया है और रखा गया है;

v) 'अनुमत करेंसी' से अभिप्रेत वह विदेशी करेंसी है जो अबाध रूप से परिवर्तनीय है;

vi) इस विनियमावली में प्रयुक्त ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, उनका अर्थ वही होगा, जो क्रमशः इस अधिनियम में जिस अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं।

3. विदेशी मुद्रा में प्राप्ति का तरीका

(1) किसी प्राधिकृत व्यापारी द्वारा विदेशी मुद्रा में प्रत्येक प्राप्ति, चाहे किसी विदेशी देश (नेपाल और भूटान को छोड़कर) से विप्रेषण के रूप में अथवा भारत से निर्यात के लिए भुगतान पर उसी शाखा या भारत के बाहर के प्रतिनिधि बैंक से अथवा कोई भी अन्य भुगतान पर प्रतिपूर्ति के रूप में नीचे दिए गए अनुसार होगा :

समूह	विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का तरीका
(1) एशियन क्लियरिंग यूनियन (नेपाल को छोड़कर) के सदस्य देश, अर्थात्, बांगला देश, इस्लामिक रिपब्लिक आफ इरान, म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका	क) सभी पात्र चालू लेनदेनों के लिए भुगतान सदस्य देश के बैंक भारत स्थित एशियन क्लियरिंग यूनियन डालर खाता को नामे कर जिसमें लेनदेन की दूसरी पार्टी निवासी हो अथवा सदस्य देश में प्रतिनिधि बैंक के पास प्राधिकृत व्यापारी का एशियन क्लियरिंग यूनियन डालर खाता को जमा कर; और ख) सभी अन्य मामलों में किसी अनुमत करेंसी में भुगतान कर

(2) (1) में निर्दिष्ट को छोड़कर सभी अन्य देश।	क) एशियन क्लियरिंग यूनियन या नेपाल या भूटान के सदस्य देश से भिन्न किसी देश में स्थित बैंक के खाता से रुपये में भुगतान; अथवा ख) किसी अनुमत करेंसी में भुगतान कर

(2) भारत से किए गए किसी निर्यात के संबंध में, क्रेता के आवास का देश होते हुए भी, घोषणा फार्म में निर्दिष्ट अंतिम गन्तव्य स्थान के लिए उपयुक्त करेंसी में भुगतान प्राप्त किया जाएगा।

4. कतिपय मामलों में निर्यात के लिए भुगतान

विनियम 3 में किसी बात के होते हुए, निर्यात के लिए भुगतान, निर्यातक द्वारा निम्नलिखित रूप में भी निर्यात के लिए भुगतान प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात् :

i) भारत में उनके भ्रमण के दौरान क्रेता से लिया गया बैंक ड्राफ्ट, चेक, भुगतान आदेश, विदेशी करेंसी नोट/ट्रैवलर चेक के रूप में, बशर्ते उपर्युक्त रूप में प्राप्त विदेशी करेंसी उस प्राधिकृत व्यापारी को विनिर्दिष्ट अवधि में सौंप दी गयी हो जिसका निर्यातक एक ग्राहक है;

ii) भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी या किसी प्राधिकृत बैंक के साथ क्रेता द्वारा रखे एफसीएनआर/एनआरइ खाता को नामे करके;

iii) भारत में क्रेडिट कार्ड सर्विसिंग बैंक से रुपये में, जो क्रेता द्वारा चार्ज स्लिप पर उक्त स्थान के लिए हस्ताक्षरित हो जहां उक्त भुगतान क्रेता द्वारा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जाता है;

iv) यदि प्रति निर्यात लेनदेन की राशि दो लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो प्राधिकृत व्यापारी के साथ विनिमय गृह (एक्सचेंज हाउस) के नाम में धारित रुपये खाता से;

v) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत व्यापारी के लिए जारी निदेशों के अनुसार, जहां निर्यात, भारत सरकार और विदेश की सरकार के बीच या किसी विदेशी

सरकार में किसी वित्तीय संस्था के साथ निर्यात-आयात बैंक द्वारा की गयी ऋण व्यवस्था के जरिये किया गया है ।

5. विदेशी मुद्रा में भुगतान का तरीका

(1) किसी प्राधिकृत व्यापारी द्वारा विदेशी मुद्रा में भुगतान, जो या तो भारत से विप्रेषण के रूप में हो अथवा उसकी शाखा में प्रतिपूर्ति के रूप में अथवा प्रतिनिधि बैंक जो भारत (नेपाल और भूटान को छोड़कर) के बाहर हो, को आयात हेतु भुगतान अथवा कोई भी अन्य भुगतान नीचे दिए गए तरीके से होगा :

समूह	भुगतान का तरीका
(1) एशियन क्लियरिंग यूनियन (नेपाल को छोड़कर) के सदस्य देश अर्थात्, बांगला देश, इस्लामिक रिपब्लिक आफ इरान, म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका	क) सभी पात्र चालू लेनदेन के लिए भुगतान सदस्य देश के बैंक भारत स्थित एशियन क्लियरिंग यूनियन डालर खाता को जमा कर जिसमें लेनदेन की दूसरी पार्टी निवासी हो अथवा सदस्य देश में प्रतिनिधि बैंक के पास प्राधिकृत व्यापारी का एशियन क्लियरिंग यूनियन डालर खाता को नामे कर; और ख) अन्य मामलों में किसी अनुमत करेंसी में भुगतान
(2) (1) में निर्दिष्ट देशों को छोड़कर अन्य सभी देश ।	क) एशियन क्लियरिंग यूनियन या नेपाल या भूटान के सदस्य देश से भिन्न किसी देश के निवासी के खाता को रुपये में भुगतान । ख) किसी भी अनुमत करेंसी में भुगतान

(2) भारत में आयात के संबंध में,

क) जहां एशियन क्लियरिंग यूनियन (नेपाल को छोड़कर) के किसी सदस्य देश से माल जहाज से भेजा जाता है, किंतु आपूर्ति-कर्ता (सप्लायर) एशियन क्लियरिंग यूनियन के सदस्य देश का निवासी नहीं है, तो इसका

भुगतान विनियम 5 के समूह (2) में निर्दिष्ट देशों के लिए विनिर्दिष्ट तरीकों से भुगतान किया जाए;

ख) सभी अन्य मामलों में, माल जिस देश में जहाज से भेजे गए हैं उस देश के लिए उपयुक्त करेंसी में भुगतान किया जाए।

6. कतिपय मामलों में भुगतान का तरीका

विनियम 5 में किसी बात के होते हुए भी -

(1) जहां आयात, भारत सरकार और विदेश की सरकार के बीच की गयी विशेष व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है, आयात के लिए भुगतान, रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत व्यापारी को जारी निदेशों के अनुसार किया जाएगा;

(2) उप-विनियम (1) के प्रावधानों के अधीन, भारत में निवासी कोई व्यक्ति अपने अंतर्राष्ट्रीय कार्ड के माध्यम से विदेशी करेंसी में भुगतान कर सकता है :

बशर्ते -

क) जिस लेनदेन के लिए ऐसा भुगतान किया जाता है वह अधिनियम के उपबंधों, उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों के अनुरूप है; और

ख) आयात के मामले में जिसके लिए भुगतान किया जाता है, आयात भी तत्कालीन लागू निर्यात आयात नीति के प्रावधानों के अनुरूप हो।

[फा. सं. 1/9/ईसी/97]

पी. आर. गोपाल राव, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd May, 2000

No. FEMA 14/2000-RB

G. S. R. 397(E).—In exercise of the powers conferred by Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following regulations in respect of the manner of receipt and payment in foreign exchange, namely :

1. Short title and commencement :-

i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) Regulations, 2000.

ii) They shall come into effect on 1st day of June, 2000.

2. Definitions :-

In these Regulations, unless the context requires otherwise, -

(i) 'Act' means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) ;

(ii) 'authorised dealer' means a person authorised as an authorised dealer under sub-section (1) of Section 10 of the Act ;

(iii) 'authorised bank' means a bank, other than an authorised dealer, authorised by the Reserve Bank to accept deposits from persons resident outside India ;

(iv) 'FCNR/NRE account' means an FCNR or NRE account opened and maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposits) Regulations, 2000 ;

(v) 'Permitted currency' means a foreign currency which is freely convertible;

(vi) the words and expressions used but not defined in these Regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Manner of Receipt in Foreign Exchange :-

(1) Every receipt in foreign exchange by an authorised dealer, whether by way of remittance from a foreign country (other than Nepal and Bhutan) or by way of reimbursement from his branch or correspondent outside India against payment for export from India, or against any other payment, shall be as mentioned below:

Group	Manner of receipt of foreign exchange
(1) member countries in the Asian Clearing Union (except Nepal) namely, Bangladesh. Islamic Republic of Iran, Myanmar, Pakistan and Sri Lanka	a) payment for all eligible current transactions by debit to the Asian Clearing Union dollar account in India of a bank of the member country in which the other party to the transaction is resident or by credit to the Asian Clearing Union dollar account of the authorised dealer maintained with the correspondent bank in the member country; and b) payment in any permitted currency in all other cases
(2). all countries other than those mentioned in (1).	a) payment in rupees from the account of a bank situated in any country other than a member country of Asian Clearing Union or Nepal or Bhutan; or b) payment in any permitted currency

(2) In respect of an export from India, payment shall be received in a currency appropriate to the place of final destination as mentioned in the declaration form irrespective of the country of residence of the buyer.

4. Payment for export in certain cases :-

Notwithstanding anything contained in Regulation 3, payment for export may also be received by the exporter as under , namely:

i) in the form of a bank draft, cheque, pay order, foreign currency notes/travellers cheque from a buyer during his visit to India, provided the foreign currency so received is surrendered within the specified period to the authorised dealer of which the exporter is a customer ;

ii) by debit to FCNR/NRE account maintained by the buyer with an authorised dealer or an authorised bank in India ;

iii) in rupees from the credit card servicing bank in India against the charge slip signed by the buyer where such payment is made by the buyer through a credit card ;

iv) from a rupee account held in the name of an Exchange House with an authorised dealer if the amount does not exceed two lakh rupees per export transaction ;

v) in accordance with the directions issued by the Reserve Bank to authorised dealers, where the export is covered by the arrangement between the Central Government and the Government of a foreign country or by the credit arrangement entered into by the Exim Bank with a financial institution in a foreign state.

5. Manner of payment in foreign exchange :-

(1) A payment in foreign exchange by an authorised dealer, whether by way of remittance from India or by way of reimbursement to his branch or correspondent outside India (other than Nepal and Bhutan) against payment for import into India, or against any other payment, shall be as mentioned below:

Group	Manner of payment
(1) member countries of Asian Clearing Union (except Nepal) namely, Bangladesh, Islamic Republic of Iran, Myanmar, Pakistan and Sri Lanka	a) Payment for all eligible current transactions by credit to the Asian Clearing Union dollar account in India of a bank of the member country in which the other party to the transaction is resident or by debit to the Asian Clearing Union dollar account of an authorised dealer with the correspondent bank in the other member country; and b) payment in any permitted currency in other cases
(2) all countries other than those mentioned in (1)	a) payment in rupees to the account of a resident of any country other than a member country of Asian Clearing Union or Nepal or Bhutan; or b) payment in any permitted currency

(2) In respect of import into India,

a) where the goods are shipped from a member country of Asian Clearing Union (other than Nepal) but the supplier is resident of a country other than a member country of Asian Clearing Union, payment may be made in a manner specified for countries in Group (2) of Regulation 5 ;

b) in all other cases, payment shall be made in a currency appropriate to the country of shipment of goods.

6. Manner of Payment in certain cases :-

Notwithstanding anything contained in Regulation 5 -

(1) where an import is covered by the special arrangement between the Central Government and the Government of a foreign state, the payment for import shall be made in accordance with the directions issued by the Reserve Bank to authorised dealer ;

(2) subject to the provisions of sub-regulation (1), a person resident in India may make payment in foreign exchange through an international card held by him :

Provided that –

a) the transaction for which the payment is so made is in conformity with the provisions of the Act, rules and regulations made thereunder; and

b) in the case of import for which the payment is so made, the import is also in conformity with the provisions of the Export-Import Policy for the time being in force.

[F No. 1/9/EC/97]

P. R. GOPALA RAO, Executive Director

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054